लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 4-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II contains Nos.1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 31 मई, 1971/10 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
No. 6, Monday, May 31, 1971/Jyaistha 10, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
152. हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियों के बारे में विचार गोष्ठी	Symposium Re : Activities of big Powers in Indian Ocean ..	1—3
153. आर्डनेन्स फैक्टरियों में कार्यभार की कमी	Reduction in Work Load in Ordnance Factories ..	3—5
154. पाकिस्तान को चीन से हथियार	Arms to Pakistan from China ..	5—9
155. चौथी योजना अवधि में ओषधियों की मांग	Demand of Drugs during Fourth Plan	9—12
156. पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार के विरुद्ध नेपाल को भेजा गया विरोध पत्र	Protest Note to Nepal against Pakistan's Propaganda against India ..	12—14
157. ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन	Repatriation of Staff of Indian Deputy High Commissioner's Office at Dacca ..	14—16
158. पंजाब में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की डाक्टरी चिकित्सा	Medical Treatment of Central Government Emlployees in Punjab ..	16—18
160. भारत में राजनीतिक शरण लेने वाले पाकिस्तानी राजनयिकों की वापसी की मांग	Demand for Return of Pakistan Diplomats taken Political Asylum in India ..	18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
161. सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों मध्यम आय वर्ग के लोगों का दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन कमरे वाले मकानों को आवंटन किये जाने के लिये आवेदन पत्र	Applications for Allotment of D.D.A.s 3-Rcomed Tenements to Middle Income Group Ex-Army Personnel ..	18—20
162. बागडोगरा, पश्चित बंगाल में पाकिस्तान वायु सेना के विमानों का उतरना	Landing of Pakistan Air Force Planes at Bagdogra, West Bengal ..	20—21
163. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता	Recognition of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam ..	21—22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
151. आयुर्वेदिक चिकित्सा की शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया जाना	Recognition of Ayurvedic System of Medical Education at National Level ..	22
159. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देय भारतीय ऋण को बट्टे खाते डालने का प्रस्ताव	Proposal to write off Indian Debts owed by United Nations ..	22—23
164. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा भारत का दौरा	Visit by Representatives of United Nations High Commission for Refugees to India..	23
165. पूर्वी बंगाल में नरसंहार	Genocide in East Bengal	23—24
166. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा बम्बई के आसपास के समुद्र के दूषण अध्ययन	Study made by Bhabha Atomic Research Centre regarding Pollution of Sea around Bombay ..	24
167. गैस के मूल्य के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गुजरात सरकार के मध्य विवाद	Dispute between Oil and Natural Gas Commission and Gujarat State over Gas Price ..	24—25
168. हिन्द महासागर में अमरीकी ब्रिटिश नौसैनिक अड्डे के निर्माण में प्रगति	Work in Progress on American British Naval Base in Indian Ocean ..	25—26

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
169. साम्यवादी दल के प्रतिनिधि मंडल की रूस यात्रा	Communist Party Delegation to USSR	26
170. बच्चों और गर्भवती स्त्रियों में कुपोषण	Malnutrition among Children and Expectant Mothers ..	27—28
171. तेलशोधक कारखानों से पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सम्बन्धी मूल्य निर्धारण नीति का पुनरीक्षण	Revision of Pricing Policy for Supply of Petroleum Products from Refineries ..	28—29
172. गैस के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Gas	29
173. कलकत्ता में पाकिस्तान के नये उच्चायुक्त की नियुक्ति	Posting of New Deputy High Commissioner of Pakistan in Calcutta ..	30
174. पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सहायता कार्य में लगे हुए छः व्यक्तियों का अपहरण	Kidnapping of six men engaged in relief work by Pakistan Troops ..	30
175. रक्षा उत्पादनों में तेजी से वृद्धि करने सम्बन्धी योजना	Scheme for speeding up Defence Production ..	30—31
176. सऊदी अरब को जाने वाले हज यात्रियों को कठिनाईयां	Difficulties faced by Haj Pilgrims to Saudi Arabia ..	31
177. जेट विमानों के ईंधन में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Jet Aviation Fuel ..	31—32
178. पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध की धमकी	Threats of war against India by Pakistan ..	32
179. भवनों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए भट्टों को स्लैक कोयले की सप्लाई	Supply of slack coal to Kilns for Accelerating Construction of Houses ..	32—33
180. चीन द्वारा पाकिस्तान को मिग-21 विमानों की सप्लाई	Supply of Mig-21 to Pakistan by China ..	33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
806. ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना	Provision of Service Facilities in Greater Kailash Part II, New Delhi ..	33—34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
807. पूर्वी बंगाल शरणार्थियों के शिविरों में बंगला भाषी डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति	Bengalee speaking doctors deputed to work in the East Bengal Refugee Camps ..	34
808. डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लाइट कोगुलेटर एप्रेटस	Light Coagulator Apparatus at Dr. Rajendra Prasad Institute of Ophthalmic Science, New Delhi ..	34—35
809. बंगला देश आन्दोलन के स्वरूप के सम्बन्ध में विश्व जनमत का तैयार किया जाना	Mobilisation of World Opinion regarding Nature of Movement in Bangla Desh ..	35
810. भारत में पाकिस्तानी राजनयिकों को राजनीतिक शरण दिया जाना	Pakistani Diplomats given Political Asylum in India ..	36
811. नाइजीरिया के 'डेली टाइम्स' के 'इंडिया डे सप्लीमेंट' में जम्मू और काश्मीर को भारत में न दिखाया जाना	Jammu and Kashmir shown out of India in 'India-Day Supplement' of the 'Daily Times' of Nigeria ..	36
812. विदेश तेल कम्पनियों के साथ शोधन शालाओं सम्बन्धी करार	Refinery Agreements with Foreign Oil Companies ..	36—37
813. भारत में राजनीतिक शरण मांगने वाले बंगला देश के व्यक्ति	Persons from Bangla Desh who have sought political asylum in India ..	37
815. रूस को भारतीय द्विपों में सैनिक अड्डे स्थापित करने की अनुमति दिया जाना	Military Bases to Russia in Indian Islands..	37
816. श्री लंका के निकट हिन्द महासागर में देखी गई पनडुब्बियां	Submarines seen in Indian Ocean near Ceylon ..	38
817. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये कानून	Statuory Provision for imposition of ceiling on Urban Property ..	38
818. केरल में नायलोन का कारखाना	Nylon Factory in Kerala	38—39
819. नायलोन के धागे के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को लाइसेंस देना	Issue of Licence to M. P. Industrial Development Corporation for Manufacture of Nylon Yarn ..	39
820. लघु उद्योगों के लिये 'सोडा ऐश' की कमी	Shortage of Soda Ash for Small Scale Industries ..	39—40

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
821. कलकत्ता में 'सोडा ऐश' की चोर बाजारी	Blackmarketing of Soda Ash in Calcutta ..	40
822. उत्तरी कोरिया के वाणिज्य दूतावास के सदस्यों द्वारा भारत में तोड़-फोड़ की कथित कार्यवाई	Alleged Induslgence of Members of North Korean Consulate in subversive activities in India ..	40
823. तुर्की के संवाददाताओं द्वारा भारत की यात्रा रद्द किया जाना	Cancellation of Turkish News Men Tour of India ..	41
824. पूर्वी बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता के लिये केन्द्रीय समिति	Central Committee for assistance to East Bengal Freedom Fighters ..	41
825. नागा नेता फिजों को भारत वापिस आने की अनुमति देने का सुझाव	Suggestion to allow Naga Leader Phizo to return to India ..	42
826. बंगला देश को सहयोग देने हेतु पूर्वी पाकिस्तान जाने से स्वयंसेवकों को रोकने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Pradhan Mantri on stopping of volunteers from going to East Pakistan for helping Bangla Desh Movement ..	42
827. किरकी स्थित विस्फोटकों का निर्माण करने वाले कारखाने में धमाका	Blast in Explosive Factory, Kirkee	42—43
828. श्रीलंका के समुद्र क्षेत्र में पनडुब्बी मारक फ्रिगेटो द्वारा गश्त	Patrolling by Anti Submarine Frigates on Ceylonese waters ..	43
829. खाद्यान्नों में अपमिश्रण के मामले	Cases of Food Adulteration	43
830. रक्षा सामग्री का उत्पादन करने वाले कारखाने	Factories producing Defence Material	44
831. शस्त्रों के अतिरिक्त पुर्जो के निर्माण का कार्य गैर सरकरी क्षेत्र की कम्पनियों को सौंपने का प्रस्ताव	Proposal to enturst manufacture of spare parts of arms to Firms in Private Sector..	44
832. छावनी अधिनियम में संशोधन	Amendment to Cantonment Act ..	44—45
833. बिड़ला भवन, नई दिल्ली का अधिग्रहण	Acquisition of Birla House, New Delhi	45
834. अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को फिर से सक्रिय बनाने के लिये जापान का अनुरोध	Japanese request for reactivisation of International Control Commission ..	45—46

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
835. पाकिस्तान को चीन की सहायता	Chinese Support to Pakistan ..	46
836. हिन्द महासागर में रूस तथा चीन की अभिरुचि	Russian and Chinese interests in Indian Ocean ..	46
837. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Property	47
838. जनसंख्या के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना	Setting up of an Expert's Committee on Population ..	47
839. रूसी शिष्ट मण्डल द्वारा भारत का दौरा	Visit by Russian Delegation to India	48
841. बम्बई में महामारी के रूप में नेत्र रोग का फैलना	Eye disease epidemic in Bombay	48—49
842. नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बंगाली राजनयिकों का इस्लामाबाद उच्च आयोग से निकाला जाना	Deporation of Bengali Diplomats of Pakistan High Commission in New Delhi to Islamabad ..	49
843. कलकत्ता में सल्फा औषधों के मूल्य	Price of Sulpha Drugs in Calcutta	49—50
844. बेघर लोगों के लिये राजधानी में आवास की सुविधायें	Housing Facilities in the Capital for Homeless Persons ..	50—51
845. वायुसेना के कर्मचारियों के लिये वियुक्ति भत्ता	Separation allowance for Air Force Personnel ..	51
846. भारत में उत्तर कोरिया के वाणिज्य दूतावास की अवांछनीय गतिविधियां	Undesirable activities of North Korean Consulate in India ..	51—52
847. संसद् सदस्यों के बंगलों और फ्लैटों के संधारण पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on maintenance of M. P. Bungalows and Flats ..	52
848. कश्मीर में भारतीय सेना के एक मेजर की हत्या	Murder of a Major of Indian Army in Kashmir ..	52
850. नई दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियां और झोंपड़ियां	Unauthorised Jhoggis and Jhonpris in New Delhi ..	52—53
851. बड़े नगरों में पानी की गम्भीर समस्या	Acute water problem in Big cities	53
852. गैर सरकारी मेडिकल कालेजों को सहायता	Assistance to Private Medical College	53—54

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
853. मैसूर के कोलार जिले में परिवार नियोजन योजना	Family planning scheme in Kolar District, Mysore ..	54
854. पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज के के कोयला क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of drinking water to coalfield areas in Raniganj, West Bengal ..	54—55
855. राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज	Exploration of Petroleum in Rajasthan	55—56
856. जनरल वेस्टमोरलैंड का दौरा	Visit of General Westmoreland	56
857. सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों और अध्यापकों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Teachers and Employees of Sainik Schools ..	56
858. सरकारी आवासों में रह रहे भूतपूर्व संसद् सदस्य	Ex-M.P.s staying in Government Accommodation ..	56—57
859. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां	Unauthorised colonies in Delhi	57
860. लूप लगाये जाने के मामलों में कमी	Decline in IUCD cases	58
861. झिलमिल तहीरपुर बस्ती को जमुना पुल दिल्ली के साथ जोड़ने वाली सड़क का निर्माण	Construction of road connecting Jhilmil Tahirpur Colony with Jamuna Bridge, Delhi ..	58—59
862. दिल्ली में श्रेणी 4 के क्वार्टरों का आबंटन	Allotment of Type IV quarters in Delhi ..	59
863. मीठापुर उर्वरक परियोजना	Mithapur Fertilizer Project	59—60
864. भारतीय नौसेना के लिये हेलीकाप्टर	Helicopters for Indian Navy	60
865. एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त बेरोजगार अधिकारी	Unemployed emergency commissioned Officers ..	60
866. सैनिक स्कूल, नैनीताल	Sainik School, Nainital	60—61
867. बिना सरकारी आवास स्थान वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees without accommodation ..	61—62
868. श्रीलंका में भारतीयों को कर से छूट दिया जाना	Tax exemption to Indians in Ceylon	62
869. विभिन्न अस्पतालों में अच्छी सुविधायें	Improved facilities in Hospitals	63—64

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

871. पान्की स्थित उर्वरक कारखाने में जबरी छुट्टी	Lay off in Fertilizer Plant at Panki	64
872. न्युफ्रेन्डस कोआपरेटिव हाऊस एन्ड बिल्डिंग सीसायटी, नई दिल्ली	New Friends Co-operative House Building Society, New Delhi ..	65
873. नक्सलवादियों के साथ गिरफ्तार सैनिक	Army Man arrested among Naxalites	65
874. अंगोला और मोजामबीक के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता	Support to Freedom Fighters of Angola and Mozambique ..	65
875. मनोचिकित्सकों का वार्षिक सम्मेलन	Annual Conference of Psychiatric Society..	66
876. खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिये कानून और संगठनात्मक ढांचा	Legislation and Organisational Set up to prevent Food Adulteration ..	66—67
877. दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में औषधियों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Medicines in Government Hospitals in Delhi ..	67
878. परिवार नियोजन तथा सन्तति निरोध के प्रचार में सहायता करने हेतु समितियों को सुविधाएं	Facilities to Societies to help in Propaganda for Family Planning and Birth Control..	67—68
879. उत्तर प्रदेश को इण्डेन पेट्रोलियम गैस की डीलरशिप	Dealership of Indane Petroleum Gas in Uttar Pradesh ..	69—69
880. रेडक्रास सोसाईटियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conventions of Red-Cross Society, and W.H.O. ..	69
881. भारत चीन सम्बन्ध	Sino-Indian Relations	69—70
882. संसद् सदस्यों को सर्विस चार्जेज का वापस दिया जाना	Refund of Service Charges to M. P.s	70
883. रूस्तम अशोधित तेल का उपयोग	Utilisation of Rostam Crude ..	70
884. चटगांव पहाड़ी के बारे में पाकिस्तानी सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच समझौता	Agreement between Pakistan Army and Mizo Rebels re. Chittagong Hill ..	71
885. रेडियो पाकिस्तान द्वारा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री के वक्तव्यों को गलत उद्धृत करना	Misquoting of speeches of Chief Minister of Tamil Nadu by Radio Pakistan ..	71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
886. लोदी कालोनी, नई दिल्ली में ओवरहैड टैंकों को बदलना	Repalcement of overhead tanks in Lodi Colony, New Delhi ..	71—72
887. विद्रोही मिजों का बंगला देश पर आक्रमण कर रही पाकिस्तानी सेना के साथ मिल जाना	Collaboration of Mizo Rebels with Pakistani Army invading Bangla Desh ..	72
888. पूर्वी भारत स्थित निष्क्रान्त व्यक्तियों के कैम्प में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना	Setting up of Temporary Health Centre at the Evacuees camp in Eastern India ..	72—73
889. प्रेसीडेन्सी नगरों और उनके उप-नगरों में आवास योजनायें	Housing Plan in Presidency Towns and their suburbs ..	73—74
890. सन् 2000 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि	Increase in India's Population by the year 2000 ..	74
891. कच्छ क्षेत्र में तेल स्रोतों का पाया जाना	Availability of Oil Resources in Kutch Region ..	74
892. खुले बाजार में दवाइयों की अनुपलब्धता	Non-availability of Drugs in Open Market ..	74—75
893. चीन द्वारा आणविक हथियारों का निर्माण सम्बन्धी उपलब्धि	Achievement of Nuclear Armament by China ..	75
894. पश्चिम राजस्थान को उत्तर भारत, पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत से जोड़ने वाली सड़कें	Roads to connect West Rajasthan with North India, West India and South India ..	75
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	75—78
ईछापुर राइफल फैक्टरी के कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना	Firing on the workers of Ichhapur Rifle Factory ..	75—78
पाटलीपुत्र मैडिकल कालेज के बारे में	Re. Pataliputra Medical College	78—79
बांगला देश से आये शरणार्थियों के बारे में	Re. Bangla Desh Refugees	79
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	80—81
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya-Sabha	81—82
भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Indian Telegraph (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha	82
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	82

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

राष्ट्रीय सेना छात्र दल सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee for the National Cadet Corps	..	82
रेलवे बजट 1971-72-सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1971-72—General Discussion	..	82—103
श्री पी० एम० मेहता	Shri P.M. Mehta		83
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V.K. R. Varadaraja Rao	..	83—84
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	..	84—85
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen		85—86
श्री शिवकुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	..	86
श्री जानकी बल्लभ पटनायक	Shri J.B. Patnaik		86—87
श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao	..	87—88
श्री एम० एम० जोजफ	Shri M.M. Joseph	..	88—89
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	..	89—90
श्री श्यामप्रसाद भट्टाचार्य	Shri S.P. Bhattacharyya	..	90
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	..	90—91
श्री विश्वनारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	..	91—92
श्री जे० एम० गौंडर	Shri J. M. Gowder	..	92—93
श्री कादर	Shri Kadar	..	93
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga		93—94
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	..	94
श्री सी० डी० गौतम	Shri C.D. Gautam		94—95
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	..	95
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balkrishniah	..	95
श्री नानूभाई एन० पटेल	Shri Nanubhai N. Patel	..	96
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary		96—97
श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Das	..	97—98
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla		98—99
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai		99—100
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	..	100

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

डा० मेलकोटे	Dr. Melkote		100—101
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	..	101—102
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	..	102—103
श्री राम धन	Shri Ram Dhan	..	103
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	..	104
पहला प्रतिवेदन	First Report		104
कार के मूल्यों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Report of Commission on Car Prices		104—107
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S.M. Krishna	..	104—105
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghanshyam Oza	..	106—107

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 31 मई, 1971/10 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Monday, May 31, 1971/Jyaistha 10, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियों के बारे में विचार गोष्ठी

152. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वाशिंगटन में हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियों के बारे में एक विचार गोष्ठी हुई थी ;

(ख) क्या कई वक्ताओं ने यह कहा कि भारत ने सोवियत संघ को विशाखापट्नम् पर नौसैनिक सुविधायें दी हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा समझा जाता है कि विशाखापट्नम् में सोवियत रूस को सुविधायें बढ़ाने के लिए विचार विमर्श करने के सिलसिले में कुछ ऐसी चर्चा की गई थी ।

(ग) ऐसी टिप्पणियां करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि सदन में पहले ही कहा जा चुका है कि सरकार सभी मित्र देशों के नौसेना जलयान को इसी तरह की सुविधायें देती हैं जिसमें सोवियत रूस को विशाखापट्नम् सहित अन्य भारतीय बन्दरगाहों पर दी गयी सुविधायें भी शामिल हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही उत्तरदायी विचार गोष्ठी हुई थी जिसमें विशेषज्ञ उपस्थित थे और जब उन्होंने इन सुविधाओं को दिये जाने की बात कही तो इसे उत्तरदायित्व की भावना के साथ कहना चाहिए था । क्या सरकार यह बता सकेगी कि उन्होंने कौन सा साक्ष्य उद्धृत किया ? जिस साक्ष्य के आधार पर उन्होंने विचार गोष्ठी में इन बातों का उल्लेख किया उसका भी उन्हें उल्लेख करना चाहिए था ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : वह एक विचार गोष्ठी थी और हमें किसी संदर्भ या साक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसके आधार पर उन्होंने यह टीका-टिप्पणी की परन्तु हम स्वयं जानते हैं कि हमने कोई सुविधा नहीं दी है । इस बात को माना जाना चाहिए । चाहे विदेशियों ने किसी वात का उल्लेख किया हो अथवा न किया हो ।

श्री एच० एम० पटेल : हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार की जिस नीति का मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, क्या वह उसका पुनः उल्लेख करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमने इस वात पर विचार किया है कि बड़ी शक्तियां हिन्द महासागर को तनाव, आपस में प्रतिस्पर्धा और परमाणु अस्त्रों को वहां जमा करने से मुक्त कर दें । यह हिन्द महासागर के चारों ओर स्थित समुद्र तटीय शक्तियों में भारी बहुमत से सर्व सम्मत राय रही है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार को यह जानकारी है कि हिन्द महासागर में कौन सी शक्ति का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि बेड़े की उपस्थिति कुछ ऐसी होती है जो परिवर्तनशील है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे संगत नहीं है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार ने चीन द्वारा पाकिस्तान के साथ मिल कर की जा रही तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर गौर किया है जिससे हिन्द महासागर में हमारी स्थिति पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी जानकारी के अनुसार इस समय हिन्द महासागर में चीन की उपस्थिति अधिक नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : विचार गोष्ठी की सर्व सम्मति कौन सी है और भारत के वारे में इसका क्या विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे किसी सर्व सम्मति की जानकारी नहीं है क्योंकि विचार गोष्ठियां विचार गोष्ठियां ही होती हैं और उनमें बहुत मुश्किल से ही सर्व सम्मति होती है । वे शैक्षिक चर्चायें में होती है ।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या सरकार का ध्यान आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि हिन्द महासागर में रूस के जहाज जमा हो रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : खुले समुद्रों की स्वतंत्रता के सुगठित सिद्धान्त के अनुसार हिन्द महासागर

में रूस तथा अन्य देशों के नौसैनिक जहाज गश्त लगाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री पी० के० देव : श्री चावड़ा द्वारा उद्धृत मेरे विवरण पर मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देश की सुरक्षा को प्रभावित करता है। जब से ब्रिटेन की नौसेना ने स्वेज की पूर्व दिशा से हटने का निर्णय लिया है, तभी से हिन्द महासागर में शून्य को भरने के लिये विभिन्न शक्तियों में एक होड़ लगी हुई है। मेरे पास कुछ चित्र लाये गये हैं और मैं जानना चाहूंगा कि यदि ये चित्र दक्षिणी अफ्रीका के रक्षा मंत्रालय द्वारा लिये गये हैं—शायद उप-ग्रहों द्वारा लिये गये चित्र हैं जो अक्षांश और देशान्तर····

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर आप से सारी बातें कैसे पूछ सकते है ? कृपया एक अलग प्रश्न के लिए सूचना दीजिये।

श्री पी० के० देव : सम्पूर्ण हिन्द महासागर में रूसी झंडे लहरा रहे हैं और जहां तक उनके बियरिंग का सम्बन्ध है, वे विशेष रूप से एक विशेष क्षेत्र की ओर इंगित करते हैं जो दक्षिणी यमन का बन्दरगाह सोकोत्रा है। क्या रक्षा मंत्रालय इन चित्रों की प्रामाणिकता सत्यापित करेगा ? मैं आपकी अनुमति से उन्हें सभा-पटल पर रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। अगला प्रश्न। श्री बनर्जी—

श्री एस० एम० बनर्जी : तस्वीरें मेरे पास भेज दीजिए।

श्री पी० के० देव : उनकी तरह से मेरी किसी और देश में आशा नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनको अपने शब्द वापस लेने चाहियें। मेरी किसी और देश में आस्था नहीं है। मैं भूतपूर्व शहजादों की अपेक्षा अपने देश की अधिक देशभक्त हूं। वे ब्रिटिश-वासियों को लिखेंगे और भारतीयों को नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शब्द कहना ठीक नहीं है। आपके पास कुछ अच्छे चित्र हो सकते हैं। वह आप उन्हें मंत्री महोदय को दे दें। वह आप हर एक को और मुझे भी दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न।

आर्डनेन्स फैक्ट्रियों में कार्यभार की कमी

*153. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डनेन्स फैक्टरी, शाहजहांपुर, आर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर, पैराशूट फैक्टरी, कानपुर और क्लोदिंग फैक्टरी, अवाडी के कुछ कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य-भार में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन फैक्टरियों में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या इन आर्डनेन्स फैक्टरियों के हितों की रक्षा के लिए निजी क्षेत्र को काम दिया जाना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य (रक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) : सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इस समय आर्डनेन्स पैराशूट फैक्टरी, कानपुर और आर्डनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी, अवाडी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके पास कोई काम हो लेकिन क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर और आर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर में कुल 1040 कर्मचारी निष्क्रिय समय पर रखे जा रहे हैं ।

(ख) काम न होने का उपर्युक्त मामला मुख्य रूप से सेनाओं की मांग कम हो जाने के कारण तथा कुछ वस्तुओं की अस्थायी कमी के कारण है ।

(ग) क्लोदिंग फैक्टरियों को काफी काम देने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं ।

रक्षा सेवाओं के लिए टेंटों, दरियों आदि मदों के उत्पादन को शुरू करके उत्पादन में परिवर्तन लाया गया है । कुछ अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थानों से वस्त्र/मिली हुई वस्तुओं के आर्डर प्राप्त करने में कुछ सफलता मिली है और इस दिशा में और प्रयत्न जारी हैं । देश में बेचने तथा निर्यात करने के लिए तैयार वस्त्रों के निर्माण कार्य को हाथ में लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । जहां तक सामग्री की अस्थायी कमी का सम्बन्ध है उसके लिए अग्रता के आधार पर उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न में तेजी लायी जा रही है ।

(घ) आर्डनेन्स कारखानों के उत्पादन की किसी भी मद को वाह्य व्यापार को नहीं दिया जाता है । दूसरी ओर टेंटों और दरियों जैसी कुछ वस्तुओं के आर्डर जो परम्परागत रूप से निजी क्षेत्र को दिये जाते रहे थे, अब इन कारखानों की क्षमता के लाभ-प्रद प्रयोग की दृष्टि से इन आर्डनेन्स कारखानों को दिये जा रहे हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण में कहा गया है :

"इस समय आर्डनेन्स पैराशूट फैक्टरी, कानपुर और आर्डनेन्स क्लोदिंग फैक्टरी, अवाड़ी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके पास कोई काम न हो । लेकिन क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर और आर्डनेन्स इक्विपमेंट फैक्टरी, कानपुर में कुल 1040 कर्मचारी निष्क्रिय समय पर रखे जा रहे हैं ।"

क्या यह सच है कि रेलवे और डाक तथा तार विभाग द्वारा ठेकेदारों को दिया गया कार्य आर्डनेन्स फैक्टरियों को नहीं दिया जाता है जबकि उनमें निष्क्रिय क्षमता भी है ? रक्षा मंत्रालय ने रेलवे और डाक तथा तार विभाग को आर्डनेन्स फैक्टरियों को आदेश देने के लिये कहने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने रेलवे और डाक तथा तार विभाग से इस सम्बन्ध में आदेश देने को कहा है परन्तु रेलवे की अपनी कटाई की दुकानें और सहकार संघ हैं जहां रेलवे कर्मचारियों के परिवार के सदस्य यूनिफार्म सीने का काम करते हैं । परन्तु उसके बावजूद भी रेलवे ने हमारी क्लोदिंग फैक्टरी को कुछ आदेश दिये हैं । महानिदेशक, डाक तथा तार ने भी लगभग 12 लाख

डाक थैलों के लिए आर्डनेन्स फैक्टरियों को आदेश दिया है । हमने भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से भी बातचीत की है जिन्हें कपड़ों की आवश्यकता है और हम जितनी सफलता चाहते थे उतनी सफलता तो नहीं मिली है परन्तु सरकारी विभागों से हमें अच्छा उत्तर मिल रहा है और हम इस कठिनाई पर शीघ्र ही काबू पाने की आशा करते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र से टेन्टों और दरियों के लिये मांग की गई है, यद्यपि विवरण में इसका उल्लेख है :

"दूसरी ओर टेंटों और दरियों जैसी कुछ वस्तुओं के आर्डर जो परम्परागत रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाते रहे थे, अब इन कारखानों की क्षमता के लाभ-प्रद प्रयोग की दृष्टि से इन आर्डनेन्स कारखानों को दिये जा रहे हैं।"

क्या यह सच है कि न केवल 50 प्रतिशत आर्डर आर्डनेन्स फैक्टरियों को दिये जाते हैं परन्तु छोटे छोटे उत्पादकों को भी दे दिये जाते हैं जो आवश्यकता के समय सरकार को कठिनाई में डाल देते हैं ? ऐसे समय में जबकि हमारे देश को चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या आर्डनेन्स फैक्टरियों की पूरी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है ताकि कोई निष्क्रिय समय न रहे और भविष्य में किसी कर्मचारी की छंटनी न की जाये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : किसी कर्मचारी की छंटनी करने की हमारी नीति नहीं है । अतः उस बात पर माननीय सदस्यों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक टेंटों और दरियों के परम्परागत रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाने का प्रश्न है, हमने अपनी आर्डनेन्स फैक्टरियों को आर्डर देने की शुरुआत कर दी है । हमने आर्डनेंस फैक्टरियों से इन वस्तुओं का उत्पादन करने को कह दिया है और इन वस्तुओं का उत्पादन उक्त फैक्टरियों में आरम्भ हो गया है । अब तक इन आर्डनेन्स फैक्टरियों में इस वस्तु का उत्पादन नहीं होता था क्योंकि उनकी कुछ बुनियादी कठिनाइयां थीं । वे इन कठिनाइयों पर काबू पा रहे हैं । हम क्लोदिंग फैक्टरियों में उत्पादन की वृद्धि के लिये उपाय कर रहे हैं ताकि निष्क्रिय समय न रहे और कर्मचारियों को काम में लगाया जा सके ।

पाकिस्तान को चीन से हथियार

*154. **श्री समर गुह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल में स्वाधीनता संग्राम के प्रारम्भ होने के बाद चीन ने पाकिस्तान को अतिरिक्त हथियारों की सप्लाई की है ;

(ख) क्या किसी अन्य देश ने भी इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान को हथियार दिये हैं ; और

(ग) क्या भारत के साथ युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में, चीन ने पाकिस्तान को किसी प्रकार की सीधी सहायता देने का आश्वासन दिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य (रक्षा उत्पादन) मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस अवधि के दौरान किसी अन्य देश द्वारा अतिरिक्त शस्त्रों की सप्लाई के बारे में सरकार को सूचना नहीं है ।

(ग) प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई के द्वारा 12-4-71 को एक संदेश राष्ट्रपति याह्या खान को भेजा गया था कि यदि भारत उसके विरुद्ध आक्रमण करता है तो चीन पाकिस्तान को "सदा पूर्ण सहायता" देगा ।

श्री समर गुह : अमरीका और चीन के बीच पिंग पोंग टीम की अदल-बदल और अमरीका द्वारा चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ मे स्थान दिलाने के प्रयास को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने चीन द्वारा पाकिस्तान को दी गई हथियारों की सप्लाई की ओर अमरीका का ध्यान दिलाया है, जिसका बंगला देश के स्वाधीनता संग्राम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? क्या भारत सरकार द्वारा हाल ही में विश्व की शाक्तियों को भेजा गया नोट चीन को भी भेजा गया था ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अमरीका के अधिकारी स्थिति से पूर्णतया अवगत हैं और जब उन्होंने इस मामले पर हमारे साथ चर्चा की थी तब प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया था । अतः यह कहना सही नहीं है कि वर्तमान बंगला देश के संकट के समय चीन जो भूमिका अदा कर रहा है उससे वे अनभिक्ष हैं । जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, इसने विश्व की शक्तियों, विशेषकर बड़ी शक्तियों को बंगला देश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराये रखने का भरसक प्रयास किया है ।

श्री समर गुह : क्या उक्त नोट चीन को भी भेजा गया है ? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह रक्षा और विदेश दोनों मंत्रालयों को एक साथ ले रहे हैं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यहां दोनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : हमने कोई परिपत्र या नोट जारी नहीं किया है । मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य किस नोट के बारे में कह रहे हैं ।

श्री समर गुह : बंगला देश में हो रही घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने विश्व की सभी बड़ी शक्तियों को नोट भेजे हैं । मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या चीन को कोई नोट, चाहे वह परिपत्र के रूप में हो अथवा नोट के रूप में, भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न चीन के प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये विवरण के सम्बन्ध में है ।

श्री समर गुह : यह बहुत स्पष्ट प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट होने के साथ-साथ अस्पष्ट भी है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है परन्तु माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है उससे यह सम्बन्धित नहीं है । यदि वह कोई विशेष प्रश्न पूछते तो संभवतया विदेश मंत्री उन्हें विशेष उत्तर दे सकते थे ।

श्री समर गुह : श्रीमन्, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न व्यवस्था के प्रश्न के बारे में पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री इसका उत्तर कैसे दे रहे हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : वह अब रक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं।

श्री समर गुह : मुझे अत्यंत खेद है। मैं क्षमाप्रार्थी हूं।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान चीन की सहायता से अपनी सेना के दो डिवीजन बढ़ा रहा हैं, यदि हां, तो पाकिस्तान में सेना को इस प्रकार सबल करना क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सन्तुलन की अस्त व्यस्त करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक साधारण से प्रश्न पर बहुत बातें पूछ रहे हैं।

श्री समर गुह : वह चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की सप्लाई का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय : आप सेना के डिवीजनों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह : उसका इस प्रश्न से सीधा सम्बन्ध है। चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और इस बारे में सरकार क्या कर रही है। मुझे यह जानने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : वह हथियारों की सप्लाई के बारे में उत्तर दे सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सर्व विदित है कि चीन इस मामले में पाकिस्तान के लिये सहृदय रहा है। उसने यह भी घोषणा की है कि भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जा रही कथित धमकी अथवा वर्तमान कठिनाइयों को जीतने के लिए जो सहायता पाकिस्तान को आवश्यक होगी वह सहायता वह पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। हमें यह जानकारी मिली है और यही बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है।

श्री समर गुह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने यह स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या पाकिस्तान में चीनी हथियारों की सहायता में सेना के दो डिवीजन और बढ़ाये जा रहे हैं, यदि हां, तो क्या उसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस प्रश्न को असंगत घोषित कर दिया। वह इसका उत्तर देने के लिये वाध्य नहीं हैं।

श्री समर गुह : मेरी समझ में नहीं आता कि इससे अधिक संगत प्रश्न और क्या होगा। आप मेरी मदद करें। यह बहुत ही संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। श्री स्वामीनाथन्।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर यह प्रश्न उठता है और मैं यह पूछना चाहता हूं कि बहु प्रचारित माओ की मुस्कान के पश्चात् चीन के प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था और क्या इस मुस्कान से चीन के रूख में कोई नरमी आई है अथवा इस मुस्कान का अर्थ रूख में गंभीरता या कड़ाई के रूप में लिया जा सकता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सभी को अच्छी तरह मालूम है कि भारत और चीन के सम्बन्ध अमैत्रीपूर्ण है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, my question relates to last (b). Was there any supply of armaments by any other country to Pakistan during this period ? Is it a fact that the armaments which were supplied to Pakistan by Britain, America and Soviet Russia as a safeguard against any foreign aggression, are being used against the people of Bangla Desh ? Has any formal official letter or protest been sent to these countries by Government of India ? If so, what is their reply ? Is it also a fact that British Prime Minister, Shri Heath has turn down our request of stopping aid to Pakistan ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है । मूल प्रश्न शस्त्रों की सप्लाई के बारे में है····

Shri Atai Bihari Vajpayee : I am also talking about supply of arms.....

अध्यक्ष महोदय : (ख) भाग इस प्रकार है :

"(ख) क्या किसी अन्य देश ने भी इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान को हथियार दिये हैं।"

आप उस वक्तव्य की बात कर रहे हैं जो आज समाचार-पत्रों में छापा है।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : प्रश्न यह है कि क्या पूर्वी पाकिस्तान की उथल-पुथल के बाद किसी देश ने पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई किये हैं। माननीय सदस्य महोदय बंगला देश की उथल-पुथल आरम्भ होने से पहले विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये शस्त्रों के बारे में क्या जानना चाहते हैं·····

श्री समर गुह : आपने प्रश्न को नहीं पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि "जबसे बंगला देश में उथल-पुथल आरम्भ हुई है तब से"। उसके पहले की बात भला कैसे हो सकती है ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य को कुछ धैर्य रखना चाहिए। बंगला देश की उथल-पुथल आरम्भ होने के बाद पाकिस्तान को किन-किन देशों ने शस्त्र सप्लाई किये हैं। मैं श्री बाजपेयी जी के इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उनका प्रश्न यही है कि क्या इन शस्त्रों को बंगला देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बंगला देश की उथल-पुथल आरम्भ होने के बाद किसी देश ने पाकिस्तान को शस्त्र दिये हैं या नहीं। इसके सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो कुछ मंत्री महोदय ने अभी फरमाया है, उसी के सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

"अमरीकी कांग्रेस की एक संयुक्त समिति के समक्ष बयान देते हुये, भारत में अमेरिका के भूतपूर्व राजदूत श्री चैस्टर बेल्स ने पाकिस्तान द्वारा हाल ही के वर्षों में अतिरिक्त टैंक प्राप्त करने के प्रयासों का उल्लेख किया और यह बताया कि अमरीका सरकार ने एक एक करके पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, इटली, और अन्ततः टर्की की, पाकिस्तान को मामूली कीमत पर 100 अमरीकी टैंक बेचने के लिए कहा।"

मैं एक और बात उद्धृत करना चाहता हूं :

"अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों सम्बन्धी समिति के एक सदस्य ने कल यह दोषारोपण किया कि अमरीका द्वारा सप्लाई किये गये हथियारों से ही पूर्वी बंगाल में नरसंहार सम्भव हो सका है और मांग की कि अमरीकी हथियारों के निर्यात पर कड़ी पाबन्दी लगा दी जाये।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है और यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय मंत्री महोदय श्री वाजपेयी के प्रश्न का उत्तर देते समय पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बंगला देश को उथल-पुथल आरम्भ होने से पूर्व जो हथियार दिये गये थे, उनका इस प्रश्न से कोई सम्बंध नहीं है। माननीय सदस्य महोदय ने बंगला देश की उथल-पुथल के बाद पाकिस्तान को जो हथियार दिये गये हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा है। अतः यह प्रश्न निश्चय ही इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने जब यह कहा कि यह नरसंहार अमरीकी हथियारों की सप्लाई के कारण ही सम्भव हो सका और मेरे प्रश्न का सम्बन्ध भी इसी बात से है। वह अन्य देशों में यह प्रचार कर रहे हैं कि उन्हें पूर्वी पाकिस्तान के नरसंहार के लिये मामूली कीमत पर अपने हथियार बेचने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

चौथी योजना-अवधि में औषधियों की मांग

*155. **श्री श्यामनन्दन मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना-अवधि के दौरान औषधियों की मांग में किस दर से वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(ख) मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चौथी योजना-अवधि के अन्तर्गत औषधियों की मांग के प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 प्रतिशत की दर से बढ़ जाने की आशा है।

(ख) **औषधियों एवं भेषजों की** विकास परिषद् ने 1970 में चौथी योजना अवधि के दौरान विभिन्न औषधियों एवं **भेषजों** की मांग के कुछ **पुनरीक्षित मूल्यांकन** दिये हैं। इन मूल्यांकनों की **तकनीकी विकास महानिदेशालय** तथा **स्वास्थ्य मंत्रालय** के परामर्श से समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के आधार पर निर्माताओं से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् **गुण दोष** के आधार पर वर्तमान कारखानों में विस्तार करने अथवा नयी क्षमताएं स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। जहां आवश्यक हो अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के लिए इनका आयात भी किया जाता है। कुछ अत्यावश्यक **प्रपुंज औषधियों** एवं **मध्यवर्ती पदार्थों** का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार का इस कार्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का कोई विचार है और यदि हां, तो यह आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर ली जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : कुल 250 करोड़ रुपये के उत्पादन में से केवल 12 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है और इसमें भी हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाले हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार का इसे निकट भविष्य में समाप्त करने का विचार है।

श्री पी० सी० सेठी : फार्मास्यूटिकल्स के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमने इसकी आधारभूत औषधियों के बारे में अभी इतनी प्रगति नहीं की है। अतः इसके लिए हमें इसका आयात करना पड़ता है। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम 12 करोड़ रुपये की औषधियों का आयात कर रहे हैं, वहां 8 करोड़ रुपये की औषधियों का निर्यात भी करते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोगों में इस बात के प्रति भारी रोष है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा जिन औषधियों का आयात किया जाता है उनके लिए भारी कीमत वसूल की जाती है और जो कच्चा माल राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया था वह उसके भंडार में अभी तक पड़ा है क्योंकि वह आवश्यकता से अधिक मंगवाया गया था।

श्री पी० सी० सेठी : जब औषध मूल्य नियन्त्रण लागू किया गया था तो उसके फलस्वरूप कुछ औषधियों की कमी हो गई थी और हमें कुछ औषधियां राज्य व्यापार निगम के जरिये विदेशों से मंगवानी पड़ी थी। राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधियां भारतीय औषध तथा फार्मेस्युटिकल्स के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ताओं को बेची जा रही है ताकि विभिन्न स्वदेशी निर्माणकर्ताओं द्वारा मूल्यों में समानता लाई जा सके और इसकी सम्भावना है कि ऐसा करने से कुछ मूलभूत औषधियां की कीमतें अधिक हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? राज्य व्यापार निगम द्वारा जिस कच्चे माल का आयात किया गया था वह भंडार में व्यर्थ पड़ा है क्योंकि उसका आयात आवश्यकता से अधिक किया गया था।

श्री पी० सी० सेठी : ट्रैट्रासाईक्लीन जैसी कुछ औषधियां अभी स्टाक में इसलिए पड़ी हैं कि जब इनका आयात किया गया तो इनकी कमी थी परन्तु जब आयात हो गया तो स्वदेशी उत्पादन में भी वृद्धि हुई और इसीलिए ट्रैट्रासाईक्लीन जैसी कुछ औषधियां इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के स्टाक में पड़ी हैं।

श्री सोमचन्द सोलंकी : कुछ चिकित्सा सम्बन्धी औषधियां ऐसी भी हैं जिन्हें विदेशों से मंगवाया जाता है, उन्हें परिवर्तित करके, फिर विभिन्न देशीय नामों से बेचा जाता है। इसी के फल-स्वरूप कीमतों में बड़ा अन्तर है। क्या सरकार देश में ही ऐसी औषधियों तथा चिकित्सा का उत्पादन करने का विचार कर रही है ताकि हमें इन चिकित्सकीय औषधियों का परिवर्तन न करना पड़े।

श्री पी० सी० सेठी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि निरूपण तो हजारों होते हैं। जहां तक उन आधारभूत और आवश्यक औषधियों का प्रश्न है जिनकी हमारे देश के लिए आवश्यकता है, उनमें से अधिकांश का उत्पादन हमारे देश में किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह में और पिछले सत्र में हम प्रतिदिन आठ या दस प्रश्न से अधिक नहीं निपटा पाये हैं। अब मैं प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में तीन या चार से अधिक अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नही दूंगा ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा की जा सके। जिन सदस्यों के प्रश्नों पर चर्चा नहीं की जा सकती या जिनकी बारी नहीं आती, उन्हें यह बहुत बुरा लगता है। अतः हम अधिक प्रश्न निपटाने का प्रयत्न करेंगे। अतः प्रश्नों की संगति जांचने और अनुपूरक प्रश्नों के लिए समय देते समय अब मुझे कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अतः माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने अनुपूरक प्रश्नों के लिए अधिक दबाव मत डालें क्योंकि हमें अधिक प्रश्न निपटाने होते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, we cannot have uniform rule for all questions because there are questions which are more important.

श्री एस० एम० बनर्जी : यह तो प्रश्न के महत्व पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न को महत्वपूर्ण बना देते हैं। सदस्य महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि वह अपनी इस आदत पर अड़ेंगे नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड ने हाल ही में 2.5 करोड़ रुपये की औषधियों का आयात किया था और अब उन्हें यह स्टाक बेचना दूभर हो रहा है क्योंकि औषधि निर्माता स्टाक उठाने के लिए तैयार नहीं है। यद्यपि यह भी सच है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 200 करोड़ रुपये से भी अधिक का औषध व्यापार होता है। क्या यह भी सच है इन औषधियों का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने कोई विश्व टेंडर नहीं मांगे या विश्व पूछताछ नहीं की बल्कि उसने सीधे ही प्राईवेट बातचीत आरम्भ कर दी जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें उसके लिए अधिक मूल्य देना पड़ा है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक कुछ आधारभूत औषधियों जैसे टेट्रासाईक्लीन जिनका कि आयात किया गया था अब यह इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड के पास पड़ी है।

राज्य व्यापार निगम ने जो औषधियां खरीदी है उनके बारे में इस समय मुझे पूरी जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें वेचने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्हें वेचने के लिए हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार के विरुद्ध नेपाल को भेजा गया विरोध-पत्र

*156. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार के सम्बन्ध में भारत सरकार ने नेपाल सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो नेपाल में पाकिस्तानियों द्वारा भारत के विरुद्ध किये जाने वाला यह प्रचार किस प्रकार का है; और

(ग) नेपाल सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कीगई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) काठमाण्डू स्थित हमारे राजदूतावास ने काठमाण्डू में पाकिस्तानी राजदूतावास द्वारा किए जाने वाले भारत-विरोधी प्रचार के प्रश्न को नेपाल सरकार के साथ उठाया है।

(ख) नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूतावास के दो प्रकाशन 'पाकिस्तान समाचार' और 'पाकिस्तान न्यूज' भारत-नेपाल के बीच व्यापार और मार्ग संबंधी नई संधि की वार्ता के विषय में निराधार आरोप लगा-लगा कर भारत और नेपाल के बीच विद्यमान मित्रतापूर्ण संबंधों में जहर घोलने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तानी प्रेस विज्ञप्तियों में भी भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ **'आक्रामक मन्सूबे'** रखने का आरोप लगाया गया है।

(ग) हमारे विरोध प्रदर्शन के उत्तर में नेपाल सरकार ने कहा है कि उन्होंने हमारे विरोध-प्रदर्शन को नोट कर लिया है और वह संबद्ध मिशन से समुचित निवेदन करेगी कि वह नेपाल में कोई भी ऐसी सामग्री प्रचारित न करे जो नेपाल के किसी भी मित्र देश के प्रतिकूल हो और जिससे नेपाल और उसके मित्र देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के बारे में किसी तरह की गलतफहमी का कोई मौका आए।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि नेपाल और पाकिस्तान के बीच, विशेषतः भारत और नेपाल के बीच लम्बी चलने वाली असफल ब्यापार वार्ता, के पश्चात् घनिष्ठता बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी प्रचार और भारत-विरोधी अभियान के साथ-साथ नेपाल सरकार ने शत्रुतापूर्ण रवैया प्रदर्शित किया है और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : आप की यह बात भले ही सत्य हो कि पाकिस्तान और नेपाल के आपसी सम्बन्ध मित्रता पूर्ण है और यह मित्रता बढ़ भी रही है। परन्तु हमारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है

कि जिस के आधार पर यह कहा जा सके कि नेपाल के साथ हमारे सम्बंध मित्रतापूर्ण नहीं हैं ; वह हमारे साथ भी पूर्णतया मित्रतापूर्ण है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस सम्बध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, नेपाल के औद्योगिक विकास मंत्री और श्री कीर्ति निधि बिष्ट के उस अमैत्रीपूर्ण वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होनें व्यापार वार्ता की असफलता के अवसर पर दिया । मैं मंत्री महोदय का ध्यान नेपाली सरकार के इन दोनों नेताओं के वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले सदस्य महोदय को स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने "टूटने" या "असफल होने" के शब्दों का गलत प्रयोग किया है । नेपाल के साथ अभी हमारी वार्ता असफल नहीं हुई है । चर्चा के दौरान कुछ समस्यायें उठायी गई थीं जिनका अब समाधान किया जा रहा है और हमें पूरी आशा है कि हमारी वार्ता शीघ्र ही फिर आरम्भ हो जायेगी । जहां तक नेपाली वक्ताओं के अमैत्रीपूर्ण वक्तव्य का प्रश्न है, उसमें तो केवल वार्ता की धीमी प्रगति के बारे में निराशा व्यक्त की गई है परन्तु मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के वक्तव्यों को अमैत्रीपूर्ण कहा जा सकता है ।

Shri R. S. Pandey : Mr. Speaker, Sir, Nepal and India are friends and will remain friends. But I would like to know the reaction of the Nepalese Government on the anti-India Propaganda of Pakistan Embassy in connection with East Bengal ?

Shri Surendra Pal Singh : It is fact that from the time the Bangla Desh problem was there, the anti-India Propaganda by Nepal was on increase but when we took up this matter with Nepal Government, it has decreased.

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, it is a fact that one of the reasons for dead-locking the Nepal-India Trade negotiations was that Nepal wanted the facility of carrying goods to Pakistan, which could not be provided due to sore relations between India and Pakistan. But now in view of the Bangla Desh genocide, will such an agreement between India and Nepal be possible ?

अध्यक्ष महोदय : इस का मूल प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री : पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार के बारे में काठमाण्डु स्थित हमारे राजदूतावास ने केवल विरोध प्रकट करने के अतिरिक्त, क्या हमारे देश का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए कोई और सक्रिय कार्यवाही भी की है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : काठमाण्डु स्थित हमारे दूतावास ने पाकिस्तानी प्रचार का खंडन करने के लिए प्रचार के कुछ माध्यम अपनाये हैं ताकि नेपाल के लोगों के समक्ष इस देश का सही चित्र प्रस्तुत किया जा सके ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक बंधन हैं परन्तु हो सकता है , नेपाल के प्रति हमारी नीति में कोई त्रुटि हो । सम्भवतः इसीलिए नेपाल हमारे से दूर हटता चला जा रहा है । क्या मंत्री महोदय यह बतायेगें कि यह त्रुटि क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है ।

श्री समर गुह : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कलकत्ता से सभी समाचार पत्रों में छपे इस

वक्तव्य की ओर गया है जिस में कहा गया था कि पूर्वी बंगाल के दीनाजपुर, रंगपुर तथा अन्य अनेक जिलों में कई हजार नेपाली नागरिकों को पाकिस्तानी फौजों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या हमारे राजदूतावास द्वारा इस ओर नेपाली सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : नेपाली नागरिकों के साथ बंगला देश में क्या बर्ताव हो रहा है, नेपाल सरकार इससे भली भांति परिचित हैं और हमें इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री समर गुह : क्या पाकिस्तानी प्रचार का विरोध करना, वहां स्थित हमारे राजदूतावास का कतर्व्य नहीं है ? हमारी दूतावास वहां किस कार्य के लिए है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार व्यवधान डालने वाले सदस्यों के लिए मुझे कोई हल खोजना पड़ेगा । पिछली संसद् के दौरान एस्परीन लेकर मैं इस पर काबू पा लिया करता था लेकिन इस संसद् में नहीं ।

श्री समर गुह : आपको हमारे अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इनसे पुन : आग्रह करूंगा कि बार-बार व्यवधान न डालें ।

श्री समर गुह : मैं सदैव आपके आदेश का पालन करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मजबूर न करें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, you have said that you had been taking Aspirin. It is likely to become a part of history since it will go on record. It will be a curse on us if you take Aspirin when we are Members of this House.

अध्यक्ष महोदय : यह पुरानी कहानी प्रोफेसर समर गुह ही के लिये लागू होती है, किसी अन्य सदस्य के लिये नहीं । यह कहानी पिछली ससंद् की है, वर्तमान संसद् की नहीं ।

श्री पी० के० देव : क्या यह सच है कि भूतल से घिरा नेपाल नौवहन निगम बनाने के प्रलय में कलकत्ता में बंदरगाह की सुविधाऐं चाहता था जो इसे नहीं मिली और उन्होंने अपनी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति प्रकट की ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये आज्ञा नहीं देता ।

ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन

*157. **श्री बालतन्डायुत्तम :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका स्थित भारतीय राजनयिक कर्मचारियों के परिवारों के प्रत्यावर्तन के भारत के प्रयत्नों को पाकिस्तानी अधिकारियों ने विफल करने का प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन भारतियों के प्रत्यावर्तन के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी हां।

(ख) इस मामले में सरकार पाकिस्तान सरकार से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं। नई दिल्ली में कुछ मित्र देशों के राजदूतों से भी सरकार इस विषय पर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

श्री बालतन्डायुत्तम : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हम अब भी यही विश्वास किये बैठे हैं कि पाकिस्तान राजनयिक शिष्टाचार का पालन करेगा ? पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुऐ क्या सरकार के लिये अधिक सख्त कार्यवाही करना जरूरी नहीं और श्री मसूद को बंगला देश के प्रति निष्ठा प्रकट करने वाले लोगों से मिलने की छूट देकर सरकार द्वारा बदले की भावना से काम न करने का क्या कारण है ? यदि आप इतने सहनशील हैं तो आप यह आशा कैसे रखते हैं कि आपकी धमकियों की कोई कीमत है।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कलकत्ता में पाकिस्तान के भूतपूर्व उप-उच्चायुक्त उन लोगों के घर इन्टरव्यू के लिये गये जो कलकत्ता स्थित मूल पाकिस्तान उप-उच्चायुक्त से सम्बंधित थे, वास्तव में यह सुझाव पाकिस्तान का ही था कि वे निष्ठा बदलने वाले लोगों का इन्टरव्यू यह मालूम करने के लिये लेना चाहते हैं कि उन्होंने निष्ठा सचमुच बदली है या नहीं। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कलकत्ता स्थित पाकिस्तान उप-उच्चायुक्त ने कोई ऐसा इन्टरव्यू लिया है।

श्री बालतन्डायुत्तम : आप उनके लोगों को कलकत्ता में नजरबंद क्यों नहीं कर रहे जबकि वे हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं ? हम बदले की भावना से काम क्यों नहीं ले रहे हैं ? हमारे रास्ते में क्या बाधा है ? हम संकोच क्यों कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त तथा कर्मचारियों को कार्य करने की मनाही कर दी गयी है और इसी प्रकार कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त भी कार्य नहीं कर रहा है। वास्तव में हम अपने लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं और उनके आदमियों को वापिस भेजना चाहते हैं और इस बारे में बातचीत चल रही है। उनके लोगों पर यहां सख्तियां करना आसान है लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य अपने लोगों को बाहर निकालना है।

श्री बी० के० दासचौधरी : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि हमारे ढाका स्थित उप-उच्चायुक्त के लोगों को काम करने की मनाही है। वास्तव में मंत्री महोदय ने चाहे न भी कहा हो, उन्हें वहां नजरबंद किया गया है लेकिन कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त को उन लोगों से इन्टरव्यू करने की स्वीकृति दी गयी है जो बंगला देश मिशन में काम कर रहे हैं। श्री मेहदी मसूद से ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से किया जाता है। एक ओर तो हमारे लोगों को ढाका में काम नहीं करने दिया जा रहा है और दूसरी ओर यहां हम इनसे विशिष्ट व्यक्ति सरीखा व्यवहार कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित करने तथा उन्हें शीघ्र ही बाहर निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : अब वे कलकत्ता में पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त नहीं रहे। उप-उच्चायुक्त कार्यालय अब वहां बंद हो गया है। आपको बार-बार इस प्रश्न पर जोर देने के स्थान पर इस पेचीदा समस्या को समझना चाहिये।

श्री बी० के० दासचौधरी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। उनसे विशिष्ट व्यक्ति सरीखा व्यवहार क्यों किया जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : विशिष्ट व्यक्ति सरीखा व्यवहार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जेनेवा कानवेन्शन के अनुसार हम वचनवद्ध हैं कि उन्हें.....

श्री एस० एम० बनर्जी : डम डम हवाई अड्डे पर उन्हें विशिष्ट व्यक्ति के कमरे में रखा गया क्योंकि उनके लिये कलकत्ता में कोई और स्थान नहीं था।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि उनके लिये कलकत्ता में कोई स्थान नहीं था तो सरकार को उनकी रक्षा करनी ही थी और जो भी प्रबंध हमने किया, किसी को उसका विरोध नहीं करना चाहिये।

श्री पी० के० देव : उन्हें कलकत्ता में उड़ीसा भवन में रखा गया।

श्री त्रिदिब चौधरी : पाकिस्तान सरकार ने यह विवाद पैदा किया है कि जब तक श्री मसूद को भूतपूर्व उच्चायुक्त के उन कर्मचारियों, जिन्होंने बंगलादेश के प्रति निष्ठा प्रकट की है, से भेंट न करने दिया जायेगा, उस समय तक वे वापसी की बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या हमने यह बात कही है कि चूंकि कलकत्ता स्थित पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त के कार्यालय को बन्द करने का निर्णय पाकिस्तान ने लिया, इस लिये श्री मसूद को हस्ताक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और वे इन्टरव्यू की मांग नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मांग पर ही उप-उच्चायुक्त का कार्यालय बंद किया गया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मूल प्रश्न यह नहीं है कि श्री मसूद को क्या उनसे इन्टरव्यू करना चाहिये। अगर हम कानूनी दृष्टिकोण से चलें तो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त किसी अन्य व्यक्ति को इन्टरव्यू करने के लिये भेज सकता है। यह मूल प्रश्न नहीं है। हम जो कुछ कहते आये हैं वह केवल यही है कि हम न तो उन लोगों के रास्ते में बाधा डालना चाहते हैं जो भारत में रहना चाहते हैं और न ही उन लोगों के रास्ते में आना चाहते हैं जो बंगला देश का प्रतिनिधित्व करते हुऐ श्री मसूद या किसी अन्य व्यक्ति से मिलना चाहते हैं।

पंजाब में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की डाक्टरी चिकित्सा

*158. **डा० सरदीश राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में अपने कर्मचारियों की डाक्टरी चिकित्सा के बारे में नये आदेश जारी किये थे कि चीफ मेडिकल आफिसर की सलाह के बिना वे सिविल अस्पतालों में अपनी सीधी डाक्टरी चिकित्सा नहीं करा सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने पंजाब में कार्य करने वाले कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा प्रकट किये गये विरोध की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियामावली के अनुसार, कोई भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह लिए बिना राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे किसी भी सिविल अस्पताल में चिकित्सीय देखभाल । उपचार करा सकता है । यदि किसी मामले में कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी किसी विशिष्ट संस्थान में उपचार कराना चाहता है तो ऐसा उपचार केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भेजे जाने पर प्राप्त कर सकता है ।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है भारत सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए हैं जिनके अधीन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किसी सिविल अस्पताल में सीधे ही उपचार कराने पर रोक लगाई गई हो । किसी सरकारी संगठन से इस सम्बन्ध में कोई विरोध पत्र भी नहीं आया है । जहां तक चंडीगढ़ का संबंध है, एक ऐसा अभ्यावेदन मिला था जिसमें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का उपचार सीधे ही किए जाने की मांग की गई थी । इस अभ्यावेदन पर विचार किया गया, लेकिन इस मांग को मंजूर नहीं किया गया क्योंकि चंडीगढ़ के सेक्टर-16 में एक सिविल अस्पताल पहिले से ही चल रहा है ।

डा०सरदीश राय : स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में यदि अब तक उपचार करने की स्वीकृति प्रदान की हुई थी तो इसे सरकार ने किस कारण से वापिस लिया ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) :

वास्तव में इस प्रकार की स्वीकृति कभी नहीं दी गयी थी और इसे वापिस लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह एक स्नातकोत्तर संस्थान है । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले सिविल अस्पतालों में जाना पड़ता है और यदि कोई ऐसा विशेष रोग हो जिसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी हो, तो उस अस्पताल के अध्यक्ष तथा निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं की अनुमति से उस रोगी के विशेष उपचार की व्यवस्था स्नातकोत्तर संस्थान में हो सकती है ।

डा० सरदीश राय : सरकारी कर्मचारियों को उत्तराधिकरियों से स्वीकृति प्राप्त करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये अधिकारी अधिकांशतः दौरे पर रहते हैं । कर्मचारियो के बीच इस प्रकार का असंतोष व्याप्त है । क्या सरकार उनकी उस मांग पर पुनः विचार करेगी जिससे वे नेहरू अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग में उपचार करा सकें ?

श्री उमाशंकर दीक्षित: यह बात उनके अपने हित में भी नहीं है । यदि वे इस संस्थान के बहिरंग रोगी विभाग में जायें तो और अधिक समय लगेगा । मैं सचमुच यह नहीं जानता कि मुश्किल क्या है क्योंकि बहिरंग रोगी विभाग के बाद जब वे विशेष उपचार अथवा क्लीनिकल तथा पेथोलाजिकल जांच के लिये अस्पताल में दाखिल होते है तो उन्हें स्नातकोत्तर संस्थान मे जाना पड़ता है

लेकिन वहिरंग रोगी विभाग के लिये यह जरूरी नहीं है। ऐसा करने के लिये उन्हें बहुत समय लगेगा इस मामले पर सम्बन्धित अधिकारियों से विचार विमर्श करके काफी विचार किया गया। मैं पुनः इस पर विचार कर सकता हूं परन्तु मेरे विचार में इसका कोई लाभ नहीं होगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that Central Government employees do not go to hospitals because of mismanagement there and that is why they prefer Nehru Hospital ? Has the hon. Minister received some complaints against Civil Hospital and whether he has ascertained the reasons for which they prefer Nehru Hospital ?

Shri Uma Shankar Dikshit : We have not received such complaints. So far as the management is concerned, we cannot go there on our own accord to ask them whether there is some sort of mismanagement.

भारत में राजनीतिक शरण लेने वाले पाकिस्तानी राजनयिकों की वापसी की मांग

*160 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने उन दो पाकिस्तानी राजनयिकों की वापसी की मांग की है जिन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):

(क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान सरकार को सूचना दे दी गई है कि चूंकि श्री के० एम० शाहबुद्दीन तथा श्री अमजदुल हक को राजनीतिक शरण दी गई है इसलिए उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन राजनयिकों को बंगला देश की ओर से तथा बंगला देश के लिये प्रभावशाली ढंग से काम करने की सुविधाएं प्रदान की हैं या नहीं, यदि की हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूं कि वे बंगला देश का दृष्टिकोण सामने रखते आये हैं ।

सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों, मध्यम आय वर्ग के लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के, तीन कमरे वाले मकानों को आवंटन किये जाने के लिये आवेदन-पत्र

*161 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1969 में दिल्ली में बस्तीवार तीन कमरे वाले मकानों के आवंटन के लिये मध्यम आय वर्ग वाले सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों और अन्य श्रेणी के लोगों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को अलग-अलग कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) अब तक लाटरी के आधार पर बस्तीवार कितने सेवा निवृत्त सैनिक कर्मचारियों और अन्य श्रेणी के लोगों को मकान आवंटित कर दिये गये हैं ;

(ग) शेष आवेदकों को मकान आवंटित करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण मकानों का निर्माण कब तक पूरा करेगा ; और

(घ) क्या मकानों के आवंटन के मामले में किसी श्रेणी को कोई प्राथमिकता दी गई है अथवा देने का विचार है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिसम्बर. 1969-जनवरी, 1970 में डी० डी० ए० के फ्लैटों के इच्छुक खरीददारों के लिए "अग्रिम पंजीकरण योजना" चालू की थी। मध्यम आय वर्ग में कुल 3,501 व्यक्तियों का पंजीकरण हुआ था। पंजीकरण वर्गानुसार अथवा कालोनी अनुसार नहीं किया गया था।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) शेष व्यक्तियों की मांग अप्रैल, 1972 के अन्त तक पूरी होने की संभावना है।

(घ) कुल फ्लैटों का 15 प्र० श० अर्थात् $7\frac{1}{2}$ प्र० श० वेतनभोगी वर्ग में तथा $7\frac{1}{2}$ प्र० श० वेतन न प्राप्त करने वाले वर्ग में, निम्नलिखित वर्गों के लिए संयुक्त रूप से आरक्षित है :-

(i) अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जनजातियां।

(ii) रक्षा कर्मचारियों की विधवाएं।

(iii) राजनैतिक पीड़ित।

(iv) भूतपूर्व सैनिक।

विवरण

पंजीकरण के पश्चात्, अब तक 460 फ्लैटों का आवंटन किया गया, जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

इलाके का नाम	कुल आवंटित फ्लैट	भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित	अन्य वर्गों को आवंटित
सफदरजंग	125	7	119
ईस्ट आफ कैलाश	88	10	78
टैगोर गार्डन	18	—	18
नरायणा	229	9	220
	460	25	435

श्री ज्योतिर्मय बसु : आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजीकरण के लिए आवेदनपत्रों की संख्या 3000 से भी बढ़ गई है मंत्री महोदय की बात मेरी समझ में नहीं आई। ये आवेदन पत्र लग भग 1½ साल पुराने हैं क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगें कि इन पंजीकृत आवेदन पत्रों कों निपटाने में असाधारण विलम्ब क्यों किया जा रहा है क्योंकि अभी तक कुल मिलाकर 460 आवेदको को मकानों का आवंटन किया जा चुका है। यह आंकड़े वस्तुतः चिन्तनीय हैं।

श्री आई० के० गुजराल : किसी भी मामले में असाधारण विलम्ब नहीं किया जा रहा है। 3501 आवेदकों के नाम मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत किए जा चुके हैं। निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदन पत्रों कि संख्या मैं पहले ही बता चुका हूं। दोनो वर्गों के लोगों को साथ साथ मकानों का आवंटन किया जा रहा है। उदाहरणार्थ मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत अब तक 421 मकान आवंटित किए गए हैं। अन्य मकान अभी निर्माणाधीन हैं। हमें आशा है कि अप्रैल 1972 तक सभी पंजीकृत आवेदकों को मकानों का आवंटन कर दिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले उन्होने कहा था कि मकान एक मंजिले बनाए जाएंगे और इस आधार पर मकानों की कीमत नियत की गई थी अथति - एक मंजिले मकानों के हिसाब से जमीन की पूरी कीमता आप अच्छी तरह जानते होंगे कि पहली तथा दूसरी मंजिल के निर्माण में निचली मंजिल की अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है साथ ही पहली तथा दूसरी मंजिल का भूमि की लागत से भी कोई संबंध नहीं होता। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि वह अन्य मंजिलों की कीमत निचली मंजिल के समान क्यों रखना चाहते हैं जबकि अब सरकार बहुमंजिले फ्लैट बेच रही है।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य को सही जानकारी नहीं मिली। मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत बनाये गए मकानों की कीमत स्थान, निर्माण और डिजाइन के आधार पर 27000 से 32000 के बीच रखी गई है। यह मकान विना किसी लाभ हानि के आधार पर बेचे जा रहे हैं, अर्थात् भूमि की कीमत जमा निर्माण की लागत ही मकान का विक्रय मूल्य है जहाँ तक जनता-क्वार्टर योजना का सम्बन्ध है हम राजसहायता के रूप मे भूमि की कीमत नहीं ले रहे और कुछ वर्गों को लागत पर 33% राज-सहायता भी दी जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि मकान एक मंजिला है तो भूमि की सारी कीमत निर्माण व्यय में जोड़ दी जाती है किन्तु यदि मकान दो या तीन मंजिाल का होता है तो भूमि की कीमत दो तीन-भागों में बंट जाती है परिणाम स्वरूप निचली मंजिल की कीमत कम हो जाती है। पहले जब अधिक मंजिले बनाने का विचार नहीं था तब मकान की कीमत उस आधार पर निधारित की गई थी किन्तु अब जब उन्होंने दो, तीन मंजिलें बनाने का निर्णय कर लिया है तब भी वही कीमत क्यों रखी गई है ?

श्री आई० के० गुजराल: माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है। जिन मकानो की यह बात कर रहे हैं वह इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते। वह हम अलग से दे रहे हैं।

Landing of Pakistan Air Force Planes at Bagdogra, West Bengal

*162, **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Defence** (**Raksha Mantri**) be pleased to state:

(a) whether in the month of April, 1971 two Pakistan Air Force planes had landed at Bagdogra aerodrome in Siliguri and thereafter took off; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Raksha Mantri) (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. minister knows that the question which I have raised has been referred to by several news-papers. The hon. minister has denied the incident. I want to know if he has investigated into the matter. It is certain that the said aircraft took off after landing.

Mr. Speaker : Does the hon. member want these aircrafts to land forcibly.

Shri Hukam Chand Kachwai : They did land and such occurances have taken place even before.

अध्यक्ष महोदय : उत्तर बड़ा स्पष्ट है । अगला प्रश्न ।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता

*163. **श्री मनोरंजन हाजरा :**

श्री बी० के० मोदक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी सरकार को मान्यता देने के संबंध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जैसा कि पहले बताया जा चुका है भारत सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुए है । फिर भी वह समझती है कि इन्डोचीन की अस्थिर स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापति के रूप में भारत की स्थिति को देखते हुए इसके प्रतिनिधित्व के स्वरूप में तुरन्त कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती ।

श्री मनोरंजन हाजरा : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते क्या भारत सरकार ने अमरीका को लाखों सैनिकों की वापसी के सम्बन्ध में नोट लिखने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यवाही भी की है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : प्रश्न अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के संबंध में है न कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के कार्यचालन के संबंध में ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ठीक कह रहे हैं । प्रश्न अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने के विषय में है ।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या निकट भविष्य में भारत सरकार का विचार वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार दिया जा चुका है। फिलहाल भारत सरकार का दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने का इरादा नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देने में विलम्ब का कारण अमरीकी सरकार के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों का दबाव तो नहीं है, यदि नहीं तो उस सरकार को मान्यता देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है जबकि विश्व के प्राय: सभी राष्ट्र उसे मान्यता दे चुके हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है हम पहले ही उन कारणों पर प्रकाश डाल चुके हैं जिनके कारण हम दक्षिण वियतनाम की अस्थायी सरकार को मान्यता देना आवश्यक नहीं समझते।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Recognition of Ayurvedic System of Medical Education at National Level

*151. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health and Family Planning (Swasthya aur Parivar Niyojan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Ayurvedic system of medical education has been recognised at national level ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Works & Housing and Health and Family Planning (Nirman aur Awas tatha Swasthya aur Parivar Niyojan Mantri) (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) The Indian Medicine Central Council Act, 1970, seeks to recognise Ayurvedic, Siddha and Unani systemes of medical education at the national level by laying down and enforcing minimum standards of education in these systems of Indian Medicine. This Act will be enforced shortly.

(b) and (c) : Does not arise.

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देय भारतीय ऋण को बट्टे खाते डालने का प्रस्ताव

*159. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, संयुक्त राष्ट्र संघ से इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि

भारत, 8.5 करोड़ डालर के उस ऋण को, जो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ से शान्ति बनाए रखने संबंधी कार्यों के लिए लेना है, बट्टे खाते में डाल दे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा भारत का दौरा

*164. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के तीन प्रतिनिधियों ने भारत का दौरा किया था और पूर्व बंगाल से भारत आने वाले शरणार्थियों को सहायता देने हेतु विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए भारत के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन प्रतिनिधियों को पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों से उत्पन्न समस्या के आकार के बारे में बतला दिया गया और उन्हें विस्तार से यह बतला दिया गया था कि छह महीने की अवधि में इन शरणार्थियों के लिए, जिनकी अनुमानित संख्या 30 लाख होगी, खाद्यान्न, रहने की जगह, दवाइयों, परिवहन आदि पर कितना खर्च होगा । उन्होंने एक प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है, जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने सभी राष्ट्रों और निजी संगठनों से इस बात की अपील की है कि वे पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों की सहायता के लिए आपाती सहायता की व्यवस्था करें ।

पूर्वी बंगला में नरसंहार

*165. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत कई सप्ताहों से पूर्वी बंगाल की भोली भाली जनता का, जिसमें औरतें तथा बच्चे भी सम्मिलित है, बड़े पैमाने पर संहार किया जा रहा है ; और

(ख) इस आपत्ति के समय उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(क) सरकार इस मामले में विदेशी सरकारों से बराबर परामर्श बनाए हुए हैं । बड़ी शक्तियों सहित अनेक विदेशी सरकारों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तान सरकार पर ताकत का

इस्तेमाल बन्द करने एवं राजनीतिक हल निकालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है। पूर्वी बगाल में पश्चिम पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप भारत में भागने के लिए मजबूर लाखों लोगों को सरकार ने आवश्यक राहत सहायता दी है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा बम्बई के आस-पास के समुद्र के दूषण का अध्ययन

*166. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**
श्री बी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई के आसपास के समुद्र को उद्योगों द्वारा दूषण कर दिये जाने के बारे में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा किये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का सार क्या है ?

(ग) समुद्र के दूषण को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने बम्बई के आस-पास समुद्र के इस क्षेत्र में स्थित उद्योगो द्वारा दूषित किए जाने के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। तथापि, इस केन्द्र ने कुछ अध्ययन किए हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यत: समुद्र जल के रडियोधर्मी-दूषण को रोकने से है। इन अध्ययनों में रेडियोधर्मिता के लिए समुद्र जल की जांच करने पर पता चला कि रेडियोधर्मी-दूषण के स्तर नाममात्र हैं और स्वास्थ्य पर इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में अगस्त 1970 में दूषण एवं मानव पर्यावरण पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी समिति की जो संगोष्ठी हुई थी उसकी कार्यवाही में इन अध्ययनों को प्रकाशित किया गया है। इस कार्यवाही की एक प्रति सभा-पटल पर रखदी जायेगी।

(ग) देश में जल दूषण की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने जल दूषण निवारण विधेयक, 1969 नामक विधेयक पहले ही राज्य सभा में पेश कर दिया है।

गैस के मूल्य के सम्बन्ध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गुजरात सरकार के मध्य विवाद

*167. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री आर० कडनापल्ली :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात राज्य में गैस के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 1971 से गैस के मूल्य में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई कम अदायगियों को वसूल करने के लिए 26 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक मीटर की दर से अतिरिक्त प्रीमियम वसूल करने का भी विचार है ;

(ग) क्या गुजरात राज्य और उस राज्य के निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने इन प्रस्तावों का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गुजरात में गैस के उपभोक्ताओं के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : गैस के उत्पादन-कर्त्ता तथा विक्रेता के रूप में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ही केवल ऐसी संस्था है जो मूल्य का निर्धारण करती है। आयोग ने 1-4-1971 से अंकलेश्वर और कैम्बे गैस के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। डा० वी० के० आर० वी० राव के पंच फैसले में निर्दिष्ट सूत्र के आधार पर उक्त आयोग द्वारा यह पुनरीक्षण तैयार किया गया है। यह वह पंचाट है जिसके अन्तर्गत 31-3-1971 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए मूल्य प्रवृत रहा है। पंचाट में 1-4-1971 से 5 वर्षों की आगामी अवधि के लिए मूल्य के पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की संगणना के अनुसार गैस के प्रति हजार घन मीटर के लिए कूप मुख पर मूल्य 50 रुपये से 80 रुपये तक चढ़ेगा तथा गत प्रदायों के कूप मुख पर मूल्य में कम वसूलियों को पूरा करने हेतु इसमें 26 रुपये का प्रीमियम जोड़ा जायेगा। इस प्रकार प्रति हजार घन मीटर का कूप मुख पर पुनरीक्षित मूल्य 106.00 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त रायल्टी तथा विक्रय कर के कारण व्यय होंगे और परिवहन के कारण गत कम वसूलियों को पूरा करने के लिए प्रीमियम भी जोड़ा जायेगा तथा यह प्रत्येक उप-भोक्ता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न होगा।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार का विचार है कि यह अधिक अच्छा होगा यदि यह प्रश्न तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और उपभोक्ताओं की आपसी बातचीत से तय हो जाये। वे स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करते रहे हैं, और उन्हें पूरी आशा है कि विक्रेता तथा खरीदारों में समझौता हो जायेगा।

हिन्द महासागर में अमरीकी-ब्रिटिश नौ सैनिक अड्डे के निर्माण में प्रगति

*168. **श्री समर मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के सैन्यकरण को रोकने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि डोगा गर्शिया में अमरीकी ब्रिटिश नौसैनिक अड्डे का निर्माण-कार्य आरम्भ किया जा चुका है ; और

(घ) सरकार इसके सम्बन्ध में अपनी असहमति को किस प्रकार कार्यरूप देना चाहती है ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : हिन्द महासागर में

बाहरी देशों द्वारा सैनिक अड्डों की स्थापना से सम्बद्ध हाल ही के समाचारों से सरकार को चिन्ता हो गयी है। सितम्बर, 1970 में लुसाका में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में जो घोषणा स्वीकार की गयी थी उसका भारत सरकार पूरी तरह से समर्थन करती है, जो इस प्रकार है :

सभी राज्यों को आह्वान किया जाता है कि वे हिन्द महासागर का एक ऐसे शान्त क्षेत्र के रूप में सम्मान करें जो बड़े राष्ट्रों की शत्रुता और प्रतिद्वंद्विता से तथा इस प्रकार की शत्रुता और प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में कल्पित अड्डे, चाहे वे थल सेना के हों अथवा जल या नभ सेना के, न बनाएं।

(ग) अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों ने दिसम्बर, 1970 में हमें सूचित किया था कि वे 1971 के प्रारम्भ में किसी समय 'द्रीगो गार्सिया' में अड्डा स्थापित करने की दिशा में काम शुरू करने की बात सोच रहे हैं।

(घ) 1965 से भारत सरकार अमरीका और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों की उनके इस निश्चय के लिए निरन्तर निन्दा करती आयी है कि हमारे वैध आपत्तियों के बावजूद वे एक अड्डा स्थापित करेंगे। लुसाका घोषणा को मद्दे नजर रखते हुए, जो कि हिन्द महासागर के अधिकांश तटवर्ती राज्यों के मत का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार भविष्य में ऐसे कदम उठाने का विचार रखती है जो वह राजनयिक तथा दूसरे माध्यमों से उठा सकती है।

Communist Party Delegation to U. S. S. R.

*169. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** (**Videsh Mantri**) be pleased to state :

(a) whether the Communist Party of India had sent a delegation to the U.S.S.R. for arousing public opinion in favour of liberation war being waged by the people of Bangla Desh and for collecting funds for the purpose ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government also propose to send similar delegations to friendly countries ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya men Up-Mantri (Shri Surendra Pal Singh): (a) & (b) : Government is not aware of any delegation sent by the Communist Party of India to the U.S.S.R. for arousing public opinion in favour of the liberation war being waged by the people of Bangla Desh and for collecting funds for the purpose ; clearance was, however, given for a five-member delegation of the Communist Party of India to attend the 24th Congress of the Communist Party of the Soviet Union held in Moscow from 30.3.71 in response to an invitation from the Communist Party of the Soviet Union.

(c) & (d) : Government has been actively engaged in arousing world public opinion against the brutal suppression of human rights in East Bengal by the Pakistan Army, the need for a political settlement which will satisfy the legitimate aspirations of the people of East Bengal, the relief of millions of refugees who have been driven into India and the need for the creation of conditions which will ensure their return to their homeland in safety and with honour. Attention has also been drawn to the threat posed to the peace of the region by this grave situation for which the Government of Pakistan is wholly responsible. The sending of delegations to friendly countries for this purpose is among the measures being taken by Government.

बच्चों और गर्भवती स्त्रियों में कुपोषण

*170. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों और गर्भवती स्त्रियों में कितना कुपोषण है; इसके सम्बन्ध में क्या कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) कुपोषण की समस्या हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान के तत्वावधान में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला कि बच्चों तथा गर्भवती माताओं में प्रमुख पौषणिक कमियों के कारण होने वाली बीमारियां इस प्रकार हैं :–

1. प्रोटीन केलोरी कुपोषण ।
2. विटामिन-ए-की कमी ।
3. विशेषकर गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं में लौह की कमी के कारण पौषणिक रक्तहीनता ।
4. विटामिन-बी-कम्प्लेक्स की कमी

(ग) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुपोषण की समस्या को हल करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं । इनमें ऐसे लोगों के लिए जिन्हें यह रोग हो जाने की आशंका बनी रहती है, पूरक भोजन कार्यक्रम चलाना, डिब्बाबन्द पौष्टिक खाद्य पदार्थों का निर्माण और वितरण करना, पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम चलाना तथा इस रोग के प्रारम्भिक मामलों की जांच और उपचार करना सम्मिलित हैं । पोषण स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. विभिन्न एजेन्सियों की सहायता से चलाये जाने वाले निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से पूरक भोजन दिया जाता है :—

   (क) व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम के अधीन भोजन की व्यवस्था ;

   (ख) बालवाड़ियों के माध्यम से भोजन की व्यवस्था ;

   (ग) स्कूल भोजन कार्यक्रम ; तथा

   (घ) एम० सी० एच० मिल्क फीडिंग प्रोग्राम ।

2. माताओं को पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना ताकि वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध सस्ते खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकें ।

3. जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से कुपोषण के रोगियों का प्रारम्भिक अवस्था में उपचार ।

4. बच्चों और आसानी से रोगग्रस्त होने वाले अन्य वर्गों में प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले कुपोषण को रोकने के लिए खाद्य विभाग द्वारा बालाहार—"बहूद्देशीय खाद्य तथा दूध छुड़ा के खाद्य" के निर्माण के लिये कार्यक्रम चालू करना ।

5. जहां तक हो सके सही किस्म के भोजन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ।

6. जनता के सभी वर्गों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए पर्याप्त वितरण मशीनरी की व्यवस्था करना ।

7. ऐसे संक्रमण को रोकने के लिये जो कि सदा कुपोषण को बढ़ाता है, पर्यावरणिक सफाई पर नियंत्रण करना ।

8. कतिपय कुपोषण परिस्थितियों जैसे रक्त की कमी, गलगण्ड, केरेटोमेलेशिया आदि निरोधी कुछ खास-खास सुधारक उपाय करना ।

तेलशोधक कारखानों से पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सम्बन्धी मूल्य-निर्धारण नीति का पुनरीक्षण

*171. **श्री पी० के० देव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बरौनी, कोयाली, गौहाटी और डिग्बाय स्थित तेलशोधक कारखाने से प्राप्त पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सम्बन्धी मूल्य निर्धारण नीति का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का कोई लाभ हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी सेठी) : (क) से (ग) : 8 मुख्य बन्दरगाहों और डिग्बाय परिष्करणशाला के अतिरिक्त, 1-6-1970 से देश में बरौनी, कोयाली तथा गौहाटी परिष्करणशाला का मूल्य-निर्धारण केन्द्र घोषित किया गया है । मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों के बारे में, इन परिष्करणशालाओं के मूल्य-निर्धारण क्षेत्रों के अन्तर्गत, जून 1970 से मूल्यों में कटौती के रूप में

उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभ की मात्रा निम्नप्रकार है :—

पैट्रोलियम उत्पादों का नाम	(रुपये/किलो लीटर) कोयाली	बरौनी	गौहाटी
मोटर स्पिरिट	54.20	61.71	7.97
हाई स्पीड डीजल आयल	35.24	47.04	45.85
लाइट डीजल आयल	38.86	52.39	50.97
भट्टी का तेल	28.11	43.09	41.52
बढ़िया मिट्टी का तेल	33.67	42.31	9.01

गैस के मूल्य में वृद्धि

*172. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैस का मूल्य बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) इस पर उपभोक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : गैस के उत्पादनकर्ता तथा विक्रेता के रूप में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ही केवल ऐसी संस्था है जो मूल्य का निर्धारण करती है। आयोग ने 1-4-1971 से अंकलेश्वर और कैम्बे गैस के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। डा० वी० के० आर० वी० राव के पंच-फैसले में निर्दिष्ट सूत्र के आधार पर उक्त आयोग द्वारा यह पुनरीक्षण तैयार किया गया है। यह वह पंचाट है जिसके अन्तर्गत 31-3-1971 को समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए मूल्य प्रवृत रहा है। पंचाट में 1-4-1971 से 5 वर्षों की आगामी अवधि के लिए मूल्य के पुनरीक्षण हेतु व्यवस्था थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की संगणना के अनुसार गैस के प्रति हजार घन मीटर गैस के लिए कूप मुख पर मूल्य 50 रुपये से 80 रुपये तक बढ़ेगा तथा गत प्रदायों के कूप मुख पर मूल्य में कम वसूलियों को पूरा करने हेतु, इसमें 26 रुपये का प्रमियम जोड़ा जायेगा। इस प्रकार प्रति हजार घन मीटर का कूप मुख पर पुनरीक्षित मूल्य 106.00 रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, रायल्टी तथा विक्रय कर के कारण व्यय होंगे और परिवहन के कारण गत कम वसूलियों को पूरा करने के लिए प्रीमियम भी जोड़ा जायेगा तथा यह प्रत्येक उपभोक्ता के संबंध में भिन्न-भिन्न होगा।

(ग) उपभोक्ताओं ने इस मूल्य वृद्धि का विरोध किया है परन्तु मामले का सौहार्दपूर्ण रूप से हल करने के विचार से उपभोक्ताओं तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के बीच वार्ता जारी है।

कलकत्ता में पाकिस्तान के नये उप-उच्चायुक्त की नियुक्ति

*173. **श्री डा० रानेन सेन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने अपना एक नया उप-उच्चायुक्त हाल ही में कलकत्ता में प्रतिनियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कलकत्ता में अपना कार्यालय खोल लिया है ;

(ग) क्या उसके व्यक्तिगत और सरकारी खर्चे भारत सरकार वहन कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता में पाकिस्तान का उप-हाई कमीशन 26 अप्रैल 1971 से बंद हो गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सहायता कार्य में लगे हुए पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा छः व्यक्तियों का अपहरण

*174. **श्री मुरुगनन्तम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिनाजपुर जिले के राधिकापुर स्थान पर बंगला देश के निष्क्रान्त व्यक्तियों को राहत देने के कार्य में रत छः व्यक्तियों का पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा हाल ही में अपहरण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त घटना के संबंध में पाकिस्तान सरकार को विरोध पत्र भेजा है ; और

(ग) उनको मुक्त कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) बंगला देश मुक्ति सहायक समिति के सात सदस्य पाकिस्तानी सेना द्वारा 22 अप्रैल 1971 को राधिकापुर, जि० प० दिनाजपुर, प० बंगाल से अपहृत कर लिये गए थे ।

(ख) और (ग) : सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कड़ा विरोध किया है और अपहृत व्यक्तियों को तुरन्त लौटाने की मांग की है । पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

SCHEME FOR SPEEDING UP DEFENCE PRODUCTION

*175. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri N. S. Pandey :

Will the Minister of Defence (**Raksha Mantri**) be please to state : (a) whether any scheme is under consideration of Government to further increase Defence production ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard in future ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) (Raksha Utpadan) men Rajya Mantri (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Decisions to increase defence production are taken on the basis of reviews of requirements, which is a continuous process.

(b) It will not be in the public interest to disclose details regarding the steps taken by Government in this regard.

सऊदी अरब को जाने वाले हज यात्रियों को कठिनाईयां

*176. **श्री नरेन्द्र कुमार सांथी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष हज करने के लिए विमान द्वारा सऊदी अरब जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या कितनी थी तथा क्या सऊदी अरब के अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य संबंधी विनियमों में अकस्मात् परिवर्तन किये जाने के कारण कुछ विमान-उड़ानों को मंसूख करना पड़ा था ;

(ख) क्या बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों को जेद्दा में इसलिये टीके लगाये गये कि उन्होंने सऊदी अरब में उतरने से पूर्व पांच दिन हैजा-रहित क्षेत्र में नहीं गुजारे थे, तथा क्या इन तीर्थ यात्रियों के पास इस आशय के प्रमाण पत्र नहीं थे कि इन्होंने पांच दिन हैजा-रहित क्षेत्र में बिताये हैं ; और

(ग) सऊदी अरब की सरकार द्वारा अपेक्षित समुचित स्वास्थ्य संबंधी कागजात यात्रियों को उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : 1064 यात्री (7 बच्चों सहित) इस वर्ष हज यात्रा करने के लिए वायुयान द्वारा सउदी अरब गए। उनके पास सऊदी प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सभी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र थे, जिसमें हैजा-मुक्त क्षेत्र में 5 दिन बिताने से सम्बद्ध एक प्रमाण-पत्र भी शामिल है।

18 जनवरी 1971 को जब 151 भारतीय हज यात्रियों का पहला दल जेद्दा पहुंचा तो 2 दिन के लिए उन्हें एकान्त में रखा गया क्योंकि सऊदी अरब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित विनियम के अनुसार, हैजा-महामारी वाले देशों के सभी यात्रियों को किसी हैजा-मुक्त देश में 5 दिन बिताने थे। इस नई मांग से हमें पहले अवगत नहीं कराया गया था। इसलिए यह मामला सऊदी अरब की सरकार के साथ उठाया गया और परिणाम स्वरूप नए विनियम को 20 जनवरी को वापस ले लिया गया। दो उड़ाने, जो 18 व 20 जनवरी के अपराह्न के लिए निश्चित की गई थी, क्रमशः 23 व 24 जनवरी के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। शेष उड़ाने निश्चित तारिखों पर की गई।

जेट विमानों के इंधन में आत्मनिर्भरता

*177. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जेट विमानों के इंधन का उत्पादन करने तथा उसकी उपलब्धता के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हम इसकी कुछ मात्रा का निकट भविष्य में निर्यात भी कर सकेंगे ; और

(ग) अब तक हम किन-किन देशों से जेट विमानों के लिए इंधन का आयात करते रहे हैं तथा क्या यह आयात अशोधित तेल के रूप होता था या नहीं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय इस उत्पाद के किसी निर्यात की परिकल्पना नहीं है ।

(ग) हाल में विमान टरबाइन इंधन का आयात नहीं किया गया है ।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध की धमकी

*178. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं की गुप्तचर सेवाओं के महा-निदेशक मेजर जनरल मुहम्मद अकबर खान द्वारा 5 मई, 1971 को कराची में सरकारी तौर पर दिये गये एक प्रेस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने इस आधार पर युद्ध छेड़ने की अप्रत्यक्ष धमकी दी है कि भारत पूर्वी बंगाल के चारों ओर भारी संख्या में सेनाएं जमा कर रहा है और पाकिस्तान का विघटन कराने के उद्देश्य से पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है ; और

(ख) क्या सरकार ने पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता द्वारा भारत के विरुद्ध जान-बूझकर किये गये तथा उत्तेजनात्मक प्रचार के विरोध में कोई कार्यवाही की है ?

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकारी प्रवक्ता ने पाकिस्तानी आरोप को एक "मनगड़न्त कहानी" बताया है और कहा है कि, "पाकिस्तान अनावश्यक रूप से भारत का नाम बीच में लाकर अपने लोगों का ध्यान उनकी समस्याओं से हटाने का आमतौर पर प्रयत्न करता है । हमने पहले भी बहुत से अवसरों पर और अब भी स्थिति काफी स्पष्ट कर दी है : पाकिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप करने का हमारा कोई इरादा नहीं है । खेद है कि पाकिस्तान में उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति ऐसे निराधार और भड़काने वाले वक्तव्य देते हैं ।" यह वक्तव्य 7 मई को हमारे समाचार-पत्रों में छपा था और हमें उम्मीद है कि इस वक्तव्य को सभी संबंधित पर्यवेक्षकों ने नोट किया था ।

भवनों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए भट्टों को 'स्लैक कोयले' की सप्लाई

*179. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम भवनों का निर्माण होगा और इससे अनेकों व्यक्ति बेरोजगार हो जायेंगे ;

(ख) क्या ऐसा कच्चे माल की कमी, जैसे भट्टों को स्लैक कोयला न मिलने के कारण हो रहा है ; और

(ग) भट्टों को पर्याप्त मात्रा में स्लैक कोयले की सप्लाई करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) (क) तथा (ख) : यह सत्य है कि सितम्बर, 1970 से तथा उससे आगे ईंटों के पकाने के लिए अपेक्षित स्लैक कोयला आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं आया, और यह पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था। नए मकानों के निर्माण पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) रेल मंत्रालय से स्लैक कोयला पर्याप्त मात्रा में ढोने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मन्दे के समय में स्लैक कोयले का पर्याप्त स्टाक जमा कर देना चाहिये जिसे कार्य-काल (वर्किंग सीजन) में प्रयोग में लाया जा सकता है।

चीन द्वारा पाकिस्तान को मिग-21 विमानों की सप्लाई

*180. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 फरवरी, 1971 के "अमृत-बाजार पत्रिका" में ऐसा समाचार छपा है कि पाकिस्तान चीन से लड़ाकू विमान मिग-21 के छः से नौ स्क्वैड्रन तक प्राप्त कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा मूल्यांकन किया है कि इसका भारतीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस बढ़ते हुए खतरे का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा है।

(ख) तथा (ग) : बदलते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए हमारी रक्षा तैयारी को लगातार पुनरीक्षित किया जाता है।

ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराना

806. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में खरीदे प्लाटों को रजिस्टर कराने की अनुमति के सम्बन्ध में 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलोनाइजर (डी० एल० एफ०) ने ग्रेटर कैलाश भाग 2, के 'ई' ब्लाक को छोड़कर सभी ब्लाकों में सेवा सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण की अनुमति कब दी जाएगी ;

(ग) क्या सरकार ने कोलोनाइजर की प्रतिभूति जब्त कर ली है तथा कार्य अपने हाथ में ले लिया है ; और

(घ) यदि कोलोनाइजर द्वारा कोई प्रतिभूति जमा नहीं कराई गई थी तो 12 दिसम्बर, 1969 को कालोनी का नक्शा किस आधार पर अनुमोदित किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कोलोनाइज़र ने दिल्ली नगर निगम के पास अनुमोदित ले-आऊट सर्विस प्लानों के अनुसार सेवाओं की व्यवस्था के लिए, गारंटी के रूप में 2,42,000 रु० की राशि जमा करा दी थी।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के शिविरों में बंगला भाषी डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति

807. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अप्रैल, 1971 में इस आशय के आदेश जारी किए गए थे कि केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजना तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य विभागों में कार्य कर रहे बंगला भाषी डाक्टर, पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की सेवा के लिए पश्चिम बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा आदि के शरणार्थी शिविरों में अस्थायी तौर पर कार्य के लिए भेजे जाएं ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक रूप से प्रतिनियुक्त किए गए और इस समय कार्य कर रहे पुरुष तथा महिला डाक्टरों की पृथक्-पृथक् संख्या क्या है ;

(ग) क्या आदेश केवल दिल्ली क्षेत्र के डाक्टरों के लिए थे, या अन्य स्थानों के डाक्टरों के लिए भी थे, यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इन डाक्टरों को क्या भत्ता दिया जा रहा है तथा उन्हें क्या अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान में लाइट कोगुलेटर एप्रेटस

808. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कोई ऐसा लाइट कोगुलेटर एप्रेटस लगाया है जो नेत्रों में रेटिना के हट जाने की दशा में सुराख बन्द करने के लिए बड़ा उपयोगी है ;

(ख) क्या इस प्रकार का एक ही एप्रेटस 1959 से एक पुर्जे के अभाव में सीतापुर नेत्र हस्पताल में बेकार पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो नई दिल्ली सेन्टर में ऐसा एप्रेटस स्थापित करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और यह एप्रेटस कब लगाया जाएगा ; और

(घ) पश्चिमी जर्मनी से ऐसा एप्रेटस आयात करने में कितनी लागत आती है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) एक लाइट कोगुलेटर एप्रेटस, सीतापुर नेत्र अस्पताल में इग्नीशन डिवाइस तथा प्लेन मिरर पुर्जों की कमी के कारण 1969 से (न कि 1959 से) बेकार पड़ा है। फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेन्स इस संस्थान ने पहले ही प्राप्त कर लिया है।

(ग) यह पहले ही डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र-विज्ञान केन्द्र, नई-दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है तथा रोगियों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

(घ) लाइट कोगुलेटर एप्रेटस, राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र के लिए पूर्वी जर्मनी से आयात किया गया था। सीतापुर नेत्र अस्पताल के लिए कोचेन (जर्मनी) से आयात किए गए एप्रेटस की लागत 50,000 रु० है।

बंगला देश आन्दोलन के स्वरूप के सम्बन्ध मे विश्व जनमत का तैयार किया जाना

809. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में भारत राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा उन देशों की सरकारों और लोगों को बंगला देश में हो रहे मुक्ति संघर्ष के सही स्वरूप के बारे में सूचित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कार्यवाही के बावजूद बहुसंख्यक विदेशी सरकारें अब भी इस आन्दोलन को पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता भंग करने वाला आन्दोलन समझते हैं ; और

(ग) याह्या खां शासन के विरुद्ध नर-संहार के आरोप के विरुद्ध विदेशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जिन देशों में हमारे राजनयिक प्रतिनिधि प्रत्यायित हैं वहाँ उन्होंने पूर्वी बंगाल में चल रहे मुक्ति आन्दोलन का सही स्वरूप प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार इस देश में कई अवसरों पर हमने विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों से कहा है। महत्वपूर्ण कागजात, जैसे 31 मार्च 1971 को संसद् में पारित प्रस्ताव, प्रधान मंत्री के कुछ भाषण और अन्य सम्बद्ध सामग्री विदेशी सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ऊथांट के ध्यान में लाई गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय तथा विदेशी प्रचार माध्यम से विदेशी लोगों को इस स्थिति से सम्बद्ध सही तथ्यों की जानकारी दी गई है।

(ख) और (ग) : जबकि कई सरकारों ने पूर्वी बंगाल के लोगों के दुःखों को कम करने के मानवीय प्रयासों में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, अधिकांश सरकारों ने पूर्वी बंगाल के घटनाचक्र पर सावधानीपूर्वक निगाह रखना बेहतर समझा है और वे पूर्वी बंगाल के मुक्ति आन्दोलन के पक्ष में कोई निश्चित सार्वजनिक रवैया अपनाने में हिचकते रहे हैं। लेकिन विदेशों में जनमत ने पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल में नागरिकों का संहार करने का कड़ा विरोध किया है।

भारत में पाकिस्तानी राजनयिकों को शरण दिया जाना

810. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

डा० रानेन सेन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित पाकिस्तान के दूतावास में कार्य कर रहे बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के झगड़े के दौरान भारत में शरण मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजनयिकों की संख्या क्या है जिन्हें शरण दी गई थी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्य कर रहे दो पाकिस्तानी राजनयिकों ने चाहा था और उन्हें राजनीतिक शरण दी गई थी ।

Jammu and Kashmir Shown out of India in "India-Day Supplemen"t of the "Daily Times" of Nigeria

811. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of External Affairs (**Videsh Mantri**) be pleased to state :

(a) whether the whole of Jammu and Kashmir has been shown as not belonging to India in the "India-day Supplement" published in the Nigeria Newspaper 'Daily Times' of the 26th January., 1971; and

(b) if so, the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralya Men Up Mantri) (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Immediately on becoming aware of the map, our High Commission took up the matter with the news-paper, who have apologised. The paper has informed us that as the block of their usual map was missing they used a new block for the map which was erroneous. The Managing Editor stated that the error was due to pressure of printing the supplement. He also said that if he had more time he would have asked for a correct map from the High Commission which he would have used. He has assured the High Commission that such a mistake would not occur again.

विदेश तेल कम्पनियों के साथ शोधनशालाओं सम्बन्धी करार

812. **श्री ए० के० साहा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1971 के "पेट्रियट" में प्रकाशित भूतपूर्व पैट्रोलियम और रसायन मंत्री के कथित साक्षातकार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार के बर्मा-शैल, काल्टेक्स और एस्सो के साथ किए गए शोधनशालाओं सम्बन्धी करार इन कम्पनियों के पक्ष में थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : परिष्करणशाला के समझौते बर्मा-शैल, एस्सो और कालटैक्स कम्पनियों के साथ क्रमशः 1951, 1952 तथा 1955 में सम्पन्न हुए। 1959-60 में परिष्करणशाला के समझौते का संशोधन किया गया । सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, सम्बन्ध तेल कम्पनियां अपनी परिष्करणशालाओं में उत्पादित पैट्रोलियम-पदार्थों पर दी गई उत्पादन-शुल्क की रियायत को स्वेच्छा से त्यागने के लिए सहमत हो गई। वाणिज्यिक परिचालन के आरम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों की अधिकतम अवधि से पूर्व अथवा 31-12-1965 को, इन दोनों में से जो भी पहले हो, इन रियायतों के परित्याग के परिणामस्वरुप सरकार के राजस्व में कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि हुई । क्योंकि हमने इन विषयों में प्रगति की है, परिष्करणशाला के समझौतों के कतिपय पहलू कष्टदायी सिद्ध हुए हैं। तेल के परिष्करण तथा पैट्रोलियम-पदार्थों के वितरण (दोनों) में आत्म-निर्भरता के विकास में हमारी प्रगति की पृष्ठभूमि में सरकार विदेशी तेल कम्पनियों के साथ परिष्करणशाला के समझौतों के कार्यान्वयन का निरन्तर पुनरीक्षण कर रही है ।

भारत मे शरण मांगने वाले बंगला देश के व्यक्ति

813. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश में स्वतंत्रता आन्दोलन आरम्भ होने के बाद से भारत में राजनैतिक शरण मांगने वाले बंगला देश के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : ग्यारह ।

रूस को भारतीय द्वीपों में सैनिक अड्डे स्थापित करने की अनुमति दिया जाना

815. **श्री हरी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्डमान, निकोबार, लक्षद्वीप और गोआ द्वीपों में सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए सोवियत रूस को अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और क्या उपरोक्त द्वीपों में सोवियत रूस ने अपने अड्डे स्थापित कर लिये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लंका के निकट हिन्द महासागर में देखी गई पनडुब्बियां

316. **श्री समर गुह :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में श्री लंका में उग्रवादी तत्वों द्वारा किए गए विद्रोही आन्दोलन के समय हिन्द महासागर में श्री लंका के समुद्र क्षेत्र के निकट विदेशी शक्तियों की कुछ पनडुब्बियां देखी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो ये पनडुब्बियां किन देशों की थीं ; और

(ग) ऐसी पनडुब्बियों के श्री लंका के समुद्र में आने का क्या उद्देश्य था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस संबंध में कोई वास्तविक सबूत उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Statutory Provision for Imposition of Ceiling on Urban Property

817. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Works and Housing** (**Nirman aur Awas Mantri**) be pleased to state :

(a) whether Government propose to make any statutory provision for imposition of ceiling on urban property ; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (**Nirman aur Awas Mantralaya Men Rajya Mantri**) (**Shri I. K. Gujral**) : (a) and (b) . Yes. A Draft Bill relating to the imposition of a ceiling on urban property has been circulated to the State Governments and Union Territories for their comments and concurrence. The Draft Bill provides for the imposition of a ceiling on urban property and of restrictions on the transfer of property in excess of the ceiling and for the compulsory acquisition, for public purposes, of property in excess of the ceiling. The State Governments have been requested to expedite..

केरल में नायलोन का कारखाना

318. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में नायलोन का कारखाना खोलने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में केरल की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : जी हां। केरल राज्य में नायलोन टैक्सटाइल फिलामेंट यार्न (तन्तु) के एक यूनिट की स्थापना हेतु केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, (केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डिवेलपमैण्ट कारपोरेशन) का प्रार्थना पत्र जुलाई, 1970 में इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रेसनोट के उत्तर में प्राप्त हुए, अन्य प्रार्थना-पत्रों सहित, विचाराधीन हैं।

Issue of Licence of M. P. Industrial Development Corporation for Manufacture of Nylon Yarn

819. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals (Petroleum aur Rasayan Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Audyogic Vikas Nigam (M. P. Industrial Development Corporation) submitted an application in July, 1970 for the grant of licence for producing Nylon yarn ;

(b) if so, whether Government propose to grant the Letter of Intent; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Petroleum aur Rasayan Mantralaye men Up Mantri) (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes Sir.

(b) This application is under consideration along with other applications received in response to the Press Note issued by this Ministry in July 1970.

(c) Does not arise.

लघु उद्योगों के लिए सोडा ऐश की कमी

820. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'सोडा ऐश' की कमी के कारण लघु उद्योगों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का लघु उद्योगों की पर्याप्त मात्रा में 'सोडा ऐश' देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में, हाल में, 'सोडा-ऐश' की कमी के कारण लघु उद्योगों सहित उपभोक्ता उद्योगों, इस कच्चे माल को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

(ख) कमी को पूरा करने के लिए निम्न उपाय अपनाये गये हैं :—

(i) वर्तमान यूनिटों को उत्पादन में यथासम्भव वृद्धि के लिए कहा गया है।

(ii) राज्य व्यापार निगम द्वारा सोडा ऐश के आयात की व्यवस्था की गई है/की जा रही है।

(iii) अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, अतिरिक्त क्षमता की स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र हाल ही में आमन्त्रित किये गये हैं।

कलकत्ता में सोडा ऐश की चोर बाजारी

821. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में 75 किलोग्राम के सोडा ऐश के बोरे की 130 रु० प्रति बोरे की दर से चोर बाजारी होने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में, हाल ही में, सोडा ऐश (राख) की उपलब्धता में कमी के कारण इस पदार्थ के विक्रय-मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) कमी को पूरा करने के लिए निम्न उपाय अपनाये गये हैं :—

(i) वर्तमान यूनिटों को उत्पादन में यथा-सम्भव वृद्धि के लिए कहा गया है।

(ii) राज्य व्यापार निगम द्वारा सोडा ऐश के आयात की व्यवस्था की गई है/की जा रही है।

(iii) दीर्घावधि हल के रूप में अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रेस नोट के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने हेतु प्रार्थना-पत्र, हाल ही में आमन्त्रित किये गये हैं।

उत्तरी कोरिया के वाणिज्य दूतावास के सदस्यों द्वारा भारत में तोड़-फोड़ की कथित कार्रवाई

822. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण कोरिया के महावाणिज्य दूत ने कहा है कि उनका विश्वास है कि नई दिल्ली स्थित उत्तरी कोरिया के वाणिज्य दूतावास के सदस्य तोड़-फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं ; और

(ख) क्या गत वर्ष उत्तरी कोरिया के वाणिज्य दूतावास ने भारत में विज्ञापनों पर 45 लाख रुपये से कम रुपये खर्च नहीं किये थे ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। 29 अप्रैल, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी यह खबर सरकार ने देखी है।

(ख) विज्ञापनों पर हुए खर्च की सही रकम के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

तुर्की के संवाददाताओं द्वारा भारत की यात्रा रद्द किया जाना

323. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री एम० एम० जौजफ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भारत की यात्रा कर रहे तुर्की संवाददाता अपने देश से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार अपनी यात्रा रद्द करके वापिस लौट गये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी यात्रा रद्द करने का कारण भारत द्वारा बंगला देश की मुक्ति फौज का समर्थन बताया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) तुर्की के एक शिष्टमंडल ने अप्रैल, 1971 में भारत की यात्रा की किन्तु वह अपना निर्धारित कार्यक्रम पूरा करने से पहले ही लौट गया ।

(ख) आगन्तुकों के अनुसार उन्हें भारत में ठहरने की अवधि कम करने का कारण उनके अपने देश में राजनीतिक घटनाओं का उभरना था अतः उन्हें तुर्की शीघ्र ही लौटना अनिवार्य हो गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता के लिए केन्द्रीय समिति

324. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल के स्वतन्त्रता सेनानियों को सहायता भिजवाने के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा कुल कितना धन इकट्ठा किया गया है ; और

(ग) समिति द्वारा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) माननीय सदस्य स्पष्टतः बंगला देश सहायता समिति का जिक्र कर रहे हैं जो पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को सहायता देने के लिए बनाई गई है ।

(ख) 36.5 लाख रुपये ।

(ग) यह समिति पूर्व बंगाल के शरणार्थियों की तकलीफों को दूर करने के लिए कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं की गतिविधियों में और अपने सहायता कार्यों में तालमेल बैठा रही है तथा शरणार्थियों को चिकित्सा-संबंधी सहायता और कपड़े देने पर ही विशेष बल दे रही है । इस समिति की 7 ऐम्बुलैंस गाड़ियां हैं तथा 28 और खरीद रही है । इन गाड़ियों का तथा इन पर रहने वाले डाक्टरों और नर्सों आदि सभी का खर्च यह समिति ही उठाती है ।

नागा नेता फिजों को भारत वापिस आने की अनुमति देने का सुझाव

825. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या भारत के भूतपूर्व उपमंत्री श्री एस० सी० जमीर ने हाल में भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि भूमिगत नागा नेता फिजों को भारत वापिस आने की स्वीकृति दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो नागा समस्या के संदर्भ में इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार इस सुझाव के पक्ष में नहीं है ।

बंगला देश में सहयोग देने हेतु पूर्वी पाकिस्तान जाने से स्वयंसेवकों को रोकने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

826. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोम से 16 अप्रैल को प्रकाशित एक प्रेस इन्टरव्यू में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उनकी सरकार बंगला देश आन्दोलन में सहयोग देने हेतु पूर्वी पाकिस्तान जाने के इच्छुक स्वयं सेवकों को रोक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार यह नहीं चाहती कि पाकिस्तान इस द्वेषपूर्ण प्रचार से लाभ उठाये कि भारत ने स्वतंत्रता आन्दोलन को बढ़ावा दिया है ।

किरकी स्थित विस्फोटकों का निर्माण करने वाले कारखाने में धमाका

827. **श्री एस० एम० कृष्ण** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 फरवरी, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि किरकी स्थित विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में 4 फरवरी, 1971 को धमाका हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुये तथा कितने मारे गये और उसमें कितनी-कितनी सम्पत्ति तथा गोलाबारुद नष्ट होने का अनुमान है ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है, और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ) : 5-2-1971 को एक जांच मंडल गठित किया गया था।

(ग) एक व्यक्ति मारा गया था और लगभग 200 व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनमें से 2 को गम्भीर घायलों की सूची में रखा गया था लेकिन वे अब ठीक हो गए हैं। 32.19 लाख रुपए का नुकसान हुआ था।

श्रीलंका के समुद्र क्षेत्र में पनडुब्बी-मारक फ्रिगेटों द्वारा गश्त

828. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल भारतीय एंटी-सबमेरीन फ्रिगेट श्रीलंका के समुन्द्र में गश्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या हमारे एंटी-सबमेरीन फ्रिगेट श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर भेजे गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर 13 अप्रैल 1971 से 23 मई 1971 तक हमारे कुछ फ्रिगेट श्रीलंका के तट पर गश्त करते रहे थे जिससे उस तट पर किसी समुन्द्री जलयान के अवैध संचालन को रोका जा सके।

खाद्यान्नों में अपमिश्रण के मामले

829. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968, 1969 तथा 1970 के दौरान पृथक-पृथक खाद्यान्नों में अपमिश्रण के कितने मामलों का पता लगा ; और

(ख) खाद्यान्नों में अपमिश्रण के इस खतरे को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1968 के दौरान खाद्यान्नों में मिलावट करने के 38488 मामले पकड़े गए। 1969 के दौरान 21 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रो में 32499 मामले पकड़े गए। शेष राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में 1969 में तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1970 में कितने मामले पकड़े गए इसकी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही और अधिक कठोर बना दिया गया है और राज्यों को कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम को ठीक ढंग से लागू करें।

खाद्यान्नों में मिलावट के अभिशाप को रोकने में सम्बद्ध राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को मदद देने के लिए एक केन्द्रीय एकक स्थापित किया गया है। यह एकक मुख्यत: अन्त:राज्य अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के नियम 9 में निर्धारित कार्य करेगा और राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह के देने में सहायता देगा।

Factories Producing Defence Material

830. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence (Raksha Mantri)** be pleased to state :

(a) the total number of existing factories which are producing defence material :

(b) the annual capacity of each of them ;

(c) the number of Public Undertakings producing defence material ; and

(d) the number of employees working in such Public Undertakings ?

The Minister of State (Defence Producion) in the Ministry of Defence (Raksha Utpadan) Raksha Mantralaya men Rajya Mantri (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of Ordinance Factories which are producing defence material is 30 including the Heavy Vehicle Factory, Avadi and the Accelerated Freeze Dried Factory at Agra which are under the direct control of Raksha Mantralaya.

(b) It will not be in the public interest to disclose this information.

(c) The number of Public Sector Undertakings under the control of Raksha Mantralaya whose activities include the production of defence material is eight.

(d) 70,360.

Proposal to Entrust Manufacture of Spare Parts of Arms to Firms in Private Sector

831. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence (Raksha Mantri)** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to entrust the manufacture of spare parts of arms to the firms in private sector ; and

(b) if so, its impact on India's defence ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Defence Production) Raksha Mantralaya (Raksha Utpadan) men Rajya Mantri (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Orders for spare parts of Arms are already being placed on firms in the private sector for such items for which either production capacity is not available in the Ornance Factories, or production in the Ordnance Factories is not adequate to meet the demands of the defence forces. The object is to make the defence of the country self-reliant and to reduce the dependance on imports.

(b) Orders on firms in the private sector are placed only for spare parts and components and not for complete arms. Care is also taken to bind the firms to secrecy clauses in the contracts.

छावनी अधिनियम में संशोधन

832. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छावनी अधिनियम में संशोधन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई संशोधन करने से पूर्व विभिन्न छावनी बोर्डों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जायेगा ; और

(ग) क्या इस पुराने अधिनियम में तत्काल संशोधन करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : संघों तथा व्यक्तियों से जिसमें छावनी बोर्ड के चुने गए सदस्य भी शामिल हैं अनेकों सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन पर समुचित विचार किया जा रहा है ।

बिड़ला भवन, नई दिल्ली का अधिग्रहण

833. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला भवन, नई दिल्ली का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या स्वामियों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो मुआवजे की राशि क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) : सरकार द्वारा नई दिल्ली में बिड़ला हाउस का अधिग्रहण अभी नहीं किया गया है। गांधी जी के स्मारक की स्थापना के लिए बिड़ला हाउस का अधिग्रहण करने के निर्णय के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा '4' के अधीन एक अधिसूचना 19 अक्टूबर, 1970 को जारी की गई थी, तथा अधिनियम की धारा 6 के अधीन 30 नवम्बर, 1970 को एक और अधिसूचना भी जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा ऐवार्ड घोषित करने पर सरकार द्वारा बिड़ला हाउस का अधिग्रहण किया जायेगा।

(ग) तथा (घ) : अधिगृहीत सम्पत्ति के मुआवजा के प्रश्न पर भूमि अधिग्रहण समाहर्ता द्वारा एवार्ड दिये जाने के बाद विचार किया जायेगा । कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिल्ली प्रशासन से निवेदन किया गया है, ताकि सरकार द्वारा बिड़ला हाउस का दखल लेने में कोई अनावश्यक विलम्ब न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को फिर से सक्रिय बनाने के लिए जापान का अनुरोध

834. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने हिन्द चीन में शान्ति स्थापन के कार्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को फिर से सक्रिय बनाने का अनुरोध किया है और त्रिराष्ट्र ग्रुप को वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सदस्य के रूप में सरकार ने जापान के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने जापान सरकार से भारत चीन और अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की गतिविधियों पर लगातार बातचीत की

है। जापान ने जनेवा कांफ्रेंस की बहुत सी शक्तियों को बताया है कि वह आयोग की गतिविधियों के लिए कुछ आर्थिक और अन्य प्रकार की सहायता देगा। उसने अभी तक सदस्य होने का प्रस्ताव नहीं किया है। इस मामले में कोई भी फैसला जनेवा शक्तियों और संबंधित दलों द्वारा किया जायेगा।

पाकिस्तान को चीन की सहायता

335. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि चेयरमैन माओ-से-तुंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को वर्तमान संकट में सहायता देने का व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है जिसमें पाकिस्तानी सेना का विस्तार करने के लिये और उसे आधुनिकतम शस्त्रों से लैस करने के लिए सभी प्रकार की सहायता देना सम्मिलित है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि हमारे देश की प्रतिरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि माओ-से-तुंग ने पाकिस्तान राष्ट्रपति के नाम एक निजी सन्देश भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द महासागर में रूस तथा चीन की अभिरुचि

336. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'टाइम्स आफ इंडिया' दिनांक 7 अप्रैल, 1971 में 'रशियन एम्बीशन्स इन इंडियन ओशियन, एक्सपर्टस् डिस्काउन्ट फियर्स' शीर्षक से प्रकाशित एक लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें तीन विद्वानों ने इस सिद्धान्त का खंडन किया है कि सोवियत संघ और चीन हिन्द महासागर में चुपचाप अनधिकार प्रवेश कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन विद्वानों द्वारा दिये गये कारणों और तर्कों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस विषय पर सरकार ने एक अर्से तक विचार किया था तथा हिन्द महासागर के बारे में सरकारी नीति निर्धारित करते समय सभी संगत बातों को ध्यान में रखा गया था। सरकार की नीति अनेक अवसरों पर सदन में बतायी जा चुकी है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

837. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में राज्यों से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या सरकार सभी राज्यों को एक ऐसा सूत्र बनाने पर विचार कर रही है जो स्वीकार्य हो ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) नगरीय सम्पत्ति की ऊपरी सीमा लागू करने से संबन्धित विधेयक के मसौदे को राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को उनके विचार जानने/सहमति प्राप्त करने के लिए 25 जुलाई, 1970 को लिखा गया था। अब तक प्राप्त हुए उत्तरों से यह व्यक्त होना है कि मामला सक्रिय रूप से राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

जनसंख्या के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना

838. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार इस बात का पता लगाने के लिए, कि देश की जनसंख्या केवल 54.7 करोड़ तक ही कैसे बढ़ गई जबकि सरकार के अनुमान के अनुसार वह 56.1 करोड़ तक पहुंच जानी चाहिए थी, कोई विशेषकर समिति नियुक्त करने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के अन्य निर्देश पद क्या होंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : यह विषय विचाराधीन है।

रूसी शिष्ट मण्डल द्वारा भारत का दौरा

339. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में रूस से भारत आए विभिन्न शिष्ट मंडलों तथा उनमें आए व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) इन विभिन्न रूसी शिष्ट मण्डलों की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बम्बई में महामारी के रूप में नेत्र-रोग का फैलना

841. **श्री दशरथ देव :**
श्री बी० के० दासचौधरी :
श्री मुरुगनन्तम् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि महामारी के रूप में फैले नेत्र-रोग से बम्बई में 30,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा यह रोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है ;

(ख) इस महामारी के फैलने के क्या कारण है ; और

(ग) इस महामारी को रोकने तथा इस पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि म्युनिसिपल तथा सरकारी अस्पतालों औषधालयों एवं चलते-फिरते केन्द्रों में लगभग 5 लाख व्यक्तियों का उपचार किया गया। परन्तु अब यह महामारी धीरे-धीरे लुप्त हो रही है।

(ख) महामारी के स्वरूप से ऐसा जान पड़ता है कि यह नेत्र रोग एक वायु में उड़न वाल विषण के कारण हुआ । विषाणु अनुसंधान संस्थान पूना तथा हैफिक संस्थान बम्बई इस समय इस रोग को पैदा करने वाले किसी रोगोत्पादक विषाणु का पता लगाने के कार्य में लगे हुए हैं।

(ग) इस रोग की रोक थाम तथा नियंत्रण के लिए उठाए गए उपायों में निम्नलिखित बात सम्मिलित हैं :–

(i) सरकारी तथा म्युनिसिपल अस्पतालों, औषधालयों तथा चलते-फिरते अस्पतालों में रोगियों का उपचार करने का प्रबन्ध करना ;

(ii) रोगियों का मुफ्त इलाज करने के लिए निजी चिकित्सकों को औषधियों का मुफ्त देना ;

(iii) तैराकी तालाबों को बन्द करना ; और

(iv) (क) नेत्र रोगियों से बचकर रहने जैसे रोक-थाम के उपायों बरतने तथा (ख) रोगियों को अपने आप को दूसरे लोगों से अलग रख कर रोग संक्रमण आदि को रोकने के बारे में जनता को रेडियो, प्रेस तथा श्रव्य एवं दृश्य के अन्य साधनों द्वारा सलाह देना ।

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के बंगाली राजनयिकों का इस्लामाबाद उच्च आयोग से विपतन

842. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त, भारत सरकार द्वारा 26 अप्रैल, 1971 को जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करके, बंगला देश के रहने वाले राजनयिकों को इस्लामाबाद भेज रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की जानकारी में इस प्रकार के उल्लंघन के कितने मामले आये हैं ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ते में सल्फा औषधियों के मूल्य

843. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में अप्रैल, 1970 से अप्रैल, 1971 के दौरान प्रत्येक मास प्रति जीवाणु तथा सल्फा औषधियों के फुटकर तथा थोक मूल्य कितने-कितने रहे ; और

(ख) इन औषाधियों पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1971 का क्या प्रभाव पड़ा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) देश में सल्फा औषधियों का निर्माण करने वाली कई फर्में हैं और अप्रैल 1970 अप्रैल 1971 के दौरान उनके फुटकर मूल्य प्रकाशित मूल्य सूचियों में उपलब्ध हैं । जहां तक थोक मूल्यों का सम्बन्ध है, मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि प्रत्येक फर्म के मूल्य भिन्न-भिन्न हैं जो निर्माता द्वारा व्यापार को दिये जाने वाले कमीशन पर निर्भर करते हैं । औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 में व्यापार को कमीशन की केवल न्यूनतम दरों की व्यवस्था है ।

(ख) औषधियों के अनुचित रूप से अधिक मूल्यों को उचित स्तरों पर लाने के अतिरिक्त औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 का उद्देश्य औषधियों के मूल्यों का युक्ति करण करना भी रहा है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो कुछ सल्फा औषधियों के मूल्य कम हो गये हैं लेकिन दूसरी ओर कुछ औषधियों के मूल्य मुख्यत: आयात प्रतिस्थापन के कारण कच्चे मालों की लागत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप बढ़ गये हैं।

बेघर लोगों के लिए राजधानी में आवास की सुविधाएं

844. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री रामावतार शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान बेघर लोगों की संख्या 300 प्रतिशत अर्थात 6,586 से बढ़कर 20,997 हो गई है ;

(ख) क्या राष्ट्र की राजधानी में पटरियों पर रहने वाले अनेक लोगों में से इस समय कम से कम तीन स्नातक-2 विज्ञान में तथा एक कला में-भी हैं ;

(ग) प्रत्येक राज्य की राजधानी में गत तीन वर्षों के दौरान तथा नवीनतम जनगणना के अनुसार बेघर लोगों की कितनी संख्या रही ; और

(घ) आवास सम्बन्धी सुविधाओं की भारी और निरन्तर बढ़ती हुई समस्या को हल करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) यह अनुमान किया जाता है कि दिल्ली में बेघर व्यक्तियों की संख्या 1961 में 6,586 से बढ़कर 1971 की जन-गणना में लगभग 20,997 हो गई। यह वृद्धि लगभग 219 प्रतिशत है।

(ख) जी, हां, इस तथ्य का पता दिल्ली में 1971 की जन-गणना में लगा।

(ग) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1971 की जन-गणना में एकत्रित किये गये ब्यौरे को तैयार करने में काफी समय लगेगा।

(घ) आवास सम्बन्धी कार्यकारी दल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये, योजना के आरंभ में देश में लगभग 119 लाख एककों की शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाया था। 10,000 रुपये प्रति मकान की साधारण लागत पर भी, आवास की इस सीमा तक की कमी को पूरा करने के लिये, लगभग 12,000 करोड़ रुपये की पुंजी अपेक्षित होगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में, आवास और नगर-विकास के लिये 241.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसमें से लगभग 193 करोड़ रुपये राज्यों और संघ-क्षेत्रों की आवास योजनाओं के लिये हैं। हाल ही में, आवास और नगर-विकास वित्त-निगम एक सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित की गई है, जिसकी 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी सरकार द्वारा उपलब्ध की जानी है, जिसमें से 1970-71 के दौरान 2 करोड़ रुपये उपलब्ध किये गये थे और 1971-72 के दौरान 2 करोड़ रुपये की एक अन्य राशि उपलब्ध की जानी प्रस्तावित है। अगले कुछ वर्षों में आवास और नगर-विकास की परियोजनाओं में, पूँजी लगाने के लिये, 200 करोड़ रुपये की एक आवर्तन निधि निगम द्वारा बनाये जाने की आशा है।

पूर्व इसके कि देश में आवास की स्थिति में कोई पर्याप्त सुधार की आशा की जाये, चौथी पंच-वर्षीय योजना में आवास के लिये उपलब्ध सीमित साधनों को देखते हुए, इसमें काफी समय लगेगा।

वायुसेना के कर्मचारियों के लिए वियुक्ति भत्ता

845. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के अधिकारियों को क्षेत्र में, जहां परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं है, सेवा करते समय प्रति मास वियुक्ति भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की सुविधाएं अन्य रैंकों के पदाधिकारियों को भी मिलती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। विवाहित अफसर वियुक्ति भत्ते के हकदार हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अन्य रैंकों के वेतन का नियतन करते समय इस तथ्य पर ध्यान रखा गया था कि उनके सेवा के अधिकांश भाग में परिवार से वियुक्त सामान्य होगी। इसको ध्यान में रखते हुऐ, उन्हें कोई भी वियुक्ति भत्ता मंजूर नहीं किया गया है। सब सैनिक अफसरों के लिए परिवार से वियुक्ति नियमित कार्य नहीं है इसलिए उनके वेतनमानों का नियतन करते समय वियुक्ति के तथ्य को लेखे में नहीं लिया गया था। दूसरा तथ्य यह है कि अन्य रेंक जब रियायती क्षेत्रों में सेवारत होते हैं तब उन्हें सामान्य वेतन भत्तों तथा अन्य रियायतों के अतिरिक्त विशेष प्रतिकर भत्ता मिलता है। सैनिक अफसर विशेष प्रतिकर भत्ता के लिए हकदार नहीं हैं ।

Undesirable Activities on North Korean Consulate in India

846. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of External Affairs (Videsh Mantri)** be pleased to state :

(a) whether the North Korean Consulate in New Delhi had exhibited films on guerilla warfare as a part of its cultural programme during March and April, 1971 ;

(b) whether that Consulate had also spent money far beyond its limited resources on political propaganda during the last year and this year ;

(c) whether Government consider these activities as undesirable and objectionable ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya men UpMantri) (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). The Consulate General of the Democratic People's Republic of Korea, exhibited some feature films in February and March, 1971, which inter alia, showed scenes of guerilla type war fare conducted by North Koreans against U.S. forces. The Consulate General has also been inserting advertisements reproducing statements of and articles about their Head of State, Marshal Kim II Sung. The Government is unable to state whether such expenditure was beyond the means of the Consulate General.

The Government considered that some of the activities of the Consulate General were not in accordance with normal practice and have pointed this out to them.

They have assured us that they have no intention of interfering in India's internal affairs and that they would abide by established diplomatic practice in such matters.

Expenditure Incurred on Maintenance of M. P. Bungalows and Flats

847. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Works and Housing** (**Nirman aur Awas Mantri**) be pleased to state :

(a) the expenditure incurred by Government on the maintenance of bungalows and flats allotted to the Members of Parliament during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ;

(b) the amount received by Government as rent of the accommodation allotted to them and housing facilities provided to them during the above period ; and

(c) the amount of expenditure to be incurred and the amount likely to be received as rent etc. during 1971-72 under this head ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (**Nirman aur Awas Mantralaya men Rajya Mantri**) (**Shri I. K. Gujral**) **:** (a) The expenditure incurred on the maintenance of bungalows and flats allotted to Members of Parliament during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 was Rs. 12,75,903, Rs. 15,80,472 and Rs. 17,71,635 respectively.

(b) The amount of recovery received by Government on account of 'Licence fee' during the years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 was Rs. 10.44 lakhs, 11.28 lakhs and 11.74 lakhs.

(c) The amount of expenditure to be incurred during 1971-72 is estimated at Rs. 19,41,409/- and the amount of 'Licence fee' likely to be received during the year is anticipated at Rs. 12.50 lakhs.

Murder of a Major of Indian Army in Kashmir

848. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Defence** (**Raksha Mantri**) be pleased to state :

(a) whether in the first fortnight of May, 1971 a Major of the Indian Army was murdered in Kashmir by some unknown persons and his dead body was recovered from the Dal Lake ;

(b) whether Government held a high level enquiry into the said murder ; and

(c) if so, the results thereof and the assistance granted to the family of the deceased ?

The Minister of Defence (**Raksha Mantri**) (**Shri Jagjivan Ram**) **:** (a) The dead body of a Major of the Indian Army was recovered from Dal Lake on 4.5.1971. The cause of death has not so far been established.

(b) and (c). A Court of Inquiry is in progress. The widow of the officer has been paid an initial grant of Rs. 1,500/-, on 7-5-1971, from the Army Officers' Benevolent Fund. She will be given further assistance to the extent of Rs. 4,500/-, spread over the next 18 months. In addition, the question of grant of family pension to the widow is under consideration.

नई दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियां और झोपड़ियां

850. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नई दिल्ली की महत्वपूर्ण बस्तियों में गत कुछ महीनों में सैकड़ों अनधिकृत झुग्गियां और झोपड़ियां डाल ली गई हैं और कुछ गैर-सरकारी प्लाटों पर भी झुग्गियां बना ली गई हैं ; और

(ख) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां। पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक भूमि पर कई झुग्गियां बन गई हैं। गैर-सरकारी भूमि पर अनधिवास के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार इस बात पर विचार कर रही है, कि इस समस्या को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से हल किया जा सकता है।

बड़े नगरों में पानी की गम्भीर समस्या

851. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत दस वर्षों में बड़े नगरों और कस्बों में जनसंख्या में दुगुनी अथवा तिगुनी वृद्धि हो जाने के कारण पानी की समस्या गम्भीर हो गई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव अथवा योजनाएं प्राप्त हुई हैं ;

(ग) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितनी-कितनी राशि की मांग की है ; और

(घ) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां। जनसंख्या की वृद्धि के कारण अधिकांश बड़े शहरों में जलपूर्ति की समस्या आमतौर से बढ़ गई है।

(ख) से (घ) : जलपूर्ति की योजना तैयार करना, उनके लिए धन का आवंटन करने और उनकी क्रियान्वित करने का काम पूर्णतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता किसी योजना विशेष के लिए न देकर सभी विकास योजनाओं के लिए जिसमें जलपूर्ति योजना भी सम्मिलित है, एक मुश्त ऋणों और एक मुश्त अनुदानों के रूप में दी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अधीन शहरी जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के लिए 277 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। फिर भी किन्हीं विशिष्ट वर्गों की योजनाओं की भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है और मंजूरी योजना विशेष की तकनीकी और दूसरे पहलुओं की जांच करने के बाद की जाती है।

गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों की सहायता

852. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों को सहायता देने के लिए कोई नीति बनाई है और कोई धनराशि नियत की है ; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान अथवा ऋण के रूप में सहायता दिये जाने की कसौटी क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) देश के निजी मेडिकल कालेजों को सहायता देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में एक योजना शामिल की गई है जिसके लिए कुल 50 लाख रुपये का योजना-आवंटन किया गया है।

(ख) निजी मेडिकल कालेजों को वित्तीय सहायता देने के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

मैसूर के कोलार जिले में परिवार नियोजन योजना

853. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के कोलार जिले में परिवार नियोजन के बारे में बहुत कम प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या ग्रामीण जनता को परिवार नियोजन का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरणा देने हेतु सरकार गीत और नाटक कार्यक्रम और अन्य जनसम्पर्क साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकने की स्थिति में है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) पिछले चार वर्षों में नसबन्दी और लूप की प्रगति का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 260/71]**

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर ग्राम क्षेत्रों में, भारत सरकार पहले से ही गीत नाटकों के परम्परागत प्रचार साधनों का उपयोग कर रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग के छः गीत और नाटक एकांश क्षेत्र में तथा एक एकांश मुख्यालय में गीत और अन्तर्गत पंजीकृत स्थानीय मंडलियों के माध्यम से परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। चार कार्यक्रम दल नियोजन सीधे गीत और नाटक प्रभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करते हैं।

कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय दलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार को भी धन आवंटित किया गया है।

पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज के कोयला क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई

854. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रानीगंज, पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों को पीने का पानी सप्लाई करने सम्बन्धी योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरी राशि स्वयं देने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) उपर्युक्त योजना कब तक आरम्भ की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) : रानीगंज कोयला क्षेत्र जलपूर्ति योजना, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन भागो में तैयार

की गई थी । पूरी योजना की कुल लागत 7.70 करोड़ रुपये आंकी गई है । भारत सरकार ने योजना के पहले और दूसरे भागों को मार्च, 1966 में स्वीकार कर लिया था और इनकी अनुमानित लागत क्रमशः 305 करोड़ रुपए तथा 3.28 करोड़ रुपये है । पहले भाग की वित्तीय व्यवस्था के बारे में निम्न प्रकार से निर्णय किया गया है :—

(i)	शहरी घटकों की लागत के रूप में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला ऋण	0.56 करोड़ रु०
(ii)	कोयला श्रम कल्याण संगठन के अंशदान	1.00 तदैव
(iii)	ग्रामीण घटक के लिए भारत सरकार से अर्थिक सहायता	0.99 तदैव
(vi)	राज्य सरकार का हिस्सा	0.99 तदैव
	योग :	3.54 करोड़ रु०

(ग) योजना के पहले भाग का काम पिछले चार वर्षों से किया जा रहा है और बताया गया है कि लगभग पूरा हो रहा है ।

Exploration of Petroleum in Rajasthan

855. **Shri P.L. Barupal :** Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** (**Petroleum aur Rasayan Mantri**) be pleased to state :

(a) the extent of progress made in the work of exploration of petroleum in various regions of Rajasthan, particularly in Jaisalmer District for the last many years ; and

(b) the total expenditure incurred in his Vibhag engaged in the said exploration work from 1968 to 1970 and the results achieved therefrom ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (**Petroleum aur Rasayan Mantri**) (**Shri P. C. Sethi**) : (a) On general geological considerations, oil/gas prospects in Rajasthan seem to be limited to the north-western part of Jaisalmer District, the Sanchor area of Jalaur District and the Border area of Bikaner District. Surveys have been conducted in these areas, and are continuing.

Six wells were drilled in Kharotar, Bakhari Tibba, Vikkaran Nay and Shumarwali Talai structures. Six more wells were drilled in Manhera Tibba structure. One structural well was drilled at Pugal in Bikaner district. No indications of the presence of oil or natural gas of any commercial significance were obtained in these wells.

(b) Total expenditure incurred by the Oil and Natural Gas Commission in the north-western part of Jaisalmer district during the last three years is given below :-

Year	Lakh of Rupees	
1968-69	24.67	
1969-70	31.24	
1970-71	23.74	(excluding depreciation and Head-quarters overheads.)

During the last three years mentioned above, 1157 line-Kms. of Seismic survey was conducted and gravity and magnetic measurements at 4677 situations were made. During this

period, one well was drilled on the Bakhri Tibba structure which proved dry and five wells were drilled in the Manhera Tibba structure of which two were found gas-bearing and three proved dry.

जनरल वैस्टमोरलैंड का दौरा

856. **श्री बी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल वैस्टमोरलैन्ड का फरवरी 1971 में एक राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत करने के क्या कारण थे ; और

(ख) क्या भारत के सेनाध्यक्ष द्वारा जनरल वैस्टमोरलैण्ड को निमंत्रण दिया जाना वियतनाम में युद्ध संबंधी अपराधियों की भर्तस्ना करने की भारत सरकार की नीति के विरुद्ध है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) यह एक सामान्य आतिथ्य दौरा है क्योंकि सेनाध्यक्ष ने अमरीकी सेना के सेनाध्यक्ष जनरल वैस्टमोरलैंड के निमंत्रण पर अप्रैल, 1970 में अमरीका का दौरा किया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों और अध्यापकों की सेवा की शर्तें

857. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक स्कूलों में कार्य कर रहे कर्मचारियों और अध्यापकों की सेवा की शर्तों का निर्धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त सेवा की शर्तों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं । सैनिक स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को सैनिक स्कूल सोसाइटी निर्धारित करती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 261/71]**

(क) और (घ) : सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों की शर्तों का पुनरीक्षण समय-समय पर सोसाइटी द्वारा किया जाता है और जब भी आवश्यक होता है उसमें परिवर्तन किये जाते हैं ।

Ex-M.Ps. Staying in Government Accommodation

858. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri K.M. Madhukar :

Will the **Minister of Works and Housing** (**Nirman aur Awas Mantri**) be pleased to state :

(a) whether Government had permitted the Members of the Fourth Lok Sabha who

were defeated in the last Elections to stay in Government accommodation up to 31st March, 1971 ;

(b) if so, whether some of these Members have not vacated their flats so far ;

(c) the details of such Members and the parties to which they belong ;

(d) the rate at which rent is charged by Government from such persons ; and

(e) the justification for allowing them to continue to live in Government flats even now ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Nirman Aur Awas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Details of such Members of the 4th Lok Sabha who have not vacated their residences, including out-house, together with their party affiliations are indicated in Appendix 'A'. Details of 44 Members who have vacated their main residences but have not vacated the ancillary units like servant quarters and motor garages are given in Appendix 'B'. **[Placed in library. See No. L.T. 262/71]**

(d) In all cases of over-stay after the 31st March, 1971, damages at market rate of rent are chargeable. Shri A.N. Mulla (UIPG) and Kushak Bakula (Congress N) have been allowed to retain accommodation up to the 31st May, 1971 and 6th June 1971 on payment of market rate of rent and rent under F. R. 45 A but without 25% rebate respectively.

(e) Shri A. N. Mulla, has been allowed to retain the accommodation up to the 31st of May, 1971 at the request of the Secretary Kerala Commission of Enquiry at Market Rate of rent. Shri Mulla is the Chairman of the said Commission.

In the case of Shri Kushak Bakula (Congress N), he has been allowed to retain the residence up to the 6th June, 1971 on account of late elections in the Laddak Parlimentary Constituency, where he is re-contesting, on payment of 'Licence Fee' under F. R. 45A but without 25% rebate.

No other member has been permitted to retain accommodation beyond 31st of March, 1971 and they have been asked to vacate the accommodation forthwith.

Unauthorised Colonies in Delhi

859. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Works** and **Housing (Nirman Aur Awas Mantri)** be pleased to state :

(a) the names of unauthorised colonies in Delhi which are yet to be approved ; and

(b) the time by which they are likely to be approved ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Nirman Aur Awas Mantralaya men Rajya Mantri) (Shri I. K. Gujral) : (a) (1) Sant Nagar at Shakurbasti ; (2) Arjun Nagar in Khureji Khas ; (3) Shastri Nagar on Patpar Ganj Road ; (4) Laxmi Market West ; (5) Anarkali South in Khureji Khas ; (6) Chandu Park in Khureji Khas ; (7) New Gobind Pura in Khureji Khas ; (8) Sham Nagar in Khureji Khas : (9) Chauhan Bangar, Zaffarabad.

(b) The regularisation plans of the unauthorised colonies mentioned in part (a) are expected to be approved in about six months' time.

लूप लगाये जाने के मामलों में कमी

860. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूप लगाये जाने के मामलों में निरन्तर कमी होती जा रही है ; और

(ख) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1966-67 से 1969-70 तक लूप अपनाने वालों की संख्या में गिरावट आई थी । 1970-71 के दौरान इस कमी की प्रवृत्ति पर काबू पा लिया गया है, जैसा निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है ।

1970-71 (फरवरी तक)	4,07,741
1969-70 (इसी अवधि में)	3,98,978

(ख) लूप को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं :—

1. लूप सम्बन्धी कार्य में लगे हुए कार्मिकों के प्रशिक्षण में सुधार और मानकीकरण कर लिया गया है ।

(2) अपनाने वाले व्यक्तियों को सभी आवश्यक सूचना पहले से दे दी जाती है, साथ ही मामलों के उचित चुनाव के लिए चिकित्सीय निरीक्षण पर भी जोर दिया जाता है ।

(3) लूप पहनाए जाने के बाद अनुवर्ती सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं तथा ऐसे मामलों में तुरन्त ध्यान दिया जाता है ।

(4) विचारों के आदान-प्रदान तथा दोष-निवारक उपाय अपनाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञों, कार्यक्रम आयोजकों तथा निष्पादकों की राज्य स्तर पर बैठकें बुलाई गई थी ।

(5) नए तरीकों, जटिलताओं के नियंत्रण के लिए औषधियों तथा कार्यक्रम के मूल्यांकन विषयक क्षेत्रीय अनुसन्धान कार्य पर निरन्तर अनुसन्धान किया जा रहा है ।

झिलमिल तहीरपुर बस्ती को जमुना-पुल, दिल्ली के साथ जोड़ने वाली सड़क का निर्माण

861. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमुना के पार दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास बस्ती झिलमिल तहीरपुर

को इन्द्रप्रस्थ एस्टेट स्थित जमुना-पुल के साथ जोड़ने के लिए किसी सड़क का निर्माण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो झिलमिल तहीरपुर बस्ती से उक्त पुल तक लगभग कितनी लम्बी सड़क बनाई जायेगी ; और

(ग) उक्त सड़क सम्भवतः कब तक पूरी हो जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 7.3 कि० मी० ।

(ग) पुल से पार्श्ववर्ती बांध तक का कार्य पूरा हो चुका है । शेष भागों में जहां भूमि उपलब्ध कर दी गई है, कार्य चल रहा है । सड़क की सीध में आने वाली भूमि के कुछ भागों को अभी अर्जन किया जाना है और अतएव, इस समय कार्य के पूरे होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है ।

श्रेणी-4 के क्वार्टरों का आवंटन

862. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों के आवासों का आवंटन करने के लिए वर्ष 1970 में पुनः आवेदन-पत्र मांगे हैं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1948 की वरीयता-तारीख तक के श्रेणी-4 के क्वार्टरों के आवंटन हेतु प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के अन्त तक श्रेणी-4 के कुल कितने क्वार्टर आवंटन के लिए उपलब्ध हो जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) पात्र कार्यालयों में काम कर रहे और टाइप iv के वास के पात्र सरकारी कर्मचारियों से 31 दिसम्बर, 1948 तक की प्राथमिकता तिथि वाले 2,463 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ।

(ग) दिल्ली में सामान्य पुल में निर्माणाधीन टाइम iv के 1,028 क्वार्टरों में से 256 क्वार्टर पहले ही पूरे हो चुके हैं तथा पात्र कर्मचारियों को आवंटित हो चुके हैं, 456 और क्वार्टर 1971-72 के वर्ष के दौरान पूरे होने की आशा है और शेष 316 क्वार्टर 1972-73 के वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

मीठापुर उर्वरक परियोजना

863. **श्री पी० के० देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मीठापुर उर्वरक परियोजना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) मैसर्स टाटा कैमिकल्स को दिये गये आशय पत्र में एक यह शर्त रखी गई थी कि कम्पनी को एम० आर० टी० पी० एक्ट के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। सरकार ने एम० आर० टी० पी० एक्ट के अन्तर्गत प्रयोजना के लिए अब अनुमति दे दी है। आशय पत्र में यथा अपेक्षित कम्पनी द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्रयोजना पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौसेना के लिए हेलीकाप्टर

864. **श्री पी० के० देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए हेलीकाप्टर प्राप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) सूचना देना लोकहित में नहीं है।

एमर्जेन्सी कमीशन-प्राप्त बेरोजगार अधिकारी

865. **श्री पी० के० देव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने एमर्जेन्सी-कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं जो अपनी सेवामुक्ति के नौ महीने के बाद भी कोई रोजगार नहीं पा सके हैं ;

(ख) उनमें से कितने स्नातक हैं और कितनों ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त की हुई है ; और

(ग) उनमें से ऐसे कितने अधिकारी हैं जो सेना में भर्ती होने से पूर्व 24 वर्ष से कम की आयु के थे और साथ ही साथ उन्होंने स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की हुई थी ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1968।

(ख) 126 स्नातकोत्तर हैं और 588 स्नातक हैं।

(ग) 234।

Sainik School, Nainital

866. **Shri N. S. Bisht** : Will the **Minister of Defence** (**Raksha Mantri**) be pleased to state :

(a) the number of students studying in the Sainik School, Ghorkhal (Nainital) ;

(b) the number of students out of them belonging to Uttar Pradesh and Uttarakhand region, separately ;

(c) whether preference is given to local students particularly the children of the military personnel of Uttarakhand or whether there is any reservation for them in the matter of admission to the school; and

(d) if not, whether Government propose to reserve some seats for the students, particularly the children of military personnel of this region?

The Minister of Defence (Raksha Mantri) (Shri Jagjivan Ram) : (a) 317

(b) 59 students of the School are from Uttarakhand and 185 are from other districts of U.P. and 73 others are from other parts of India.

(c) and (d). Entry into the Sainik Schools is regulated through a competitive examination held in February/March each year. There is no special system of reservation of seats for any category of children or children hailing from any particular area. Children of Defence personnel who qualify themselves for admission into the Sainik Schools are awarded scholarships by the Defence Ministry, if they fulfil necessary conditions attached to such scholarships.

बिना सरकारी आवास-स्थान वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

867. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की सेवा में 20 वर्ष से अधिक के सेवा-काल वाले ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें अब तक सरकारी आवास स्थान प्राप्त नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की राज्य-वार, श्रेणी-वार तथा विशेष रूप से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र आवास-स्थान प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) वर्ष विशेष के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों तथा उपलब्ध होने वाले नये रिहायशी एककों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उस वर्ष विशेष के दौरान सामान्य पूल में वास के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र सीमित आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं। टाइप iv और नीचे के टाइप के पात्र कर्मचारियों के मामलों में, प्राथमिकता की तारीख ऐसे कर्मचारियों की केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार आदि के अधीन निरन्तर पद ग्रहण करने की तारीख से निश्चित की जाती है, जबकि टाइप v और उससे ऊपर के पात्र कर्मचारियों के मामलों में प्राथमिकता की तारीख टाइप विशेष के लिए ऐसे कर्मचारियों की निरन्तर परिलाब्धियां के लेने से शुमार की जाती हैं। टाइप v और उससे ऊपर के पात्र कर्मचारियों के मामलों में उन द्वारा की गई सेवा काल के संबंध में सम्पदा निदेशालय में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। टाइप iv के तथा उससे नीचे के पात्र कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल से अधिक की सेवा करली है और अभी वे बिना सरकारी वास के हैं।

(ख) 'सामान्य पूल' वास फिलहाल बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास चन्डीगढ़, फरीदाबाद, नागपुर और शिमला में उपलब्ध है। एक विवरण संलग्न है, जिसमें 20 साल से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों की संख्या दी गई है तथा जिन्हें कोई सरकारी वास आवंटित नहीं किया गया।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न स्थानों पर 'सामान्य पूल' वास के निर्माण के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार दिल्ली में 8,311 एकक, बम्बई में 1,706 एकक,

मद्रास में 933 एकक, नागपुर में 408 एकक, कलकत्ता में 1304 एकक, और चन्डीगढ़ में 200 एककों के निर्माण को प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बंगलौर में जहां फिलहाल 'सामान्य पूल' वास उपलब्ध नहीं हैं, टाइप iii से v के 144 एककों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

विवरण

उन कर्मचारियों की संख्या का विवरण जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक की सेवा करली है और जो अभी भी विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल वास के बिना हैं।

टाइप	बम्बई (महाराष्ट्र)	कलकत्ता (प० बंगाल)	चन्डीगढ़ (संघ क्षेत्र)	फरीदाबाद (हरियाणा)	मद्रास (ता०ना०)	नागपुर (मध्य प्रदेश)	शिमला (हिमाचल प्रदेश)	दिल्ली (संघ क्षेत्र)
I	484	12	63	कोई नहीं	—	3	6	9
II	38	40	40	"	—	कोई नहीं	46	कोई नहीं
III	171	71	175	"	—	"	61	352
IV	134	101	114	"	—	"	46	1052
*V								
*VI								
*VII								

* टाइप v से vii में प्राथमिकता की तारीख से मानी जाती है जब से अधिकारी टाइप विशेष के बारे में परिलब्धियां प्राप्त करना जारी रखते हैं और उनके मामलों में उनके सेवा में आने की तारीख सम्पदा निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने 20 साल से अधिक की सेवा कर ली है और जो सरकारी वास के बिना हैं, उपलब्ध नहीं है।

श्रीलंका में भारतीयों को कर से छूट दिया जाना

868. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में बसे हुए भारतीयों को श्रीलंका की सरकार ने किसी प्रकार की कर से छूट दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : श्रीलंका की सरकार ने एक कानून लागू किया है जिसके अनुसार विदेशी राष्ट्रिकों पर जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, 500/-रु० वार्षिक का अस्थायी निवास कर लगाया जा सकता है। हाल ही की एक अधिसूचना के अनुसार 1954 और 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन श्रीलंका में रहने वाले भारतीय इस कर से मुक्त होंगे। भारतीय मूल के जो राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति हैं उन पर इस कानून के प्रावधान लागू नहीं होते।

विभिन्न अस्पतालों में अच्छी सुविधायें

869. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ चिकित्सकों की कोई एशोसियेशन बनायी गई थी ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी बैठक में सरकार से अनुरोध किया है कि विभिन्न अस्पतालों में अच्छी सुविधायें प्रदान करने के बारे में तेजी लाई जाये ; और

(ग) सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) 18 अप्रैल 1971 को कुछ विशेषज्ञों की एक बैठक हुई और उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ अधिकारियों का एक संघ बनाया ।

(ख) उनके द्वारा दिए गये सुझावों का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) अन्य मन्त्रालयों तथा सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करके इन सुझावों की, जो अभी अभी मिले हैं, जांच की जायेगी ।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के संघ द्वारा दिए गये सुझाव

1. केन्द्रीय विकलांग उपचार संस्थान के बहिरंग विभाग में अतिरिक्त कर्मचारियों तथा प्लास्टर रूम और एक्सरे की सुविधाओं से युक्त एक पृथक "अस्थिभंग सेवा" की व्यवस्था की जाए ।

2. केन्द्रीय विकलांग उपक्रम संस्थान के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए ।

3. सफदरजंग अस्पताल में रोगियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक दर्जन गाइडों की नियुक्ति की जाए ।

4. सफदरजंग अस्पताल में रक्त दान के लिए, एक्सरे तथा प्रयोगशाला साज सामान एवं जन-शक्ति में वृद्धि की जाए ।

5. सफदरजंग अस्पताल के आपरेशन थियेटर में 32 रिकवरी रुग्ण शैयाओं के लिए कर्मचारियों और साज-सामान की व्यवस्था की जाए ।

6. सफदरजंग अस्पताल में परिचर्या कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए ।

7. बजट का आवंटन लचीला होना चाहिए ।

8. 300 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को एक स्वास्थ्य लाभ भवन के रूप में परिवर्तित किया जाए ।

9. अस्पताल में श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार के कर्मचारियों की रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया समाप्त की जाए ।

10. सफदरजंग अस्पताल में बंगला देश की आवश्यकताओं के कारण हुए रिक्त पदों पर विशिष्ट क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त जी० डी० ओ० ग्रेड के डाक्टरों को तुरन्त नियुक्त किया जाये ।

दीर्घकालिक प्रस्ताव

1. एक "महानगरीय अस्पताल बोर्ड" की स्थापना ।

2. एक "अस्पताल प्रबन्ध समिति" की स्थापना ।

3. दिल्ली के समीपस्थ राज्यों के उन जिला तथा तालुक अस्पतालों से सम्पर्क स्थापित करना जो शहर के अस्पतालों द्वारा सुझाया गया उपचार कर सकते हों ।

4. देश में चिकित्सा, जनस्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम की एजेन्सियों में और अधिक तालमेल बैठाने की व्यवस्था करना ।

पान्की स्थित उर्वरक कारखाने में जबरी छुट्टी

371. **श्री गुरुगनन्तम :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन कैमिकल इण्डस्ट्री की सहायक कम्पनी इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि० ने अपने पान्की स्थित उर्वरक कारखाने में 14 मार्च, 1971 को जबरी छुट्टी की घोषणा करके उसे बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया गया है कि जबरी छुट्टी की घोषणा इसलिए की गई थी कि यूरिया उर्वरकों की कृत्रिम कमी पैदा की जा सके और आई० सी० आई० बाजार में अपने उत्पादों की भरमार कर भारी मुनाफा कमा सके ;

(ग) क्या सरकार ने इस आरोप के बारे में कोई जांच पड़ताल की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ङ) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लि० का पान्की, कानपुर, स्थित उर्वरक कारखाना श्रमिक समस्याओं के कारण 14 मार्च, 1971 से 4 मई, 1971 तक बन्द रहा और तत्पश्चात पुनः चालू कर दिया गया था ।

(ख) इस मन्त्रालय को ऐसे किसी आरोप की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव हाऊस एन्ड बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली

872. **श्री एस० एन० सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव हाऊस एंड बिल्डिंग सोसायटी, नई दिल्ली ने, कुल कितनी भूमि खरीदी है ; और

(ख) इसमें से सरकार ने कितनी भूमि अर्जित कर ली है और पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के रूप में सोसायटी के पास कितनी भूमि छोड़ दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) 834 बीघा तथा 04 बिसवां।

(ख) 1962 के अन्त तक, 626 बीघा और 16¼ बिसवां भूमि अर्जित की गई थी। शेष भूमि के बारे में अर्जन की कार्यवाही चालू है। समिति के पास कोई भूमि फ्री-होल्ड के आधार पर छोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

नक्सलवादियों के साथ गिरफ्तार सैनिक

873. **श्री एम० कतायुतु :** क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक गांव के निकट नक्सलवादियों के साथ थल सेना के एक कर्मचारी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है।

अंगोला और मोजाम्बीक के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता

874. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने के लिये सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार केवल नैतिक समर्थन ही देने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जैसा कि अनेक मौके पर सदन को सूचित किया जा चुका है, भारत सरकार ने अफ्रीका में मुक्ति आन्दोलनों को साज-सामान की सहायता दी है और यथासम्भव देती रहेगी। इस सहायता में दवा, कम्बल, कपड़ा, स्कूली बच्चों के लिए लेखन-सामग्री तथा भारत में छात्रों के प्रशिक्षण और उच्च-अध्ययन के लिए छात्र-वृत्तियां शामिल हैं।

मनोचिकित्सकों का वार्षिक सम्मेलन

875. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में हुए भारतीय मनोचिकित्सकों के 23 वें सम्मेलन में उस कानून का जोरदार खंडन किया गया है और उसके हटाये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत मस्तिष्क के रोगियों को मानसिक चिकित्सालयों में भर्ती होने से पूर्व मजिस्ट्रेट से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) आधुनिक मनश्चिकित्सा सम्बन्धी विचार धारा के आधार पर विद्यमान भारतीय विक्षिप्तता (ल्यूनेसी) अधिनियम 1912 के स्थान पर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

खाद्य पदार्थों में मिश्रण को रोकने के लिये कानून और संगठनात्मक ढांचा

876. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेईमान व्यापारियों द्वारा विशेषकर शहरी क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों में किये जा रहे मिश्रण को रोकने के लिये वर्तमान कानून और ढांचा अपर्याप्त पाया गया है ;

(ख) क्या इसके लिये प्रभावी कानून बनाने और पर्याप्त व्यवस्था लागू करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के लिये कितने निरीक्षण कर्मचारी हैं और कितनी प्रयोगशालायें हैं और क्या सरकार उन्हें बढ़ाने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्ध, जो कि पहले ही अधिक कठोर बना दिये गये हैं, खाद्यान्नों में मिलावट की रोक-थाम के लिये पर्याप्त पाये गये हैं । इस अधिनियम में कोई बड़ा परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, खाद्य कानूनों के क्रियान्वयन के मौजूदा संगठन को और सुदृढ़ करने की जरूरत है । इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता से खाद्यान्नों में मिलावट के अभिशाप को खत्म करने के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण का एक केन्द्रीय एकक हाल ही में स्थापित किया गया है । यह एकक मुख्यतः उन कार्यों को करेगा जो अन्तर्राज्यीय

अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में विहित हैं तथा राज्यों को तकनीकी राय मशविरा देने में सहायता करेगा ।

(2) खाद्य कानूनों की क्रियान्विति के वर्तमान संगठन को सुदृढ़ करने के लिये विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के राज्यों वाले क्षेत्रों में अपने-अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं ।

(3) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में औषधियों का उपलब्ध न होना

877. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें बार-बार प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों/औषधालयों में महत्वपूर्ण औषधियां उपलब्ध नहीं होती ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के भी समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि इन अस्पतालों/औषधालयों में सप्लाई की जा रही औषधियां घटिया स्तर की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन अस्पतालों में अच्छे स्तर की औषधियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकारी अस्पतालों/औषधालयों द्वारा मानक स्तर की औषधियां दी जाती है । उपलब्ध औषधियों की किस्म के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन तथा सन्तति निरोध के प्रचार में सहायता करने हेतु समितियों की सुविधाएं

878. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन और सन्तति निरोध के प्रचार और आयोजन में सहायता देने के लिए तैयार समितियों अथवा संस्थाओं को क्या सुविधाएं दी जा रही है ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ राशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गत वित्त वर्ष में किसे ऐसी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति में ये निकाय जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा

कर सकते हैं और करते हैं, उसे सरकार स्वीकार करती है। यह सरकार की नीति है कि वह इन स्वैच्छिक संगठनों (जो प्रायः रजिस्टर्ड संस्थाएं होती) को राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में मानती है और उनके कार्य में हर सम्भव सहायता प्रदान करती है। तदनुसार परिवार नियोजन केन्द्रों को चलाने और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इन स्वैच्छिक निकायों को 100 प्रतिशत साहाय्यानुदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है जिन्हें इन अनुदानों के देने के अधिकार सौंपे गए हैं। परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रेरणात्मक सामग्री, श्रव्य-दृश्य साधन और साहित्य भी अनुरोध पर दिया जाता है। विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोजित परिवार नियोजन सेमिनारों और सम्मेलनों जैसे विशिष्ट प्रकार के कार्यों के लिए भी, अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। नसबन्दी चिकित्सा केन्द्रों को चलाने के लिए भी कुछ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 1970-71 में स्वैच्छिक संगठनों को दी गई सहायता का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी उक्त वर्ष में भारत सरकार ने सहायक नर्स धात्रियों को प्रशिक्षण देने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को कुल लगभग 30 लाख रुपये का सहाय्यानुदान दिया। चिकित्सा कार्मिकों के लिए परिवार नियोजन के विषय परिचायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली को भी 67,000 रुपये का साहाय्यानुदान स्वीकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश को इण्डेन पैट्रोलियम गैस की "डीलरशिप"

879. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को इण्डेन पैट्रोलियम गैस की "डीलरशिप" और पार्टियों को नहीं दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या डीलरशिप देने के लिए कुछ निर्धारित सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर इण्डेन गैस की नई "डीलरशिप" देने की व्यवस्था की जाती है ;और

(घ) यदि हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : इस समय इण्डेन गैस का कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार (बी० एच० ई० एल० उपनगर) ऋषिकेश (आई० डी० पी० एल० उपनगर) और गाजियाबाद में वितरकों के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है। चालू वर्ष में भारतीय तेल निगम ने रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा अलीगढ़ नगरों में इण्डेन गैस के विक्रय क्रेय विस्तार की योजना बनाई है।

(ग) और (घ): इसके लिए निम्नसिद्धान्त अपनाये गये हैं :—

(1) प्रदाय के लाभप्रद स्रोत से उत्पाद की उपलब्धता ;

(2) उस (उत्पाद) के वितरण के लिए सिलेण्डरों की प्राप्ति ;

(3) जिन नगरों में इण्डेन गैस को बेचने का प्रस्ताव है, उन नगरों में विक्रय की सम्भावनाएं ;

(4) जिन नगरों में इण्डेन गैस की पहले से बिक्री हो रही है, उन नगरों की पूरी नहीं की गई मांग की मात्रा ; और

(5) अन्य प्रतियोगी ईंधन की उपलब्धता ; आदि ।

रेड-क्रास सोसाइटियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

880. **डा० मेलकोटे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेड-क्रास सोसाइटी तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए शिष्ट-मण्डल भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों से इन सम्मेलनों में कितने संसद् सदस्यों ने भाग लिया है ; और

(ग) क्या चालू वर्ष में भी संसद् सदस्यों को सम्मिलित करने का सरकार का कोई विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) : रेड-क्रास सोसाइटी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि भारतीय रेड-क्रास जो कि एक स्वशासी संगठन है, द्वारा भेजे जाते हैं । सितम्बर, 1969 में इस्तम्बुल में हुए रेड-क्रास के 21 वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पिछले स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय रेड-क्रास के अध्यक्ष के नाते इस सम्मेलन के शिष्टमण्डल के नेता के रूप में भाग लिया था ।

जहाँ तक विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन की बैठकों का सम्बन्ध है इनमें 1969, 1970 और 1971 के वर्षों में भेजे गये किसी भी शिष्ट मण्डल में कोई भी संसद् सदस्य शामिल नहीं किया गया सिवाय इसके कि 1970 में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने तथा 1971 में स्वास्थ्य परिवार नियोजन उपमंत्री द्वारा भारतीय शिष्ट मण्डल का नेतृत्व किया गया ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारत चीन संबंध

881. **श्री जी० विश्वनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने का संकेत दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) चीन ने अब तक इस आशय का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है।

(ख) सरकार पहले बता चुकी है कि हमारे राष्ट्रीय हित तथा सम्मान के अनुरूप शांतिपूर्ण समझौता के लिए द्वार खुले हैं।

Refund of Service Charges to M. P.s

882. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Works and Housing** (**Nirman Aur Awas Mantri**) be pleased to state :

(a) whether the gardeners appointed for the residences of Members of Parliament do not come to work on prescribed days regularly because they are sent to other places by the Officers ;

(b) whether flower and vegetable seeds and manure are not supplied regularly ; and

(c) if so, whether Government propose to make an enquiry into this matter and take steps to refund the money realised on this account from Members of Parliament in cases where such irregularities have been found ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (**Nirman Aur Awas Manralaya men Rajya Mantri**) **(Shri I. K. Gujral)** : (a) No such cases have come to the notice of Government.

(b) Manure is supplied as and when required. Flower and vegetable seeds are supplied to those M. P.s who pay for the maintenance of vegetable and flower beds.

(c) Does not arise.

रुस्तम अशोधित तेल का उपयोग

883. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अथवा अन्य किसी देश में रुस्तम अशोधित तेल को उपयोग में लाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक इसे कैसे उपयोग में लाया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : 1969 से अब तक, देश तथा विदेश में रुस्तम अशोधित तेल का विक्रय किया गया है। अनुभव के आधार पर कोचीन परिष्करणशाला को कुल 30369 टन कार्गो बेचा गया तथा इसी प्रकार स्पेनिश परिष्करणशाला को लगभग 70,000 टन कार्गो बेचा गया।

तब से, मैसर्स टोटल इण्टरनेशनल के साथ एक द्वितीय द्विवर्षीय विक्रय संविदा सम्पन्न किया गया है ; जिसके परिणामस्वरूप पश्चादुक्त द्वारा विक्रय के लिये लगभग 1·25 मिलियन टन की कुल मात्रा उठाये जाने की संभावना है। शेष मात्राओं की बिक्री के लिये मैसर्स हाईड्रोकार्बन इण्डिया प्राइवेट लि० विदेशी बाजार में और प्रयास कर रही है।

चटगांव पहाड़ी के बारे में पाकिस्तानी सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच समझौता

884. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच इस आशय का कोई समझौता हुआ है कि चटगांव पहाड़ी क्षेत्र मिजो विद्रोहियों को दे दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह अनुभव कर रही है कि पाकिस्तानी सेना भारत पर बहुत बड़ा आक्रमण करने के लिए मिजो पहाड़ियों और त्रिपुरा के कुछ भाग में मिजो विद्रोहियों को मारधाड़ की कार्यवाही में लगा रही है और इस के साथ ही त्रिपुरा और आसाम मिजो लोगों ने जो जासूसी का जाल विछाया हुआ है उसका उपयोग कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रयास को निष्फल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को ऐसे किसी समझौते का पता नहीं है ।

(ख) और (ग) : पाकिस्तान सरकार ने मिजो विद्रोहियों को सदा ही जो प्रोत्साहन और सहायता दी उससे सरकार अवगत है और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसने सभी सम्भव उपाय किये हैं ।

रेडियो पाकिस्तान द्वारा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के वक्तव्यों को गलत उद्धृत करना

885. **श्री मुरासोली मारन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान रेडियो तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के वक्तव्यों को गलत रूप में उद्धृत कर रहा है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार को इस संबंध में कोई विरोध पत्र भेजा गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) रेडियो पाकिस्तान आये दिन भारतीय खबरों की द्वेषपूर्ण तोड़ मरोड़ करता है अतः इन ओछी हरकतों पर नजर रखने का कोई अर्थ नहीं है । सरकार का विचार है कि इन बातों को घृणित समझा जाय । फिर भी जहां भारत के बड़े हितों को खतरा होगा सरकार समुचित कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगी ।

लोदी कालोनी, नई दिल्ली में ओवरहैड टैंकों को बदलना

886. **श्रीमती मुकुल बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोदी कालोनी, नई दिल्ली में कुछ सरकारी क्वार्टरों (विशेषकर) परिवर्तित चैमरियों की ऊपरली टंकियां बिल्कुल बेकार हो गई हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या ऐसी ऊपरली टंकियों के पानी के कनेक्शन काट दिये गये थे ; और

(ग) क्या अब तीन वर्ष से अधिक का समय नहीं हो गया है कि यह टंकियां अभी तक बदली नहीं गई हैं जिसके फलस्वरूप शौचालय शुष्क शौचालयों के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। जब कभी इनकी हालत बदलने योग्य होती है, उन्हें बदल दिया जाता है।

(ख) बदलने के समय पानी के कनेक्शन केवल अस्थाई तौर पर ही काटे जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्रोही मिजों का बंगला देश पर आक्रमण कर रही पाकिस्तानी सेना के साथ मिल जाना

887. **डा० रानेन सेन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही मिजों बंगला देश के स्वतंत्रता आन्दोलन को दबाने के लिए वहां आक्रमण कर रही पाकिस्तानी सेना के साथ मिल गये हैं और भारतीय सीमा पर सक्रिय हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सेना अथवा सुरक्षा बल उनको खदेड़ने और कुचलने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल में स्थापित किये गए प्रशिक्षणों कैम्पों में प्रशिक्षण लेने वाले कुछ मिजों को पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल में मुक्ति सेना को दबाने के लिए भर्ती किया है। सुरक्षा सेनाओं ने इस बात के सुनिश्चय के लिए आवश्यक पग उठाए हैं जिससे ये मिजो ग्रुप हिंसक कार्रवाईयों में भाग लेने के लिए भारतीय क्षेत्र में अवैधरूप से न घुस सकें।

पूर्वी भारत स्थित निष्क्रान्त व्यक्तियों के कैम्प में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

888. **श्री पी० आर० दास मुन्शी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी भारत के निष्क्रान्त व्यक्तियों के कैंम्प में अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सरकार इस स्थिति से अवगत है कि इन दिनों भी दूर गांवों में रहने वाले व्यक्ति कस्बे और शहर के चिकित्सा केन्द्रों की सुविधायों का लाभ नहीं उठा सकते ;

(ग) क्या उन्हें चलते-फिरते स्वास्थ्य और औषधि केन्द्र की सहायता से कम से कम सप्ताह में एक बार उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की कोई योजना है ; और

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारियों द्वारा स्थानीय दुकान से खरीदी जाने वाली सरकारी औषधियों के मूल्य बहुत अधिक हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निष्क्रान्त व्यक्तियों के कैम्पों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक चिकित्सा कालेज के साथ प्रशिक्षण एवं सेवा कार्य करने वाला एक चलता-फिरता अस्पताल खोलने का विचार है। इस प्रकार के 21 अस्पतालों (चित्तरंजन दास शताब्दी समारोह के अन्तर्गत पांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा तथा सोलह शिक्षा मंत्रालय द्वारा) की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

प्रेसीडेन्सी नगरों और उनके उपनगरों में आवास योजनायें

889. **श्री पी० आर० दास मुन्शी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष प्रेसीडेन्सी नगरों या उनके उपनगर-क्षेत्रों में कुछ अन्य आवासीय योजनायें बनाने का विचार है ;

(ख) क्या मध्य श्रेणी के स्थायी गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी नगरों या उप-नगरों में आवासीय सुविधायें देने पर विचार किया जायेगा ; और

(ग) क्या सेवानिवृत्त सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारियों को भी आवासीय सुविधायें देने पर विचार किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). इस मंत्रालय द्वारा प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाएं शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए आरंभ की गई थीं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू रही तथा समस्त प्रदेश-सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं :—

1. औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना।

2. निम्न आय वर्ग आवास योजना।

3. मध्यम आय वर्ग आवास योजना।

4. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना।

5. गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना।

6. भूमि अर्जन तथा विकास योजना।

ये योजनाएं प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित वर्गों के लिये भी लागू होती हैं। तथापि, सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र की योजना में सम्मिलित हैं तथा राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों (आवास तथा नगर विकास सहित) के लिए केन्द्रीय सहायता, 'खण्ड ऋणों' तथा 'खण्ड अनुदानों' के रूप में उपलब्ध की जा रही हैं जो किसी योजना विशेष अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। फलस्वरूप, राज्य सरकारें उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी क्षेत्र में (बड़े शहरों सहित) तथा किसी भी पद के कर्मचारियों को किसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु इच्छानुसार उचित निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं।

Increase in India's Population by the year 2000

890. **Shri N. C. Daga :** Will the Minister of **Health** and **Family Planning (Swasthya Aur Parivar Niyojan Mantri)** be pleased to state whether the population of the country would go up to above 89 crores in the year 2000, if suitable steps are not taken to lower the birth-rate ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Swasthya Aur Parivar Niyojan Mantralya men Rajya Mantri) (Shri D. P. Chattopadhyay) : According to 1971 Census, the provisional population of India is 54.7 crores and the related annual geometric growth rate for the period 1961-71 is 2.2 per cent. If this growth rate continues beyond 1971, the population of India may rise to 89 crores even earlier than 2000 A. D., say by 1994.

कच्छ क्षेत्र में तेल के स्रोतों का पाया जाना

891. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्छ क्षेत्र में तेल के बहुत बड़े क्षेत्रों का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल का पता लगाने में कौन-कौन से देश सहायता कर रहे हैं और इसमें कितना समय लगेगा और वहां सम्भावनाएं क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कच्छ क्षेत्र में सम्भाव्य तेल एवं गैस के संचयों की कोई दिलचस्प संरचना नहीं पाई गई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खुले बाजार में दवाइयों की अनुपलब्धता

892. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जब से देश में दवाइयों के मूल्यों पर नियंत्रण लगाया है तब से खुले बाजार में दवाइयां लुप्त हो गई हैं और सुगमता से उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि उपभोक्ता को प्रत्येक अपेक्षित दवाई नियंत्रित भाव पर सुगमता से उपलब्ध हो ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) निवारक उपाय के तौर पर, उपभोक्ताओं को नियंत्रित कीमतों पर औषधियों की उपलब्धि का निर्धारण करने के लिए औषधि नियन्त्रक की संस्था के क्षेत्र अधिकारियों से समय-समय पर रिपोर्टें मंगवाई जाती हैं । किन्तु विशिष्ट क्षेत्रों में किसी विशेष औषधि की कमी होने की जब कभी भी रिपोर्ट मिलती है निर्माताओं को सप्लाई बनाये रखने के अनुदेश दिये जाते हैं । मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को स्थिर रखने के प्रयोजन से औषधियां तैयार करने वाले कारखानों को कच्चे माल एवं मध्यवर्ती पदार्थों की नियमित तथा प्रर्याप्त पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

चीन द्वारा आणविक हथियारों की निर्माण संबंधी उपलब्धि

893. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी चीन को आणविक हथियारों की उपलब्धि में सफलता मिल जाने से इस उप महाद्वीप में और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : चीन की नाभिकीय शक्ति में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है । चीन की नाभिकीय क्षमता के प्रभाव की सरकार निरन्तर समीक्षा करती रहती है ।

Roads to Connect West Rajasthan with North India, West India and South India

894. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Defence** (**Raksha Mantri**) be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for the construction of roads important from defence point of view to connect West Rajasthan with North India, West India and South India ; and

(b) if so, the names of those roads ?

The Minister of Defence (**Raksha Mantri**) (**Shri Jagjivan Ram**) : (a) and (b). Having regard to our defence requirements, a number of roads have been constructed and improved, linking West Rajasthan to the interior. This is a continuing programme for which the requirements are reviewed from time to time in the light of assessment of developments across the border and the arrangements to meet them. It will not be in the public interest to give details of these roads.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ईछापुर राइफल फैक्टरी के कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें ;

"ईछापुर राइफल फैक्टरी के कर्मचारियों पर 22 मई, 1971 को गोली चलाये जाने और उसके परिणामस्वरूप हुई कुछ कर्मचारियों की मृत्यु का समाचार।"

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, शनिवार 22 मई 1971 को प्रातः लगभग 7.15 बजे जब राइफल फैक्टरी ईछापुर के एक औद्योगिक कर्मचारी श्री विक्रमजीत बनर्जी बस में बैठकर फैक्टरी जा रहे थे तो बीच में पड़ने वाले एक बस स्टाप पर बदमाशों के एक गिरोह ने उन्हें बस से बाहर खींचा और छुरा मार कर उनकी हत्या कर दी।

2. उनके साथी कर्मचारी जोकि उसी बस में सफर कर रहे थे, इस दुःखद समाचार को फैक्टरी में लाए। कारखाने के अधिकारियों नें तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन, नवपारा को घटना की जांच के लिए सूचना दे दी।

3. यह खबर कर्मचारियों में शीघ्रता से फैल गई तथा प्रातः लगभग 8.30 बजे सैकड़ों कर्मचारी कारखाने के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में घुस गये तथा उन्होंने यह मांग की कि उन्हें श्री बनर्जी का पता ठिकाना बताया जाय। प्रभारी अधिकारी ने उन्हें बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और उन्हें इसके बारे में शीघ्र ही पुलिस से सारी खबर मिल जाएगी।

4. इससे कर्मचारियों को सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने मांग की कि प्रभारी अधिकारी उनके साथ जलूस में नवपारा पुलिस स्टेशन चले। ऐसा रास्ता न अपनाने के लिए प्रभारी अधिकारी द्वारा बारबार समझाए जाने पर भी वे नहीं माने। इसी बीच लगभग 4000 कर्मचारियों ने विभिन्न उत्पादन कर्मशालाओं में काम बन्द कर दिया और सुरक्षा तलाशी के विनियमों की उपेक्षा करते हुए वे एक भारी जलूस के रूप में कारखाने से बाहर निकल आए। कारखाने के बहुत से अफसरों को, जिसमें प्रभारी अधिकारी भी शामिल था, अपने कार्यालयों से बाहर निकल कर जलूस में शामिल होने के लिए वाध्य किया गया।

5. प्रातः लगभग 10.10 बजे जलूस वालों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, और वे बेकाबू हो गए। उन्होंने पुलिस पर ईंटे फेंकी और थाने को उजाड़ने की कोशिश की। इस क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत पहले से ही निषेधात्मक आदेश लागू थे तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए समुचित चेतावनी देने के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करने का आदेश दिया गया। पुलिस ने सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और दो बम्ब बरामद किए।

6. बाद में लगभग 11.30 बजे लगभग 1000 व्यक्ति पुनः इकट्ठे हो गए और उन्होंने बैरकपुर-ट्रंक रोड पर रुकावटें खड़ी कर के यातायात में बाधा पहुंचायी। स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने शीघ्र ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी को एक कुमुक के रूप में वहां भेजा। तब भीड़ ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और स्थानीय पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर और गोले फेंकने शुरू कर दिये थे, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दो सिपाही घायल हो गए थे। चूंकि स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो रही थी, इसलिए नवपारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ने तीन गोलियां चलायीं जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य तीन घायल हो गए। 5 और व्यक्तियों को मामूली चोंटे आई।

7. सोमवार, 24 मई 1971 को बैरकपुर-बरनगर के 12 मील लम्बे क्षेत्र में "बन्द" का आयोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप कोई कर्मचारी कारखाने में उपस्थित नहीं हो सका और चारों कारखाने नामतः राइफल फैक्टरी, ईछापुर, मैटल एन्ड स्टील फैक्टरी, ईछापुर, गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर तथा आर्डनेन्स फैक्टरी, दमदम निष्क्रिय हो गए। यद्यपि 25 मई को भारी संख्या में कर्मचारी काम पर लौट आए थे किन्तु बहुत थोड़ा काम हुआ। इसका महत्वपूर्ण रक्षा भण्डारों के उत्पादन पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा।

8. इन घटनाओं के उपरान्त डी० जी० ओ० एफ० संगठन के अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से मिले। उनसे चर्चा करने के बाद अधिक पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई तथा पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां उस क्षेत्र में तैनात कर दी गई। मैंने भी मुख्य मंत्री तथा उप मुख्य मंत्री के साथ इस मामले को उठाया है और उनसे अनुरोध किया है कि उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बनाई जाय।

श्री एस० एम० बनर्जी : इससे पूर्व भी ऐसी कई घटनाऐं हो चुकी हैं जिनमें इन फैक्टरियों के कर्मचारियों को छुरा मार कर मारा गया है। काफी समय से ऐसी बातें होती आ रही हैं।

मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में जो रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हुई है वह पुलिस अधिकारियों से प्राप्त हुई है, अथवा आयुध कारखानों के महानिदेशालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य स्वतन्त्र अभिकरण से प्राप्त हुई हैं, जिसे घटना के करणों आदि की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के समाज-विरोधी तत्वों से कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु फैक्टरी अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ बात-चीत करके उनसे यह कहा गया है कि घटना की न्यायिक जांच करवाई जाये जिससे कि दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जा सके। काशीपुर, ईशापुर आदि दमदम के लगभग 12,000 कर्मचारियों का इस प्रकार की घटनाओं से संबंध है। यहां के कारखानों के उत्पादन पर भी इन घटनाओं का प्रभाव पड़ रहा है। अतः क्या राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच करवाये जाने की मांग की गई है और यदि नहीं तो क्या रक्षा मंत्री अथवा गृह मंत्री द्वारा इस सारे मामले की जांच के लिए कोई प्रवर अधिकारी वहां भेजा जायेगा ? मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस घटना के संबंध में हमें आयुध कारखानों के महानिदेशालय के एक प्रवर अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। कानून और व्यवस्था का विषय क्योंकि राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है अतः हमने उनसे भी स्थिति की जानकारी प्राप्त करके यह विवरण प्रस्तुत किया है।

यह ठीक है कि इस क्षेत्र में स्थिति पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है। हमने समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मुझे आशा है कि कारखानों के चारों ओर के क्षेत्र में रक्षा कर्मचारियों की समुचित्त सुरक्षा के संबंध में आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे।

फैक्टरी क्षेत्रों के भीतर सुरक्षा का जहां तक संबंध है, इस बारे में अतिरिक्त कार्रवाई की जा रही है। हमें आशा है कि अब तक की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार होगा और उत्पादन में भी वृद्धि हो जायेगी। मैं आश्वासन देता हूं कि हम स्थिति की गंभीरता के प्रति जागरूक हैं और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री त्रिदिब चौधरी (बहरामपुर): मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने स्थिति की गंभीरता महसूस करके कुछ कार्रवाई की है। मेरे विचार में न्यायिक जांच की मांग करने से पूर्व हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि न्यायाधीशों का जीवन सुरक्षित रहे न कि उन पर भी घातक आक्रमण हों।

घटना क्रम को देखने से एक बात स्पष्ट होती है कि फैक्टरी मैनेजर अथवा प्रभारी अधिकारी ने जो उस समय वहां उपस्थित थे, उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कार्य नहीं किया। चाहिये यह था कि तुरन्त ही आयुध कारखानों के महानिदेशालय अथवा अपने प्रवर अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके वह उन्हें स्थिति से अवगत कराते और स्थिति पर नियन्त्रण पाने के प्रयत्न करते। परन्तु उन्होंने उस समय तक ऐसा नहीं किया जब तक कि स्थिति हाथ से निकल नहीं गई।

श्री विद्याचरण शुक्ल: उन्होंने तत्काल कानून तथा व्यवस्था अधिकारियों के साथ और शायद आयुध कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय के साथ सम्पर्क स्थापित किया था। उनका आशय कर्मचारियों को टालना मात्र नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): पश्चिम बंगाल में जब संयुक्त मोर्चा सरकार थी उस समय इस प्रकार की घटनाओं के घटित होने पर सब ओर शोर मच उठता था परन्तु अब इन घटनाओं के घटित होने के कुछ दिन पश्चात् हमारे माननीय मंत्री श्री जगजीवन राम, कलकत्ता में थे परन्तु फिर भी वह चुप रहे। इसका क्या कारण है ? निर्दोष व्यक्तियों को गोली से मारने वाले कातिलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है तथा अनावश्यक रूप से गोली चलाने के परिणामस्वरूप मारे गये व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): तब और अब में अन्तर यह है कि यह घटना फैक्टरी के भीतर नहीं बाहर घटी है। अतः स्वाभाविक रूप से यह पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बद्ध विषय है। इस विषय में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप-मुख्य मंत्री के साथ बातचीत की गई है तथा आशय दी जानी चाहिए कि कानून तथा व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

पाटलिपुत्र मेडिकल कालेज के बारे में
RE : PATLIPUTRA MEDICAL COLLEGE

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Sir, I want to draw the attention of the Government to a matter of urgent public importance and request that you may direct the Hon. Minister to make a statement in this regard.

There is a Patliputra Medical College in Patna. There are students from foreign countries as well as students from different States of India. The college has been closed down. There is a question of misappropriation of lakhs of rupees. Fifteen thousand rupees were charged from each student at the time of admission. The Government of India should inquire into the affairs of this college through C.B.I.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बहुत ही दुखःदायी बात है कि संबंधित मंत्री इस समय सदन में उपस्थित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इसका नोटिस नहीं दिया गया और फिर संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं वह संबंधित मंत्री को इस बात से अवगत करा देंगे।

बांगला देश से आये शरणार्थियों के बारे में
RE : BANGLA DESH REFUGEES

श्री ज्योतिर्मय बसु : कलकत्ता से मुझे एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि आसाम तथा मेघालय में कुछ शरणार्थी-स्वागत-शिविरों में शरणार्थियों को भारत आने नहीं दिया जा रहा। उन्हें वहीं रोका जा रहा है जिससे उन्हें बहुत असुविधाएं हो रही हैं। इस प्रकार रोके गये व्यक्तियों में स्वतन्त्रता सेनानी तथा पूर्वी पाकिस्तान सरकार के भूतपूर्व मंत्री भी थे। इससे सरकार की ख्याति को धब्बा लगता है अतः इस विषय में उचित आदेश जारी किए जाएं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I have a point of propriety. Shri Khadilkar, the Minister for Rehabilitation, called a Press Conference and made a declaration about Government policy of shifting of Refugees to Mana Camp instead of keeping then in Border areas.

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रोप्राइटी का कोई प्रश्न नहीं है, न ही यह नीति का प्रश्न है।

श्री त्रिदिब चौधरी : यह नीति का प्रश्न है। सरकार ने पहले यह कहा था कि इन लोगों को सीमावर्ती राज्यों से नहीं हटाया जायेगा परन्तु अब 50,000 शरणार्थियों को अचानक माना शिविर में भेजा जा रहा है इसका अर्थ यह है कि नीति में परिवर्तन हुआ है अतः इसकी सदन में घोषणा की जानी चाहिये थी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I do not want to discuss the merits or demerits of the case. The change in the policy should have been announced in the House and not in a Press Conference.

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मानता हूं कि नीति संबंधी घोषणा सदन में की जानी चाहिए परन्तु यह प्रशासकीय विषय है। शिविरों के भर जाने पर उन्हें कहीं ले जाने की बात है। तथापि हमने सदन की भावनाओं को नोट कर लिया है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आप अपनी विनिर्णय दें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को मैं परामर्श दूंगा कि जब सभा का सत्र चल रहा हो तो मुख्य प्रश्नों के बारे में निर्णय पहले यहां घोषित किये जाएं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : बिहार के मुख्य मंत्री ने एक बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि प्रधान मंत्री उनकी सरकार गिराने के प्रयास कर रही हैं और उनके निजी सचिव श्री कपूर इस ओर संलग्न हैं।

श्री राज बहादुर : श्री यशपाल कपूर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस प्रकार के गम्भीर आरोप को रोका नहीं जाना चाहिए

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना (पेन्शन) दूसरा संशोधन विनियम आदि

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नौसेना अधिनियम 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नौसेना (पेन्शन) दूसरा संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 457 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय मे रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 257/71]**

(2) नौसेना (पेन्शन) तीसरा संशोधन विनियम, 1970, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर, 1970 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 461 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 257/71]**

(3) नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबन्ध) पहला संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जनवरी, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 65 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 254/71]**

श्री सेझियान : (कुम्बकोणम्) : 1970 में इनके प्रकाशन के बाद दो सत्र हो चुके हैं। सभा-पटल पर रखे जाने में इतनी देर नहीं लगनी चाहिए।

श्री जगजीवन राम : मैं इसकी जांच करूंगा।

दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

निर्माण और आवास मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** की एक-एक प्रति :—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण (प्रबन्ध और आवास सम्पदा का व्ययन) विनियम, 1968, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अप्रैल, 1968 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1457 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण (प्रबन्ध और आवास सम्पदा का व्ययन) संशोधन विनियम, 1968, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 मई, 1969 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1755 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण (प्रबन्ध और आवास सम्पदा का व्ययन) विनियम, 1968 के विनियम संख्या 59 के लोप के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण संकल्प संख्या 299 दिनांक 24-12-1970 **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 258/71]**

श्री ज्योतिर्मय बसु : देरी के संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने सूचना दी थी ? आप हर बात में व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठाते हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का भी एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए की उप धारा (i) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखें और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 256/71]**

(2) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 255/71]**

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं, पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 393 **(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)** की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो कि भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 259/71]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा

ने 25 मई, 1971 को हुई अपनी बैठक में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1971 पास कर दिया है ।

भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक
INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक 1971 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, एक वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, एक वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

रेलवे बजट 1971-72—सामान्य चर्चा
RAILWAY BUDGET, 1971-72—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : सदन अब रेलवे बजट पर आगे चर्चा करेगा । अभी चार घंटे और 50 मिनट का समय बाकी है ।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : कोयले के परिवहन के लिए वैगनों की कमी के कारण अत्यन्त गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। भावनगर में स्थित दो कपड़ा मिलें कोयला सप्लाई न किये जाने के कारण बन्द की जाने वाली हैं। इनमें से एक कम्पनी के बन्द होने से ही 2500 श्रमिक प्रभावित होंगे। मेरी प्रार्थना है कि संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके कोयला पहुंचाने के लिए माल डिब्बों का प्रबन्ध किया जाये जिससे कि श्रमिक भी बेरोजगार न हों।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : तीसरी योजना के अन्त से लेकर रेलवे पर निवेश कम किया जा रहा है। रेल मंत्री से यह सुनकर बहुत दुःख हुआ कि चौथी योजना में रेलवे के लिए निवेश 1275 करोड़ रुपये होगा जबकि तीसरी योजना में यह 1080 करोड़ रुपये था। यदि हम इस बात की ओर ध्यान दें कि इस अवधि के दौरान वेतनों तथा निर्माण पदार्थों आदि की लागत में बहुत ही वृद्धि हुई है तो प्रतीत होता है कि रेलवे में निवेश बहुत ही कम हो गया है।

यह समझ में नहीं आता कि चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए निवेश कम क्यों कर दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में 1973-74 में 2800 से 2900 लाख मीटरी टन का प्रारम्भिक अनुमान है।

तत्पश्चात् मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि भाड़े का लक्ष्य कम करके 2410 लाख मीटरी टन कर दिया गया है। इस 2410 लाख मीटरी टन के अनुमान का चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्याशित आर्थिक विकास से सम्बन्ध किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसमें हमें भारी हानि होगी, जबकि वित्त मंत्री महोदय ने बहुत ही आशावादी चित्र प्रस्तुत किया है। सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। फिर योजना के सभी क्षेत्रों में होने वाली इस वृद्धि को देखते हुए रेलवे की माल ढोने की क्षमता को इतना कम करना कहां तक संगत है। अतः रेल मंत्री को भाड़े के अनुमान, योजना परिव्यय तथा आर्थिक विकास की योजना में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों के लिए किए जाने बाले निवेश के सम्बन्ध में अपना तर्क सभा के सम्मुख स्पष्ट करना चाहिए।

जहां तक रेलवे की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है कुल यातायात आय तथा कार्य-संचालन व्यय के अनुपात की स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। वर्ष 1963-64 में इनका अनुपात 74.4 प्रतिशत था जो कि अब 84.8 प्रतिशत हो गया है; यही नहीं वर्ष 1965 से शुद्ध लाभांश को छोड़कर जो रेलवे को सामान्य राजस्व में देना पड़ता है उसमें लगातार कमी होती जा रही है तथा चालू वर्ष में 33.1 करोड़ रुपये का घाटा है।

इस घाटे का एक कारण यह भी है कि कार्य-संचालन के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 84.8 प्रतिशत की जो संख्या दी गई है वह विभिन्न रेलवे के कार्य-संचालन व्यय को सही-सही नहीं दर्शाती। देश में चार रेलवे हैं और सभी में यह अलग-अलग है। मंत्री महोदय को सभा के समक्ष उचित और सही स्पष्टीकरण देना चाहिए तथा कार्य-संचालन व्यय को इस विभिन्नता की जांच की जानी चाहिए।

कार्य-संचालन व्यय में वृद्धि होने से यह स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से रेलवे ऋण अलाभप्रद हैं। मेरा विचार है कि वर्ष 1965 के रेलवे अभिसमय का भार रेल मंत्रालय पर अभी तक बना हुआ है और रेलवे मंत्रालय इससे छुटकारा पाने में असमर्थ है। जब अभिसमय हुआ था उस समय

रेलवे अच्छी स्थित में थी और इसलिए इस अभिसमय में कहा गया था कि 1964 के अन्त में पूंजी पर जो प्रभार था उसका 5.5 प्रतिशत तथा रेलवे पूंजी में जो वृद्धि हुई हो उसके 6 प्रतिशत को लाभांश के रूप में नियत किया जाय । भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व में इस राशि को अंशदान के रूप में दिया जाना चाहिए । यह परिकल्पना की गई थी कि रेलवे अधिक धन कमाएगी। वास्तव में रेलवे को इस लाभांश को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा है और लाभांश प्राप्त करने के लिए सरकार को धन ऋण के रूप में देना पड़ता है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि वह कैसा खाता या आर्थिक प्रणाली है जिसका कि रेलवे प्रयोग करती है ।

संसार के किसी भी देश में रेलवे लाभ पर नहीं चलती । देश के बहुमुखी विकास में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ होता है तथा उसे धन कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए । मुझे खेद है कि रेलवे मंत्री को किराया और भाड़े बढ़ाने पड़े क्योंकि इसके कारण मूल्यों में वृद्धि होगी ।

राजस्व बढ़ाने के लिए भाड़े की दरें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए बल्कि निर्यात को बढ़ाया जाना चाहिए । अब समय आ गया है कि रेलवे के विकास कार्य-संचालन आदि का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाय जो सभा को अपनी रिपोर्ट दे ।

देश में लगभग 41,000 रेल फाटक हैं । यदि उन पर ऊपरी पुल या नीचे के पुल बनाए जायें, तथा इस कार्यक्रम को अगले आठ सालों में फैला दिया जाए तो इस प्रकार 10 लाख लोगों को काम दिया जा सकेगा ।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नालगोंडा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र नालगोंडा में औद्योगिक अथवा संचार सम्बन्धी किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं । हम पिछले 50 वर्षों से कम से कम जिला मुख्यालयों को मिलाने के लिए रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं । रेलवे बोर्ड नें उसका सर्वेक्षण भी कराया था तथा 1970 सितम्बर में इसका प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड को मिल गया था । परन्तु अभी तक रेलवे बोर्ड और सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है । मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें और उक्त लाइन के लिए मंजूरी दें । यह एक लाभप्रद लाइन है नागार्जुन-सागर के द्वारा खेती की उपज को ढोने में यह लाइन बड़ी सहायक सिद्ध होगी ।

नालगोंडा जिले के रैंगी रेलवे स्टेशन का फाटक पहले काजीपर की ओर था जो बदल कर 4 या 5 वर्ष पहले सिकन्दराबाद की ओर कर दिया गया था जिसके कारण किसानों को बड़ी कठिनाई हो गई है । अतः उसे बदल कर फिर से पुरानी जगह कर दिया जाए ।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद क्षेत्र में नामपली-सिकन्दराबाद के बीच बड़ी लाइन है और पालकनुमा से सिकन्दराबाद तक मीटर गेज लाइन है । हैदराबाद और सिकन्दराबाद दोनों नगरों की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक उपनगरीय गाड़ियां चलाने की आवश्यकता है । इस ओर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए ।

हैदराबाद नगर में संत नगर एक औद्योगिक क्षेत्र है । वहाँ कोई ऊपरिपुल न होने के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई होती है अतः वहां ऊपरिपुल की व्यवस्था होनी चाहिए । निजामाबाद तथा रामागुन्द्रम के बीच रेल सम्पर्क नहीं है । ये दोनों औद्योगिक केन्द्र हैं । इनके बीच रेल सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

निजाम रेलवे को भारतीय रेलवे में मिलाते समय यह आश्वासन दिया गया था कि निजाम रेलवे के फालतू रुपए उस क्षेत्र में नई रेलवे लाइनें बनाने में लगाए जायेंगे। तो अब इस क्षेत्र में, जोकि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, नई रेलवे लाइने बनाई जायें।

दिल्ली और हैदराबाद के बीच की रेलवे का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Four minutes past Fourteen of the clock.

अध्यक्ष महोदय : श्री सी० एम० स्टीफन अब अपना भाषण आगे जारी करें।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मंत्री महोदय ने अपने बजट में घाटा दिखाया है। हमें आश्चर्य इस बात का है कि क्या भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन के सम्बन्ध में जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है तथा जिसका लेन देन 1000 करोड़ रुपये है, एक सन्तुलित बजट पेस करना क्या वास्तव में असम्भव था ? रेलवे बजट सामान्य बजट की तरह नहीं है जिसमें कुछ करों में वृद्धि की जा सकती है, और उसकी भी एक सीमा है। रेलवे के नौ ज़ोन हैं और इसका सन्तुलित बजट बनाना असम्भव नहीं था, क्योंकि प्रत्येक ज़ोन में आय को एक-एक करोड़ बढ़ाया जा सकता है।

मंत्री महोदय का कहना है कि रेलवे को कर्मचारियों के वेतन, उसमें वृद्धि तथा कार्य-संचालन व्यय में वृद्धि के भार की वहन करना पड़ता है। यह एक आवश्यक सी बात है। जब रेलवे चलानी है तो इन व्ययों का होना स्वाभाविक है। कर्मचारियों के वेतन में कमी नहीं की जा सकती। वास्तविकता तो यह है कि भारतीय रेलवे कर्मचारियों पर होने वाला व्यय संसार के रेलवे कर्मचारियों की तुलना में सबसे कम है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जहां यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों की परिचालन लागत क्रमशः 70 और 109 प्रतिशत बढ़ी है वहां कर्मचारियों पर होने वाला व्यय केवल 48 प्रतिशत बढ़ा है। अतः वास्तविकता यह है कि परिचालन व्यय कर्मचारियों के वेतन आदि में वृद्धि के कारण नहीं बढ़ा है वरन् वास्तविकता यह है कि उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जाता।

मेरे राज्य में कुल लाइन 888 किलो मीटर है जबकि जनसंख्या को देखते हुए वह 2250 होनी चाहिए। वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं और वहां ऊंची दरों पर माल यातायात उपलब्ध है। अतः यदि वहां रेलवे लाइनें बिछाई जायें तो हमें अधिक आय हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

दक्षिण रेलवे के सभी डिवीजनों में केरल से सबसे अधिक आय होती है। फिर भी उसका विस्तार नहीं किया जा रहा है।

दक्षिण भारत में कोयले पर उत्तरी भारत की अपेक्षा अधिक खर्च होता है क्योंकि सभी कोयला उत्तर से आता है । इसलिए दक्षिण भारत की रेलवे को डीजल से चलाया जाना चाहिए और इस प्रकार कोयले पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को बचाया जाना चाहिए।

लम्बी दूरी से यात्रा रेलों द्वारा ही की जा सकती है । इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके समय का निर्धारण ठीक प्रकार किया जाये । ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे दूसरी कम दूरी की गाड़ियों में आने वाली सवारियों को न ले जायें और इस प्रकार लोगों को कठिनाईयां उठानी पड़े ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : One thing that I want to say is that the Hon. Minister should try to remove certain complaints of the passengers regarding late running of trains, sanitation and other facilities as fans and lights. For this, if they have to put some extra money and labour, they should do that. For stopping the practice of chain pulling, police in plain clothes should be posted so that the late running of trains could be avoided. Berths should be properly cleared at the starting point. Adequate arrangements of drinking water should be made at stations.

Arrangements for selling better and fresh things should be made at the stations.

A lot of difficulties have to be faced for getting reserved two-tyre or three-tyre berths. It should be looked into.

The shuttle train running between Hathras and Hathras Fort should be extended up to Aligarh so that people may come to district town without any difficulty for their court work. Previously, it was coming up to Aligarh. A bridge should be constructed at the site of the level crossing on the side of university.

The platform of Godha railway station on Aligarh-Bareilly line should be raised.

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण उपक्रम का हमारा विकासशील अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है । अतः घाटे को पूरा करने का प्रयास ही प्रर्याप्त नहीं है ।

यह ठीक है कि इतने बड़े परिवहन उपक्रम जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक पूंजी लगी हो, घाटा नहीं होना चाहिये और मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि घाटा न हो, सराहनीय कार्य किया है । परन्तु देश की जनता इस रेलवे के बजट के संदर्भ में यह चाहती है कि लोगों को कितने रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और कितने नये क्षेत्र जिनमें वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उससे लाभ उठाने की स्थिति में होंगे ।

इस दिशा में बजट एक निराशापूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है । इस वर्ष के योजना परिव्यय में कमी करने का जनता पर विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है । मंत्री महोदय ने कहा है कि रोजगार के बहुत अधिक अवसरों की सम्भावना है, परन्तु इस दिशा में बहुत कम कार्यवाही की गई है । उन्होंने कहा है कि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने में रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे । परन्तु इसके लिये बजट में केवल 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस गति से छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में 133 वर्ष लगेंगे और इससे बहुत कम लोगों को रोजगार मिलेगा ।

इसी प्रकार 41000 रेलवे फाटकों पर ऊर्पारपुल अथवा निचले पुलों के निर्माण कार्य में बहुत से व्यक्तियों को रोजगार के अवसर दिये जा सकते हैं, परन्तु वास्तव में रोजगार के बहुत कम अवसर उपलब्ध होंगे क्योंकि इस कार्य के लिये 10 करोड़ रुपये की राशि ही नियत की गई है।

श्री हनुमंतैया : नियमों के अनुसार राज्यों को 50 प्रतिशत लागत वहन करनी होगी ।

श्री जे० बी० पटनायक : अब मैं रेलवे के एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में जिक्र कर रहा हूं। जिन क्षेत्रों में लौह-अयस्क जैसे खनिज निक्षेप विद्यमान हैं, उन्हें निकट के पत्तनों से जोड़ दिया जाना चाहिये। उड़ीसा में कटक, सुन्दरगढ़ तथा क्योंझर जिलों की खनिज पट्टी में अत्यधिक मात्रा में लौह-अयस्क के निक्षेप हैं। इससे हमारे निर्यात में वृद्धि होगी।

हमारे देश का एक ग्राहक जापान में है जिनकी आवश्यकता वर्ष 1973-74 तक 15 करोड़ टन लौह-अयस्क की हो जायेगी। हमें इस अंक को दो गुना बढ़ा देना चाहिये ।

जापान को लौह-अयस्क के निर्यात के लिये यदि 235 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाये तो भारत को 555 करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा मिल सकती है। अतः उड़ीसा के इस लौह-अयस्क क्षेत्र को निकटतम पत्तन पारादीप के साथ दो वैकल्पिक लाइनों अर्थात् तालचेर-बिमलगढ़ लाइन को लोरा घाटी तक बढ़ा कर और दूसरे जाखपुरा-नयागढ़-बंसपाती लाइन द्वारा मिलाया जाना चाहिये। रेल मंत्री को चाहिये कि वह इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

रुपसा-तालबंद लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये और नुआपारा-गुणापुर लाइन को तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये ताकि गाड़ियां 50 किलोमीटर की गति से चल सकें।

सरकार को चाहिये कि वह डी० बी० के० रेलवे की ओर ध्यान दें। कोरापुर जिले में खनिज निक्षेप और बड़े कारखाने होने के बावजूद भी उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री संजीवी राव (काकी नाड़ा) : मैं रेल मंत्री द्वारा भारी कठिनाइयों के बावजूद एक सन्तुलित बजट प्रस्तुत किये जाने पर उन्हें बधाई देता हूं।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बजट का घाटा पूरा करने के लिये वह केवल रेल किराये में वृद्धि करने की ही बात न सोचें अपितु अतिरिक्त रेलवे लाइनें बिछाने के भी उपाय करें ।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने चाहियें। इससे प्रति वर्ष 25 करोड़ रुपये की हानि होती है। इसके अतिरिक्त 12 करोड़ रुपये रेलवे में दूसरे पुर्जे आदि डालने के कार्य पर व्यय किये जा रहे हैं। रेलवे की कार्य-कुशलता में भी सुधार किया जाना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि देश के उत्तरांचल में विषम परिस्थितियों के कारण अधिकारी वर्ग को गाड़ियां चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है परन्तु देश के शेष भाग में रेलवे के कार्य में सुधार न किये जाने के क्या कारण हैं।

आम जनता यह आशा करती है कि सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण के लिये जो भारी निवेश किया है उसके बदले उसे उचित लाभ मिलेगा। रेलवे इंजिनों को पूरी तरह से प्रयोग में लाने से प्रति घंटा उसकी गति बढ़ जायेगी। दो वर्ष पूर्व लौह-अयस्क के यातायात के लिये बैलाडैला-वाल्टेयर सेक्शन खोला गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा बार बार किये गये अनुरोधों के उपरान्त भी आज तक वहां यात्री यातायात अथवा माल-परिवहन आरंभ नहीं किया गया है।

बजट में मीटर-गैज लाइनों और नैरो-गैज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। बजट में नई-लाइनों के लिये भी व्यवस्था नहीं है।

नामड़ीकुड़ी-सिकंदराबाद लाइन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को 14 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण करके दक्षिण मध्य ज़ोन में काकीनाड़ा पत्तन से पिथापुरम को मिलाने के लिये बजट में व्यवस्था करनी चाहिये, इससे काकीनाड़ा पत्तन को कलकत्ता-मद्रास लाइन पर लाया जा सकता है। इस ओर गत 25 वर्षों से ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और नई लाइन बिछाने के लिए धनराशि का आवंटन करेंगे।

जहां तक महानगरीय रेल व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमें स्थल परिवहन का कार्य और अधिक नहीं करना चाहिये। हमें भूमिगत पद्धति या ऊपरि पद्धति की ओर ही अधिक ध्यान देना चाहिये। यदि हम कलकत्ता नगर के प्रिंसेप्स घाट-डम डम क्षेत्र में मोटरों पद्धति अपनाते हैं तो और अच्छा होगा।

इस सम्बन्ध में रेल मंत्री को रूस की सहायता लेनी चाहिये। रेल मंत्री को म्यूनिच में भूमिगत निर्माण के ब्यौरे का, जिसे वह गत 2 वर्षों से अगले वर्ष होने वाले विश्व औलिम्पिक खेलों के सम्बन्ध में बना रहे हैं, अध्ययन करने के लिये एक वरिष्ठ इंजीनियर को प्रतिनियुक्त करना चाहिये।

रेल मंत्री को परिवहन मंत्री के साथ परामर्श करके सामान्य व्यक्ति की भलाई के लिये अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिये और सभी प्रकार की हानियों को कम करने के लिये एक समन्वित योजना बनानी चाहिये जिसमें रेल परिवहन, सड़क परिवहन, अन्तःस्थलीय परिवहन और तटीय नौवहन शामिल हों।

* **श्री एम० एम० जोजफ** (पीरमाडे): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे सरकारी क्षेत्र में एक एकाधिकार उपक्रम है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस उपक्रम को न केवल गत वर्ष से अपितु दो-तीन वर्षों से निरन्तर घाटा हो रहा है।

रेलवे बजट के प्रस्तुत किये जाने के चार दिन पश्चात् सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ। रेल मंत्री ने माल परिवहन के सम्बन्ध में रेलवे को हो रहे घाटे को ध्यान में रखते हुये पैट्रोल और डीजल के लिये भाड़ा की दरों में वृद्धि की है।

* मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Malayalam.

परन्तु इसका वास्तविक परिणाम यह होगा कि अगले वर्ष रेल मंत्री को घाटे का बजट पेश करना पड़ेगा ।

भारतीय रेलों की वही स्थिति है जो आज से दस वर्ष पूर्व थी । प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है । जब तक सरकार व्यर्थ के इस व्यय को कम नहीं करेगी तब तक मंत्री महोदय के लिये बचत का बजट पेश करना संभव नहीं होगा ।

यह प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार नई लाइनों को आरंभ करने का प्रयास किया जायेगा । यह स्वागत योग्य कदम है कि कोचीन से त्रिवेन्द्रम तक जाने वाली रेलवे लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की व्यवस्था की गई है ।

साह्या घाट में साबरी मेला में प्रतिवर्ष पांच लाख तीर्थ यात्री आते हैं जिन्हें आज भी कारों अथवा बसों द्वारा आना पड़ता है । यदि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन की व्यवस्था कर दी जाये तो बहुत लाभकारी होगी । इस क्षेत्र में इलायची और काली मिर्च का उत्पादन होता है जिससे विदेशी मुद्रा कमायी जाती है ।

एरणाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक समुद्री तट के साथ-साथ भी एक रेलवे-लाइन बनाई जानी चाहिये ।

***श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब रेलवे कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब रेलवे बजट में किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं था परन्तु वर्ष 1968-69 से लेकर बाद के सभी बजट घाटे के बजट रहे हैं । वर्ष 1968-69 में 7.86 करोड़ रुपये का घाटा वर्ष प्रति वर्ष बढ़ते-बढ़ते वर्ष 1971-72 में 33.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । प्रति दिन रेलवे के व्यय के अनुपात में आय बहुत कम होती जाती है परन्तु रेलवे की आय में इस हानि को रोकने के लिये सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है ।

रेलवे में यात्री किराये में जितनी वृद्धि की जाती है उसके अनुपात में यात्रियों को रेलवे की ओर से सुविधायें नहीं दी जाती हैं । रेल मंत्री महोदय ने कहा है कि रेल सेवा बनाये रखने में कई बाधायें आती हैं जो वर्तमान हानि के लिये उत्तरदायी हैं । रेल अधिकारियों के विरुद्ध यात्रियों की शिकायतें उचित हैं इसलिये वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिये कभी-कभी गाड़ियां रोक लेते हैं । अतः रेल अधिकारियों द्वारा यात्रियों की शिकायतें दूर की जानी चाहिये । यह भी मालूम हुआ है कि रेलवे में चोरी की बहुत सी घटनाएं होती हैं परन्तु क्या ये चोरियां चलती गाड़ियों में होती हैं अथवा जब गाड़ियां स्टेशनों पर खड़ी होती हैं तब होती हैं । रेलवे सुरक्षा दल का यह परम कर्त्तव्य है कि वह रेल सम्पत्ति को संरक्षण दे परन्तु ऐसा लगता है कि रेलवे कर्मचारियों की रेलवे सुरक्षा दल के साथ सांठ-गांठ है ।

***बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।**

*Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Bengali.

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचितयों और जन-जाति के लोगों को रेल सेवाओं में बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। अतः रेल मंत्री महोदय को चाहिये कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को रेल सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करें।

श्री हनुमन्तैया : मैं ऐसा करूंगा।

***श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुबेरिया) : हमारे देश में रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है और हमने सोचा था कि इस बजट से बेरोजगारी की समस्या हल हो जायेगी। परन्तु इस बजट में ऐसा कोई संकेत नहीं है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अभी से यह घोषणा करेंगे कि जब तक देश में बेरोजगारी है मशीनें और श्रम बचाने की जितनी भी योजनायें हैं, वे समाप्त कर दी जायेगी।

ऐसा कहा गया है कि कलकत्ता के आस-पास माल डिब्बों से बहुत चोरियां होती हैं जो कि साम्यवादी मार्क्सवादी दल की सहायता से हो रही है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है। ये चोरियां पुलिस की सहायता से की जा रही है। चोरी के सभी मामलों पर यदि रेल मंत्री महोदय कड़ाई का रुख अपनायेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। इससे न केवल रेलवे की सम्पत्ति बचेगी बल्कि हमारे दल के लोगों का जीवन भी बचेगा।

सरकार को मार्टिन रेलवे की हावड़ा-आमला और हावड़ा-सियाखिल लाइनों को अपने हाथ में लेना चाहिये क्योंकि इन लाइनों के बंद होने के कारण दस लाख लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहुत से बुनकरों को भी इन लाइनों के बन्द होने के कारण कठिनाई हो रही है। श्री नन्दा ने कहा था कि इन लाइनों के बंद होने के कारण जिन 12,000 श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उन्हें कहीं अन्यत्र वैकल्पिक रोजगार दे दिये जायेंगे परन्तु यदि इन लाइनों को पुनः आरम्भ कर दिया जाये तो अब उन श्रमिकों को वहीं का वहीं रोजगार मिल जायेगा।

बर्धमान से आसानसोल तक दुर्गापुर के श्रमिकों के लिये पारी-वार गाड़ियां चलाई जानी चाहिये। जब उनके पास रोजगार नहीं होता है वे दुर्गापुर में नहीं रह सकते हैं और जब उन्हें पुनः रोजगार मिल जाता है तो उन्हें दुर्गापुर जाना पड़ता है क्योंकि दुर्गापुर में उनके रहने के लिये पर्याप्त क्वार्टर नहीं है इसलिये वे विवश होकर बाहर रहते हैं। इसी प्रकार मालदह से बालूरघाट तक लिंक रेल बनाई जानी चाहिये। सियालदह डिवीजन में लक्ष्मीकान्तपुर से फ्रेजरगंज तक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में गत दस वर्षों से विचाराधीन मिराल गुडा रेलवे योजना को शीघ्रातिशीघ्र सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिये। त्रिपुरा में धर्मनगर तक 10 मील लम्बी एक रेलवे लाइन है जिसके सम्बन्ध में इंजीनियर का सुझाव है कि इस लाइन को आगरतला तक बढ़ा देना चाहिये। यह कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिये क्योंकि इससे वहां की जनता को सुविधायें मिलेंगी और साथ ही सीमा पर उत्पन्न वर्तमान स्थिति का भी मुकाबला किया जा सकेगा।

Shri Hari Singh (Khurja) : The deficit Railway Budget is having certain specialities viz. to receive orders worth Rs. 28 crores from foreign countries and to cover up about Rs. 8

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

crores by increasing efficiency. But the increase in class III Passenger fare is not consistent with the promises made to the electorate by us. It would have been better had the hon. Minister of Railways kept only two classes ; one luxury class and the other economy class, thus abolishing the third class.

Thousands of Government employees come from our district daily but there is no direct railway line between Bulandshahr and Delhi. A direct railway line between Bulandshahr and Delhi should be started and provision for this line should be made in the present Budget. Delhi is a metropolitan city but there are only two Railway Stations there. A third Railway Station should also be constructed.

Electric trains should be run like Bombay within the radius of 60 miles of Delhi.

3-Tier and 2-Tier boggies should be attached to the train from Khurja Junction to Lucknow.

A first class boggy from Khurja Junction to Lucknow is attached to the train which is in a wretched condition. I would therefore, like to request the hon. Minister of Railways for its amelioration.

While concluding, I would like to say that there should be stoppages for Delhi-bound train from Lucknow at Dadari, Dankaur, Chaula and Sikandrabad.

श्री विश्वनारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इतना बड़ा उपक्रम और इतने बड़े रेलवे बोर्ड के होते हुये रेलवे विभाग जन सेवाओं का कम ध्यान रखता है ।

जब कभी कोई मांग रेलवे से की जाती है तो यही उत्तर मिलता है कि मांग उचित नहीं है ।

रेल मंत्री ने बजट के घाटे को पूरा करने के लिये यात्री किराये और माल भाड़े में वृद्धि की है परन्तु इसमें कितनी वृद्धि की जाती रहेगी ? एक मात्र वृद्धि से ही घाटा पूरा नहीं हो सकेगा । इसलिये मंत्री महोदय ने रेलवे को होने वाली क्षति के रूप में कमजोरियों को ढकने का प्रयास किया है । प्रतिवर्ष रेलवे, चोरियों तथा माल डिब्बों की तोड़-फोड़ से होने वाली क्षति तथा हानि के लिये विभिन्न पार्टियों को मुआवजे के रूप में बड़ी राशि देता है । इसका कारण यह है कि रेलवे सुरक्षा दल प्रत्याशित ढंग से अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रहा है ।

जब कभी देश के किसी भाग में कोई आन्दोलन होता है तो आमतौर पर रेल के माल-डिब्बों, उपकरणों तथा रेलवे लाइनों को क्षति पहुंचाई जाती है । यद्यपि रेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है फिर भी रेलवे को इस प्रकार चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिये । राज्य सरकारों से परामर्श करके उसे रेलवे सम्पत्ति की रक्षा के लिये कुछ उपाय निकालने चाहियें । अन्यथा यदि वह किराया 100 प्रतिशत भी बढ़ा दें तो भी मुआवजे की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं ।

यद्यपि रेलवे देश में अधिकतम लोगों को रोजगार देने वाला विभाग है फिर भी आसाम राज्य का प्रतिनिधित्व बहुत कम है । रेल मंत्री को आसाम के मामले पर भी ध्यान देना चाहिये । यहां रेलवे द्वारा चलाया जाने वाला आसामी माध्यम का एक भी स्कूल नहीं है जबकि अन्य माध्यमों वाले कई स्कूल रेलवे द्वारा चलाये जा रहे हैं । मंत्री महोदय को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिये ।

आसाम में केवल 100 किलोमीटर लम्बी बड़ी लाइन है जो शायद देश में सबसे कम है। अतः बोंगेगांव से गौहाटी तक जो कि आसाम का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तथा अन्य स्थानों तक रेलवे लाइनें बिछाने के लिये मंत्री महोदय को प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें।

आसाम में रेलवे व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये क्योंकि इसी पर राज्य का विकास निर्भर है। आसाम को बड़ी लाइन से मिलाया जाना चाहिये।

मुझे आशा है कि रेल मंत्री, जिन्होंने उपरिपुलों के निर्माण जैसी योजनायें बनाई हैं, इस युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर भी विशेष ध्यान देंगे।

श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, देश को स्वतंत्र हुये 24 वर्ष हो गये हैं परन्तु हमारी रेलवे देश में यात्रियों को न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध कराने में भी समर्थ नहीं हो पाई है। भाप से चलने वाले इंजिनों के स्थान डीजल इंजिन कब तक आपायेंगे ? सदन में यह बात स्पष्ट करनी चाहिये। प्रतिवर्ष रेलवे बजट में किराये बढ़ाये जाते हैं परन्तु उसके अनुपात सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती।

रेलवे प्रशासन तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधाओं में वृद्धि करने में असमर्थ रहा है और न ही उनकी कोई ऐसी इच्छा है कि सुविधाओं में वृद्धि की जाय। हमने चार पंचवर्षीय योजनायें पूरी करली हैं परन्तु कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई हैं। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र के लिये योजना में जो व्यवस्थायें की जाती हैं वे सामान्यतः दूसरे क्षेत्रों को दे दी जाती हैं। सुविधाओं के मूल्याकंन के आधार पर योजना प्रस्ताव तैयार नहीं किये जाते हैं। कच्चे माल की उपलब्धि तथा उसको लाने-ले जाने की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नहीं बनाये जाते। देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। रेलवे प्रशासन पर राजनैतिक दबाव पड़ते रहते हैं, मेरा निवेदन है कि वर्तमान मंत्री को दबावों में नहीं आना चाहिये और देश के विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों की मांगों को पूरा करना चाहिये।

समस्त गाड़ियों में डीजल इंजनों की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये समय निर्धारित किया जाना चाहिये। सत्यमंगलम तथा चामराजनगर होते हुये कोयम्बदूर से मैसूर तक समुचित रेल लाइन बिछाई जानी चाहिये। रासीपुरम तथा नयावकल होते हुये सलेम और तिरुचि तक एक नई रेल लाइन बिछाई जानी चाहिये। नन्जानगोद को गुदालूर से रेल लाइन द्वारा जोड़ा जाना चाहिये। सलेम में इस्पात संयत्र स्थापित होने वाला है तथा तिरुची में हैवी व्वालायर संयत्र है पारापुरम जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां से होते हुये तिरुपुर तथा पलानी के बीच भी रेल लाइन बिछाई जानी चाहिये। मद्रास से त्रिवेन्द्रम जाने वाली गाड़ियों में तिरुचि में कम से कम एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगाया जाना चाहिये।

कोयम्बदूर तथा मेट्टपलायम के बीच स्थित करामदी में रेल चौराहे पर एक उपरिपुल का निर्माण किया जाना चाहिये। केरल से मद्रास जाने वाली सारी एक्सप्रेस गाड़ियां कोयम्बदूर से होकर जाती हैं। किन्तु कोयम्बदूर से मद्रास के लिये एक भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

दिल्ली से चलने वाली ग्रांडट्रक एक्सप्रेस गाड़ी मद्रास पहुंचने के लगभग 42 का समय लेती

है जो बहुत अधिक है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह इस गाड़ी से भी 24 घन्टे में सारी दूरी तय करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

वेतन आयोग को अविलम्ब रेल कर्मचारियों के लिये अलग प्रतिवेदन पेश करना चाहिये, क्योंकि उनमें बहुत असंतोष व्याप्त है।

श्री कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : 1966-67 से निरन्तर घाटा चल रहा है। पता नहीं 1966 से अब तक निरन्तर रूप में घाटे के बजट ही क्यों पेश किये जा रहे हैं। जब सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों में कोई लाभ नहीं हो रहा है तो रेलवे में किस प्रकार हो सकता है।

मैं कुछ ऐसे सुझाव देना चाहता हूं जिनसे रेलवे की आय में वृद्धि हो सकती है। कर्मचारियों के अधिक होने की बात उठाई जाती है। रेल मंत्रालय को इस सम्बन्ध में जांच करानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि इस जांच से पता चल जायगा कि रेलवे में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। रेलगाड़ी के एक घन्टा देर से पहुंचने में लगभग 5000 की हानि होती है और देश में प्रतिदिन 5200 रेलें चलती हैं इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन होने वाली हानि कितनी है। रेल मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। स्टोरों की खरीद पर 86.50 करोड़ रुपये खर्च होते थे, परन्तु अब लगभग 330.00 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यदि उचित पर्यवेक्षण किया जाय और उचित ध्यान रखा जाय तो कुछ बचत हो सकती है और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

रेलवे बोर्ड का मूल्यांकन उत्पादकता की दृष्टि से किया जाना चाहिये। यदि जांच कराने से ऐसी बात का पता चलता है कि उत्पादकता की दृष्टि से रेलवे बोर्ड उपयोगी है तब इसे बनाये रखना चाहिये अन्यथा वैकल्पिक प्रबन्ध किये जाने चाहिये।

रेलवे का एक अनुसंधान विभाग भी है। पता नहीं यह क्या कार्य करता है। अनुसंधान विभाग को ऐसे डिब्बों का डिजाइन तैयार करना चाहिये जिनमें अन्दर बाहरी वातावरण की अपेक्षा ठंड हो।

युवकों के संगठनों को रेलवे की सूची में दर्ज किया जाना चाहिये तथा उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और आने के लिये तदर्थ रियायत दी जानी चाहिये। इससे देश में तीव्रगति से भावात्मक एकता पैदा करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री अहमद आगा (बारामूला) : देश को स्वतंत्र हुये लगभग 24 वर्ष हो गये हैं और सरकार जम्मू तक अभी भी रेल की व्यवस्था नहीं कर सकी। जब कभी जनता ने यह प्रश्न उठाया है, सरकार यही उत्तर देती है कि जम्मू तक रेल जाना संभव नहीं है।

1902 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें बताया गया था कि बहुत सरलता से रेलवे लाइन को काश्मीर तक ले जाया जा सकता है। आज हम उस युग में हैं, जबकि मानव चन्द्रमा पर उतर गया है। इस युग में यदि यह कहा जाय कि 8 मील लम्बी सुरंग बनाना संभव नहीं है, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। अतः सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार

करना चाहिये और एक रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिये ताकि काश्मीर के विस्तृत संसाधनों का उपयोग किया जा सके ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ऊपरिपुल तथा भूमिगत पुलों के निर्माण का जो कार्यक्रम बनाया गया है वह प्रशंसनीय है । रेल मन्त्री ने कहा है कि एक पुल के निर्माण कार्य में लगभग 400 लोगों को छः से नौ माह तक का रोजगार दिया जा सकता है । इस कार्यक्रम से रोजगार की समस्या थोड़ी सी हल होगी । परन्तु रेल मन्त्री ने इस कार्यक्रम में राज्य सरकारों को भी सम्मिलित किया है कि वे लागत का 50 प्रतिशत अंशदान देंगी । मैं यह कहना चाहूंगा कि जो राज्य अपने निर्माण कार्यक्रमों के लिये संसाधन नहीं जुटा सकते उन्हें रेल मंत्रालय द्वारा कुछ छूट दी जानी चाहिये । अन्यथा यह कार्य पूरा नहीं हो पायेगा । भारतीय रेलों ने 3000 किलोमीटर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये 15 वर्षीय योजना बनाई है, किन्तु नौपांडा तथा रूपसा-तालबन्द लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिये उड़ीसा सरकार ने जो मांग की थी, रेल मंत्री ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है ।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tewari *in the Chair*]

कोराला के अतिरिक्त उड़ीसा में सब से कम रेल लाइन है । इससे काफी हद तक राज्य की अविकसित अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अन्य राज्यों की तुलना में स्वातंत्र्य पूर्व अवधि में उड़ीसा में जो नई लाइनें चालू की गयीं थी, वे बहुत अपर्याप्त हैं । इस संदर्भ में, तलचर-बिमलगढ़ लाइन के निर्माण के लिये उड़ीसा की जनता और सरकार की जो निरन्तर मांग रही है उसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस बात का उल्लेख करते हुये मुझे खेद होता है कि इस वर्ष के रेलवे बजट में, तलचर-बिमलगढ़ लाइन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है ।

कटक-पारादीप लाइन की प्रगति काफी धीमी है । मुझे आशंका है कि यह 1972 के अन्त तक पूरी नहीं होगी । पारादीप तक खनिज तेल की दीर्घकालीन आपूर्ति को बनाये रखने के लिये यह रेलवे लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है । यदि रेल लाइन के निर्माण में देरी की जाती है, तो इससे न केवल पारादीप पत्तन के विकास और वृद्धि में बाधा पड़ेगी, प्रत्युतः उड़ीसा की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । कटक-पारादीप रेलवे सम्पर्क के निर्माण कार्य में रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों को अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा है । रेल मन्त्री महोदय को यह देखना चाहिये कि इस बहुत बड़े निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले ।

Shri C. D. Gautam (Balaghat) : I was assured that an overbridge would be constructed at railway crossing near Serekha village, but it is very much disappointing that the programme has not yet been implemented.

Secondly, there is no rail line from Balaghat to Katangi in South-Eastern Railway. We have been demanding this rail link since long but nothing has been done so far in this direction. This line may prove very useful since the said area abounds in forest products and manganese mines. The Ministry should also pay their attention towards conversion of Gamdies-Jabalpur and Jabalpur-Nainpur- Nagpur narrow gauge line into broad gauge.

Shortage of Wagons is causing great difficulties to the traders of Balaghat. The Chairman Railway board had assured supply of at least twenty wagons to them but the assurance has not

been materialized. Paddy growers are also experiencing financial loss since they have to dispose of their paddy in between Rs. 61 to 65 per quintal whereas the price fixed by the Government is Rs. 73 per quintal. This is also due to non-availability of wagons.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जिले में केवल 10 या 15 किलोमीटर रेल लाइन होगी अतः हमारे यहां किराये में की गई वृद्धि का साधारण व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा (दौसा) : श्रीमन् रेल मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : मंत्री अथवा उपमंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिये।

यदि हम भारत के रेलवे चित्र को देखें तो हमें मालूम होगा कि सबसे पहले सन् 1843 में रेल चलकर थाना पहुंची।

सभापति महोदय : रेल मन्त्री ध्यान रखें कि या तो वे स्वयं उपस्थित रहें या उनकी अनुपस्थिति में उपमन्त्री यहां उपस्थित रहें ..... **(व्यवधान)**

श्री हनुमंतैया : मैं शौच आदि से निवृत होने के लिये बाहर गया था। किसी को यह गलत धारणा नहीं होनी चाहिये कि मंत्रिगण अनुपस्थित रहते हैं।

सभापति महोदय : अब स्थिति स्पष्ट हुई है।

श्री बी० वी० नायक : गत 120 वर्षों के दौरान हमने देश भर में 60,000 किलोमीटर रेल लाइन बनाई है जिसका प्रति वर्ष औसत 500 किलोमीटर है। इक्कीसवीं शताब्दी के शुरू होते-होते आशा है कि देश भर में रेलवे लाइनें 60,000 किलोमोटर से बढ़कर 1,00,000 किलोमीटर हो जायेंगी। इस सुझाव के साथ रोजगार का प्रश्न भी जुड़ा है। रेलवे लाइन के विस्तार की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मन्त्री महोदय ने घोषणा की है कि वे मीटरगेज और नैरों गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदलने का प्रयत्न करेंगे। मेरी समझ में यह नहीं आता कि रेलवे लाइन निर्माण कार्य को पिछले दर्जे का स्थान क्यों दिया गया है। 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिये हमें प्रतिवर्ष 1500 किलोमीटर पटरी बनानी होगी।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : रेल मन्त्री द्वारा पेश किये गये बजट का समर्थन करते हुए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तिरुपति की स्थानीय स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। तिरुपति एक पहाड़ी तीर्थस्थान है जहां प्रतिदिन 20 से 30 हजार यात्री आते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यात्रियों को तिरुपति जाने के लिये रेल यात्रा की पर्याप्त सुविधाऐं नहीं मिलतीं। मद्रास से सप्ताह में दो बार तिरुपति को रेलगाड़ी जाती है। यह गाड़ी सप्ताह में दो बार के स्थान पर प्रतिदिन मद्रास से तिरुपति जानी चाहिये। पटूर, कालाहस्ती, न्युडुपेट तथा टडुकु में रेलवे क्रासिंग गेट हैं लेकिन वहां कोई भी गेटमैन नहीं होता। इन स्थानों पर गेटमैन की नियुक्ति भी जरूरी है।

चित्तौड़ और तिरुपति में ऊपरिपुल जरूरी हैं। कटपड़ी-रानीगुन्टे लाइन को भी ब्राड गेज लाइन बनाया जाना जरूरी है क्योंकि इसके बनने पर बंगलौर से गाड़ी सीधे रानीगुन्टे जा सकेगी।

श्री नानुभाई एन० पटेल (बलसार) : इस देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि प्रति वर्ष किराये तथा भाड़े में वृद्धि होती है। सरकार रेलवे में सुधार करने के लिये काफी ज्यादा धन व्यय कर रही है लेकिन यात्रियों को फिर भी सुविधाएं नहीं मिलतीं।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि रेलगाड़ियों के देर से चलने का कारण तारों की चोरियां, जंजीरों को खेंचना, राजनैतिक आन्दोलन तथा रेल कर्मचारियों का कार्यकुशल न होना है। मेरे विचार में रेल कर्मचारी ही इसके लिये जिम्मेवार हैं। पश्चिमी रेलवे में बड़ोदा से दहानु के बीच यात्रा करने वाले लोगों की भी शिकायतें रही हैं। बड़ोदा से बम्बई सेन्ट्रल तक 46 अप रेलगाड़ी चलती है जिसमें अधिकांश व्यापारी तथा विद्यार्थी ही यात्रा करते हैं। लेकिन यह गाड़ी कभी भी समय पर नहीं चलती। यह शिकायत उच्चाधिकारियों की जानकारी में भी लायी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इससे पहले भी पिछले 4, 5 वर्षों से अपने बजट भाषणों द्वारा बलसर-सूरत शटल को दहानु तक ले जाने के लिये मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करता आया हूं। अब फिर मन्त्री महोदय से इसके लिये निवेदन करूंगा। पश्चिमी रेलवे अधिकारियों ने 22 अप फ्लाईंग क्वीन को डीजल इन्जन प्रदान करने के लिये कहा था लेकिन कुछ नहीं बना। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा की इस गाड़ी के लिये डीजल इन्जन प्रदान करें। बलसर और दहानु के बीच एक वापी नामक स्टेशन है जहां एक बड़ी औद्योगिक बस्ती बन रही है। इस स्टेशन पर भी गाड़ी का दो मिनट रुकना जरूरी है जिसके लिये मैं मन्त्री महोदय से पुनः निवेदन करूंगा। बलसर शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुये मैं सुझाव दूंगा कि झेगरावादी रेलवे कल्वर्ट तथा वापी रेलवे क्रासिंग पर ऊपरिपुल बनाये जायें। तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये वेटिंग रूम, पानी, बाथरूम तथा शौचालय आदि की कहीं भी सुविधाऐं नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से तीसरे दर्जे के यात्रियों को ये सुविधाऐं प्रदान करने का निवेदन करूंगा।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : श्री नन्दा ने यह प्रणाली अपनायी थी कि सदस्यों द्वारा उठाये गये जिन प्रश्नों का उत्तर मन्त्री सदन में नहीं दे सकते थे, उनका उत्तर उचित जांच करने पर पत्र द्वारा बाद में दिया जाता था। मैं मन्त्री महोदय से इस बात का ध्यान रखने का निवेदन करूंगा।

श्री हनुमंतैया : मैं सहमत हूं।

श्री डी० एन० तिवारी : आजकल रेलों का कई घंटे देर से पहुंचना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। समय पर न चलने या न पहुंचने से यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है। मैं रेल मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

रेलवे घाटे में जा रही है। यह विश्व भर में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है जिसमें 14 लाख कर्मचारी हैं। फिर भी इतना बड़ा उपक्रम घाटे में जाये तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। इस घाटे का कारण रेलवे बोर्ड द्वारा नियन्त्रण का अभाव तथा कर्मचारियों से भेदभाव का व्यवहार है। रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही भी इस घाटे का एक कारण है। कर्मचारी लोग यात्रियों को भिखारी की तरह समझते हैं। उनके विचार में यात्री रेलवे के लिये हैं न कि रेलवे यात्रियों के लिये।

रेलवे द्वारा यात्रा करना एक जोखिम का काम बन गया है। प्रतिदिन रेलवे में कोई न कोई हत्या होती रहती है।

श्री हनुमंतैया : यह तो केवल बिहार और बंगाल में होता है।

श्री डी० एन० तिवारी : यदि बिहार में है, तो रेलवे बोर्ड ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ? आपको रेलवे बोर्ड पर नियन्त्रण रखना होगा और इसकी कार्यपद्धति में परिवर्तन करना होगा ताकि सब कर्मचारियों से समान रूप से व्यवहार हो सके। रेलवे में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। कोयले तथा अन्य सामग्री की चोरी रुक जाये तो करोड़ों रु० की बचत सरकार को होगी। बिहार में केवल एक ही डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट का दफतर है जो समस्तीपुर में है। बिहार में अधिक डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट के दफतरों की आवश्यकता है जिसके लिये मैं कई बार रेलवे मंत्री से मिल चुका हूं लेकिन उन्होंने अब तक भी इस ओर ध्यान नहीं दिया मैं मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने के लिये फिर निवेदन करूंगा।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : मुझे मंत्री महोदय के भाषण का वह अंश रुचिकर लगा जिसमें उन्होंने रेलवे द्वारा समाजवादी लक्ष्य ग्रहण करने की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि समाजवाद की सफलता सरकारी उपक्रमों की सफलता से जुड़ी है। हमें देखना है कि रेलवे इस ओर बढ़ी है या इसका विरोध किया है।

रेल मंत्री ने 23 करोड़ रु० के घाटे को पूरा करने का प्रयत्न किया है। रेलवे बोर्ड वैभवशाली नौकरसाहों का अड्डा है जो रेलवे कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। समाजवाद की बात करते हूऐ हमें सरकारी उपक्रमों में इसे रचनात्मक रूप देने की ओर भी ध्यान देना चाहिये। जब हम वेतन के ढाँचे पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि रेलवे बोर्ड के 22 सर्वोच्च व्यक्तियों में प्रत्येक का वार्षिक वेतन 36,000 रु० है लेकिन साथ साथ रेलवे में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका वार्षिक वेतन 2500 से अधिक नहीं। यह बहुत बड़ा अंतर है, जिसे कम किया जाना चाहिये।

[**श्री सेझियान पीठासीन हुऐ**
Shri Sezhiyan *in the Chair*]

श्री हनुमंतैया : वास्तव में रेलवे बोर्ड के सदस्यों का वेतन कितना होना चाहिये ?

श्री धरनीधर दास : एक समाजवादी वेतन ढांचा लागू किया जाना चाहिये। पहली तथा दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में अधिक अंतर नहीं होना चाहिये। इस अंतर से कर्मचारियों के बीच काफी असंतोष है। अतः हमें इस अंतर को मिटाना चाहिये।

श्री हनुमंतैया : मैं सहमत हूं। वेतन ढांचे के बारे में आपके विचार क्या हैं ?

श्री धरनीधर दास : समाजवादी वेतन ढांचा उत्पादन तथा कर्मचारियों के अंशदान पर आधारित होना चाहिये। रेलवे सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। इसे समाजवादी सिद्धान्तों को लागू करने का आदर्श स्थापित करने लिये विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी अंतर को कम करना चाहिये।

दूसरी बात क्षेत्रगत विषमता से सम्बन्धित है। बजट में रेल मार्गों पर बिजली लगाने की व्यवस्था की गयी है लेकिन ऐसे भी अभी भी कई स्टेशन हैं जहां मिट्टी तेल के लेम्प जलते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का तोंगला स्टेशन एक ऐसा ही स्टेशन है। मंत्री महोदय को चाहिये कि वे रेलवे बोर्ड को समाजवादी लक्ष्यों की ओर उन्मुख करें। आज रेलवे पूंजीपतियों, बनियों तथा ठेकेदारों का स्वर्ग बन कर रह गया है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र आसाम का एक पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र का विकास आसाम के हित में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के हित में भी है। यदि आसाम के लोग सुरक्षा साधनों को सुसंगठित नहीं कर सकते तो इन साधनों को सुसंगठित करना केन्द्रिय सरकार की ज़िम्मेवारी है। लेकिन इसके लिये रेलवे का होना जरूरी है। अतः आसाम सरीखे पिछड़े राज्य में रेलवे का विस्तार अनिवार्य है। रंगला में डिविजनल हेडक्वार्टर स्थापित करने की दिशा में भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मीटर-गेज तथा नेरो-गेज लाइनों को ब्राड गेज में बदलने की दिशा में भी अभी तक कुछ नहीं किया गया।

ये सब साधारण मांगे हैं। मैं मंत्री महोदय से इन मांगो को पूरा करने का निवेदन करूंगा।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं मंत्री महोदय को समय की जरूरत के अनुसार यथार्थवादी बजट पेश करने के लिय बधाई देता हूं। देश को समाजवाद की ओर अग्रसर करने के लिये रेलवे प्रशासन में व्याप्त क्षेत्रगत विषमता को दूर करना अनिवार्य है।

उत्तर-पूर्वी रेलवे त्रिपुरा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में बरेली तथा आगरा तक फैली है। यह नेपाल भूटान सीमा के साथ-साथ चलती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान तथा उत्तर में चीन की सीमा है। यह लाइन सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः इस लाइन को आसाम से बरेली तक पूरी तरह से जोड़ा जाये ताकि समय आने पर फौजी सामान ले जाने में सुविधा हो। यह रेलवे लाइन लखीमपुर ज़िले से उत्तर प्रदेश में बरेली तक फैली है। बीच में 12 मील का अंतर है जिसे रेल द्वारा जोड़ा जाना चाहिये। यह रेलवे लाइन बरेली तथा आगरा तक चलनी चाहिये। यह क्षेत्र आर्थिक तथा बाणिज्यिक महत्व का है। मेरे ज़िले में आधे दर्जन के करीब ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये वेटिंग रुम नहीं है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

एक ओर तो रेलों को वातानुकूलित करने और गाड़ियों को बिजली से चलाने तथा इंजनों का डीज़लीकरण करने का प्रयत्न किया जा रहा है, परन्तु इसकी ओर रेलवे स्टेशनों पर ठहरने के लिए यात्रियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करवाने की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और सम्पूर्ण देश में तथा विशेष रूप से बहराइच जैसे जिले में लोगों के स्टेशन पर ठहरने के लिए उचित सुविधायें जुटाई जानी चाहियें।

बहराइच उत्तर पूर्वी रेलवे की शाखा लाइन पर स्थित है। इस जिले में केवल एक जारवाल ही ऐसा रेलवे स्टेशन है जो प्रमुख रेलवे लाइन पर स्थित है। अतः मेरा निवेदन है कि सभी डाक तथा ऐक्सप्रैस गाड़ियां इस स्टेशन पर रुकनी चाहियें।

मेरा एक अन्य सुझाव यह है कि जो रोगी इलाज के लिए दूर-दूर के स्थानों पर जाते हैं जैसे कि कैंसर के रोगियों को कैंसर संस्थान, बम्बई, आरोग्य निवास मुवाली या चिकित्सा संस्थान दिल्ली

आदि जाना पड़ता है उन्हें तथा उनके साथ जाने वाले व्यक्ति को डाक्टर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, किराये आदि के लिए कुछ ऐसी सुविधायें दी जानी चाहियें जैसी कि पर्यटकों को दी जाती हैं।

रेलों में भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सार्वजनिक संस्थाओं में तो भ्रष्टाचार और भी अधिक होता है। रेलों में जो भ्रष्टाचार है उसका प्रमुख कारण यह है कि रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बों की संख्या सदा ही मांग से कहीं कम रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि भ्रष्टाचार के अवसर अधिक हो जाते हैं। अगर गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जाये तो भ्रष्टाचार को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Chairman, Sir, there is a discussion on Railway budget every year. The shortcomings of the Railways are highlighted by various members. Everytime it is emphasised by the Members that Railway Board is just a white elephant and it must be put to an end. But no heed is paid to it. When our railways are over-crowded and people travel on the roofs of railway bogies, it is highly unjustified to make provision for 900 Saloons for the officials of Railway Board. This fact has been admitted by the Railway Minister time and again but no action has been taken so far.

The Railways were directed by the Planning Commission to lay down new railway lines to certain places where Steel Plants were to be installed. These new railway lines were laid by Railways but the plans of Steel Plants were not materialised consequently these railway lines are lying unutilized and huge money has been blocked. It is one of the reasons for deficit Railway Budget.

The second reason for deficit Railway Budget is the defective transportation system. It is a common belief among the businessmen that it is unsafe to transport goods by railways. On the other hand road transport is much quicker than railway. The transport system on railways must be improved upon.

This socialistic Government has come forward with the proposal to increase railway fares which is going to hit the poor.

There is great discontentment among railway employees. The tea-stalls, shops or restaurants which are on railway stations are under the monoply of a few persons. There is so much corruption in the railways that one has to give bribe worth rupees one lakh even for a small tea-stall contract. The corruption in railways must be crushed.

The construction work of Muhshy-Guma Railway is in progress for the last ten years but it has not been completed so far. Besides, the trains which run on the meter gauge line which go to Showpur via Zora Sahalpur, are not provided with electricity and drinking water. These basic facilities must be made available.

The work of converting meter gauge lines into board gauge line must be started from Morena area. Some trains are running for the last twenty years but no modern facilities have been provided there. The Pathankot Express which goes to Bombay via Delhi must be provided with new bogies. It is the pressing demand of the public that Punjab Mail must stop at Morena. The ticket-checker should also be included in Running Staff alongwith Driver, Guard and Brakeman. There should not be any such discrimination. The uniforms which are provided to various railway employees must by stitched properly to their size. They should not look like clowns while wearing railway uniforms. Every effort should be made to connect the Adivasi areas of Madhya Pradesh with railways.

I wish that Railway Minister should reply to the various points raised by hon. Members in his reply.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : रेलों में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। वर्ष 1966-67 में रेलवे ने 132 करोड़ रुपये, 1967-68 में 141 करोड़ रुपये, 1968-69 में 150 करोड़ रुपये, 1969-70 में 155 करोड़ रुपये और 1970-71 में 170 करोड़ रुपये की धन-राशि सामान्य राजस्व में योग दान के रूप में दी। अतः रेलवे ने गत चार वर्षों में सामान्य राजस्व में 759 करोड़ रुपये की धनराशि का योग दान दिया। इसके साथ ही रेलवे ने अपने मूल्य-ह्रास और विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है। यह योग दान साधारण नहीं है। हां, रेलों में जहां-तहां कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। परन्तु सम्पूर्ण रेलवे की आलोचना करना या रेलवे बोर्ड को सफेद हाथी कहना उचित नहीं है। रेलवे बोर्ड के गठन एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और वह उसी के अनुरूप कार्य कर रहा है।

दूसरे आज रेलों की रीढ़ परिवहन के साथ होड़ लगी हुई है। पंचायत राज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गांव को सड़कों और बसों की सुविधा प्राप्त है। बस या ट्रक परिवहन की गति रेलवे से कहीं तीव्र होती है। अतः व्यापारी लोग रोड परिवहन की ओर अधिक अग्रसर होते जा रहे हैं। रेल को प्रत्येक गांव तक नहीं पहुचाया जा सकता। यही कारण है कि रेलों को हानि हो रही है।

मेरे चुनाव-क्षेत्र निजामाबाद में दो चीनी कारखाने हैं और प्रतिदिन 5500 से 6000 चीनी की बोरियों का उत्पादन वहां किया जाता है। वहां खोई को भट्ठी में जला दिया जाता है। इसी खोई का उपयोग अखबारी कागज बनाने के लिए किया जा सकता है परन्तु हम इसे भट्ठी जलाने के लिए जला देते है क्योंकि इस क्षेत्र तक कोयला लाना बहुत महंगा पड़ता है। अतः अगर रामगुणधाम से निजामाबाद तक सीधी रेलवे लाइन बिछा दी जाये तो 100 मील की दूरी कम हो जाती है और सस्ता कोयला उपलब्ध हो सकता है। खोई की राष्ट्रीय हानि बचाई जा सकती है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस ओर उचित ध्यान देगें।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब विभिन्न राज्य भारतीय संघ में शामिल हुये तो उस समय मैसूर और हैदराबाद ही ऐसे राज्य थे जिनकी अपनी रेलवे थी। हैदराबाद रेलवे के पास उस समय 6 करोड़ रुपये की फालतू धनराशि थी। उस समय भारतीय रेलवे ने यह आश्वासन दिया था कि इस धन राशि का उपयोग हैदराबाद के लिए ही किया जायेगा। आज इस बात को बीस वर्ष से भी अधिक समय हो गया है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस कार्य के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। एक माननीय सदस्य ने रामगुणधाम से निजामाबाद तक रेलवे लाइन बिछाने की मांग की है जो बहुत उचित है। इसी प्रकार यदि विड़ाग से रामगुणधाम और शोलापुर तक रेलवे लाइन बिछाई जाये तो उससे भी काफी दूरी कम की जा सकती है।

नागार्जुनसागर के विकास के फलस्वरूप वहां परिवहन की सुविधायें उपलब्ध करवाना और भी अनिवार्य है। गंडुर कालिपत्त और हैदराबाद नालगोडा आदि कुछ ऐसी रेलवे लाइनें है जिनके बारे में राज्य सरकार पहले ही बहुत अनुरोध कर चुकी है। इसी 6 करोड़ रुपये की धनराशि से लाइनें बिछाई जा सकती हैं।

यद्यपि तेलंगनावासी सुविधायें उपलब्ध कराने की लगातार मांग कर रहे हैं फिर भी उन्हें आन्ध्रप्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार से अन्याय ही प्राप्त हुआ है। रेलवे भी इसके लिए उत्तरदायी है। क्या रेल मंत्री इस मामले में जांच करेंगे और हैदराबाद में रेलवे के सुधार के लिए 6 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था करेंगे ?

छोटे प्रदेशों के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता। कभी-कभी उन्हें दूर के स्थानों पर नियुक्त कर दिया जाता है और नए आदमी भर्ती कर लिये जाते हैं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होते। क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि गत तीस वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य ज़ोन में कितने तेलंगना वासी भर्ती किए गए ? क्या माननीय मंत्री तेलंगना वासियों पर किए जा रहे अन्याय को रोकने के लिए उपाय करेंगे ? मैसूर के रेलवे-कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और रेलवे ही यात्रा का सस्ता साधन है। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि रेलवे का किराया बढ़ता जा रहा है, विदेशों में रेलवे पर्यटक होटलों की व्यवस्था करता है। परन्तु भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। दक्षिण से उत्तर जाने वाले यात्रियों को उस प्रकार का भोजन नहीं मिलता जिस प्रकार का वे चाहते हैं। दिल्ली में एक भी ऐसा होटल नहीं है, जो दक्षिण भारतीय लोगों की इच्छानुसार खाना तैयार करता हो। माननीय मंत्री कृपया इस पर ध्यान दें। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि पूर्वी ज़ोन में रेलवे को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। माननीय मंत्री ने घाटे के कारणों का भी उल्लेख किया है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। क्या माननीय मंत्री लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे क्योंकि घाटा तो अन्ततः जनता को ही हो रहा है। माननीय मंत्री ने अभी तक यह नहीं बताया कि वह इस सम्बन्ध में क्या उपाय कर रहे हैं ? अच्छा होगा यदि वह अपने उत्तर में सब बातें स्पष्ट करदें ताकि हम उनकी सहायता कर सकें।

Shri Mulki Raj Saini (Dehra Dun) : It is very surprising that our public sector is running at loss. Only railway machinery can be held responsible for this colossal loss. From top to bottom all officials are corrupted and no one is concerned for improvement in railways. Conspiracy has been hatched between high officials of railways and gangs of smugglers. These smugglers attack the passengers and snatch their belongings.They do not spare even ladies and molest them.

Cases of pilferage of coal are increasing day by day. Railways can run on profit provided these cases are checked. The goods consigned by businessmen are not secure. Goods are looted before they reach their destination. When there is no guarantee that goods consigned by businessmen will reach at proper place, how can we expect from businessmen to send goods by railways. Inefficiency of railways is the main cause of deficit financing in railways.

Saharanpur is the biggest centre from where large quantities of mango are loaded. But I have come to know that mangoes are loaded only when bribe is given to railway employees. That is the reason why businessmen consign their goods by road transport. In such a situation, no profit can be achieved even if the Government raise the freight charge.

The condition of passenger trains is quite distressing. Third class passengers do not find seats. I could not understand why railways run in loss in spite of the fact that almost all the compartments are packed to their capacity and even overcrowded. It is said that a number of passengers travel without ticket. But to some extent railway is responsible for this. There

are some ticket checkers who takes a certain amount from the passengers and see that passengers reach safely without ticket to their distinations. In this way, the amount which ought to go in Government treasury goes to the pockets of Railway Staff. So, unless we remove the inefficiency prevailing there, we cannot run on profit. Passengers in third class should be given more and more facilities and tickets should be issued according to the number of seats available in the train. In order to meet the rush, the number of compartments and bogies should be increased. Gnly speeches will not solve the problem. We will have to take effective measures.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : I congratulate the hon. Minister for presenting a balanced budget. The opposition had rumoured that the budget will be full of taxes. But after going through the budget, it is clear that the Government has common man in view.

There is slight increase in railway fares which will yield about 12 crores but it will not affect the daily passengers. The railway fare ought to have been increased in the case of upper class passengers because the railways have to spent a lot on the maintenance of higher class bogies.

There is a deficit of 7 crores and it is proposed to cover that deficit by reducing expenditure. The expansions of railway should be speeded up. I hope that while revising the Fourth Plan further expansion schemes shall be made.

In the current financial year the target for receipts exceeds that of the previous year by 42 crores. According to the Budget there are certain uneconomical lines on which the railways suffer a loss of 8 crores each year. I suggest that such lines should be discontinued. Scheme for your own railway track should be introduced. It is only in this way that there can be a net-work of railways throughout the country.

The budget reveals that the Railways suffer the loss at the tune of 52 crores on transportation of co nsumer goods.

60 per cent increase on Administration is alarming. All the Government departments should take effective steps to arrest dearness so as to stop rise in cost of production.

The revision of fourth plan should be taken up immediately.

There is a lot of unrest in Bihar mining belt. There is large accumulation of coal and iron there. According to the mine owners there is accumulation of about 25 Lakhs tonnes of coal in Bihar and Bengal for want of wagons. They have stopped mining operation and thousands of workers have been retrenched. About 2 lakhs workers are reported to be unemployed. The Railway Ministry should give prompt attention to this matter.

Due to inadequate supply of wagons the price of coal has increased by three to four times in different states including Delhi. Coal is used by the general public. This matter therefore requires immediate consideration.

In Bihar, particularly the Northern area, which occupies a strategic condition, the railway lines are insufficient there.

Several hon. Members have expressed their concern over the increasing number of pilferage cases and without-ticket passengers, Concern has also been expressed over the deteriorating condition of law and order. Although the question of law and order does not come under the jurisdiction of the Railway Ministry, yet the Ministry should strengthen its protection Force.

Surprise ticket checking campaign should be started with the help of private organisation and Travelling Ticket Examiners and Guards of the train, in which more than 5 per cent passen-

gers are found without ticket, should be penalised. They take a certain amount from them and see that the passenger reaches the destination safely.

Strength of Ticket Checkers and Ticket Collectors should be increased in sub-urban trains.

Transport is a problem in Delhi. Provision for underground railway or circular railway should be made at the earliest.

Keeping in view the convenience of the passengers and security of their lives and properties a special bogie should be attached to the main train in the routes of Darbhanga to Katihar, Darbhanga to Lucknow, Nirmali to Supol, Samastipur to Vaidya Nath Dham and Samastipur to Dhanbad.

One express train should be started between Darbhanga and Pahleja Ghat.

Railway line should be extended from Jhanjharpur to Khutona, Goghardiha to Hasan pur and Goghardiha to Vir. Chikna station should be made full-fledged station.

New broad gauge line should be constructed from Samastipur to Darbhanga, Darbhanga to Sikri and Sikri to Nirmali.

In Sikri-Nirmali section there should be halt between Jhanjharpur—Tamuria and Goghardiha—Nirmali.

Similarly arrangement of Berth reservation, Bath Rooms and necessary amenities should be made.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : Railway is the largest undertaking of our Nation. But it is running on loss. In his Budget Speech, the Hon. Minister has stated that since no increase has been made in passenger fares for the last 3 years, therefore, it will not be inconsistent if slight increase is made in this year. The Hon. Minister should keep the fact in mind that he is there to provide facilities to third class passengers and not to put burden on them.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

It is evident that we are not keeping our promises. We should see that Railway should run in the form of commercial concern, so that deficit financing could be avoided. Last year Shri Nanda had put a proposal to increase passenger fares but he withdrew his proposal later on. I would request the hon. Minister to follow suit.

It has been repeatedly said that Members of Parliament very often interfere unnecessarily in the working of Railway Administration. But this is not correct. We are representatives of people and we have each and every right to hear the difficulties experienced by public and convey it to the Railwey Administration. So, this is not interference.

A circular was issued by the Railway Board in which it was menitoned that the persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes should be posted near their home towns. But I have come to know that since 1964 the persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes are trying for the posting near their home towns even at the expense of their seniority. But Government has turned a deaf ear to their request. So, the Railway itself is not complying with the circular issued by its own department i. e. Railway Board. When even the attention of the hon. Minister is drawn towards this matter, we have to face a stock reply that we are interfering inthe working of Railway Administration.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा नौपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*कार मूल्यों के सम्बन्ध में आयोग का प्रतिवेदन
REPORT OF COMMISSION ON CAR PRICES

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : कार उद्योग ने उपभोक्ता की आवश्यकताओं और समाज की कृतज्ञताओं की उपेक्षा की है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार और कार निर्माताओं के बीच कोई सांठ-गांठ है। गत दशक में कारों की कीमत में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गत 18 महीनों में कार की कीमतों में दो बार भारी वृद्धि हुई है।

योजना आयोग के अन्तर्गत नियुक्त अध्ययन दल ने देश में कारों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए यह अनुमान लगाया है कि 1973 में कारों की मांग संख्या 75 हजार हो जाएगी। दिसम्बर, 1968 में देश में 80 हजार कारों की मांग थी।

1968 में सरकार ने प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की जिसने देश में कारके मूल्य ढांचे और लागत ढांचे का निरीक्षण किया। अयोग ने सुझावों के रूप में कुछ सिफारिशें भी की। सरकार अभी उन पर विचार कर भी न पाई थी कि उसे कार निर्माताओं से यह अल्टीमेटम प्राप्त हुआ कि सरकार चाहे कारों की कीमतों में वृद्धि करे या न करे वे कारों की कीमतों में वृद्धि करने वाले हैं। कार निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सलाह दी कि वह देश में कारों के मूल्य ढांचे का निरीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के सभापतित्व में एक आयोग नियुक्त करे जिसमे सनदी लेखापाल और कार इंजीनियर सदस्य के रूप में शामिल हो।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं। मैं केवल इतना सिद्ध करना चाहता हूं कि देश में व्याप्त वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम कार के लागत ढांचे के सम्बन्ध में उचित अथवा नियमबद्ध निर्णय नहीं ले सकते। प्रतिवेदन में कहा गया है कि विभिन्नकारखानों की कार्य-पद्धति एक जैसी नहीं है। हिन्दुस्तान मोटर्स के मामले में कार बनाने के ऐसे संतोषजनक, आंकड़े नहीं मिल सके जिनसे कार की लागत का सही अनुमान लगाया जा सके। इस बात का भी कोई रिकार्ड नहीं मिलता कि कितना कच्चा माल जारी किया गया और कितने कच्चे माल से उन्होंने कितनी कारों का निर्माण किया। ऐसे कोई आंकड़े नहीं मिले जिससे यह पता चले कि समय-समय पर खरीद किए गए कच्चे माल की दर क्या थी।

---

*आधे घंटे की चर्चा
*Half-an-hour Discussion.

यही स्थिति लगभग सभी कार निर्माण उद्योगों में व्याप्त है। हमारे लिए कार की लागत का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन हो गया है। इस समय लाइसेन्स क्षमता 35 हजार कारों की है जबकि प्रति वर्ष कारों की मांग 60 हजार से लेकर 67 हजार के बीच में है।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि यह बात निश्चित है कि कई वर्षों से कारों का निर्माण अधिक लागत में किया जा रहा है और इसका समाधान कार के मूल्यों में वृद्धि करके नहीं बल्कि कमी करके किया जा सकता है। उपभोक्ता को ऊंचे मूल्यों के बोझ से नहीं दबाया जा सकता क्योंकि कारखानें, विशिष्ट सिद्धान्तों अथवा मानकों का पालन करने तथा कार की उचित कीमत निर्धारण में सावधानी बरतने में असफल रहे हैं। अतः कार की कीमत को कार के लागत ढांचे से नहीं जोड़ा जा सकता। अतः कार की कीमत का निर्धारण करने के लिए हमें विकल्प रूप में किन्हीं अन्य सिद्धान्तों का पालन करना होगा।

प्रत्येक निर्मित कार पर 46 प्रतिशत कर लगाया जाता है। मैं इसके लिए कार निर्माताओं को पूर्णतः दोषी नहीं ठहराता फिर भी कार की घटिया किस्म के लिए वे ही दोषी हैं। सरकार का भी यह उत्तरदायित्व है कि वह कार की कीमतों में कमी करने पर विचार करे क्योंकि कार आजकल विलासिता की वस्तु नहीं रह गई है, बल्कि हमारी आवश्यकता बन गई है।

जापान ने 1969 में अपने देश में 31 लाख कारों की बिक्री की और 80 लाख कारें निर्यात की। इसके विपरीत भारत ने 36 हजार कारें बनाई। जापान हंगरी और पोलैंड में संयंत्र चालू कर रहा है। क्या सरकार ने भी ऐसी किसी योजना पर विचार किया है? देश के लाखों लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि छोटी कार परियोजना कब चालू होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कार निर्माताओं के आगे घुटने टेक देगी अथवा 3 कारखानों को अपने हाथ में लेकर उनका राष्ट्रीयकरण करेगी?

अतिरिक्त कलपुर्जों की कीमतें अधिक होने के कारण भी कार की कीमत अधिक है। यदि टायरों की कीमत कम हो जाए तो कार की कीमत 300 से लेकर 400 रुपये तक घट सकती है।

मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार सरकारी क्षेत्र परियोजना कब चालू कर रही है? सरकार इस मामले में 8 या 10 कम्पनियों से बातचीत कर रही हैं और मेरे विचार से उनमें से पांच कम्पनियों ने 'प्रोटोटाईप' भेजे हैं। माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि सरकारी क्षेत्र में कारों का निर्माण किया जाएगा।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Mr. Deputy Speaker, Sir, with regret I have to say that Delhi Branch of Punjab National Bank has been looted. You should ask the hon. Minister to make a statement in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चाधीन विषय के दौरान यह प्रश्न न उठाएं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार के मूल्य के सम्बन्ध में उत्पादन लागत में बनावटी वृद्धि दिखाकर चालाकी से काम लिया जाता है। मान लीजिए, उनके पास 20 रेडियेटर हैं तो वे 8 रेडियेटरों को जानबूझकर थोड़ा सा खराब करके धातु की रद्दी के भाव बेच देते हैं। यदि नया

रेडियेटर 150 रुपए में मिलता है तो कोई व्यक्ति थोड़े से खराब रेडियेटर को 110 रुपये में खरीदकर और 5 रुपए मरम्मत पर लगाकर इसे प्रयोग में ला सकता है। परन्तु यह रेडियेटर हिन्दुस्तान मोटर्स के खातों में 15 रुपये में बेची गयी धातु की रद्दी के रूप में दिखाया जाता है। शेष राशि नकद रुपयों के रूप में वसूल की जाती है।

विश्व बाजार के शो-रूम में यदि भारतीय कार, बिक्री हेतु रखी जाए तो उसकी आधी कीमत भी नहीं मिलेगी क्योंकि विश्व बाजार में कारों का मूल्य मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है न कि सरकार द्वारा दूसरे, भारतीय कारें, चाहे वह स्टेण्डर्ड हो अथवा हिन्दुस्तान इतनी दोषपूर्ण है कि उन्हें लन्दन के शो-रूम में बिक्री हेतु रखने की अनुमति नहीं मिल सकती।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या शासक दल के एक प्रमुख व्यक्ति, जो समाजवाद का दम्भ करते हैं, बिड़ला बन्धुओं के परामर्शदाता के रूप में कार मूल्य आयोग के समक्ष पेश हुए थे और सरकार को कारों के मूल्य बढ़ाने की सलाह दी थी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है ? तीसरे माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि भविष्य में कारों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र में होगा और औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन जो उन्होंने संकल्प किया है, उसकी उपेक्षा नहीं की जायेगी।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : फियट, हिन्दुस्तान और एम्बसेडर कार के पूंजीपति निर्माताओं ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कार की कीमत में वृद्धि करे। विश्व बैंक का मत है कि भारत निर्मित कार यूरोप तथा अमरीका निर्मित कार की अपेक्षा 120 प्रतिशत महंगी होती है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों की मंत्रालयों के उच्चाधिकारियों के साथ सांठ गांठ है। यही कारण है कि कारों की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वह पूंजीपतियों के दबाव से मुक्त है और भविष्य में कारों का निर्माण केवल सरकारी क्षेत्र में ही किया जाएगा। सबसे बेहतर यह होगा कि सरकार कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दे।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : माननीय सदस्य ने कहा कि प्रतिवेदन पर विचार करते समय सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बारे में कुछ नहीं कहा। जैसा कि सदन को पता है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय निर्णयाधीन पड़ा है। इस सम्बन्ध में सुनवाई अभी नहीं हुई। अन्तिम सुनवाई के बाद ही सदन में इस प्रश्न पर चर्चा की जा सकेगी।

योजना आयोग ने कहा है कि इस समय कारों की मांग संख्या 35 हजार है और 1973-74 में यह मांग बढ़कर 80 हजार हो जाएगी। इसी कारण से हम सरकारी क्षेत्र में नया संयंत्र चालू करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में हमें 8 विदेशी कार-निर्माण कम्पनियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए है जिसमें से लगभग चार या पांच आवेदन-पत्रों को रद्द किया जा चुका है और शेष कम्पनियों से बातचीत चल रही है। हमने उन कम्पनियों से विवरण मांगे हैं। कुछ कम्पनियों से विवरण प्राप्त हो चूके हैं जबकि कुछ कम्पनियों ने विवरण नहीं भेजे हैं। यथासम्भव शीघ्र निर्णय लेंगे ताकि संचित मांग को पूरा किया जा सके।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हमें 20 वर्षों से यही उत्तर मिल रहा है ।

श्री घनश्याम ओझा : बाह्य और अन्तरिक संसाधन सीमित होने के कारण हमें कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं । अब हमने गैर-सरकारी क्षेत्र में 50,000 कारें बनाने के लिए एक क्षेत्र में संयंत्र लगाने का निर्णय किया है । विदेशी फर्मों से जानकारी प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ।

यह सच है कि टायरों के मूल्य में वृद्धि के कारण कार की कीमत बढ़ गई है । इसलिए हमने वर्तमान यूनिटों की क्षमता बढ़ा दी है ताकि वे शीघ्र ही टायर तैयार करने प्रारम्भ कर दें ।

नये कारखाने स्थापित करने की इच्छुक गैर-सरकारी कम्पनियों को आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं । हमें आशा है कि 1973-74 तक हम टायर और कार ट्यूबों की मांग पूरी कर सकेंगे तदनन्तर हम कारों की कीमत-निर्धारण की जांच करेंगे क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य का कथन है कि कार की कीमत लागत ढांचे के अनुरूप नहीं हैं ।

यह सच है कि कार निर्माताओं ने एकतरफा तौर पर कारों की कीमत बढ़ा दी थी । परन्तु सरकार ने साहसपूर्वक यह कहा कि कार की कीमतें वैसी होंगी जैसी सांविधिक आदेश में विहित हैं । कार निर्माता यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले गए । सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जांच आयोग गठित किया गया । आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । प्रतिवेदन अभी विचाराधीन था कि न्यायालय ने कारों की कीमत निर्धारण सम्बन्धी एक अन्तरिम आदेश जारी कर दिया । अब यह मामला अगस्त में उठाया जाएगा । आदेश पारित होने पर यदि कारों के मूल्यों में कमी की गई तो निर्माता उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत और वर्तमान कीमत के अन्तर का भुगतान उन लोगों को कर देंगे जिन्होंने उनसे कारें खरीद की थी । अतः मेरे विचार से माननीय सदस्यों को भय-रहित हो जाना चाहिए क्योंकि हमने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कारों के निर्माण करने का निर्णय किया है और हमें आशा है कि 1973-74 तक हम अच्छी स्थिति में हो जाएंगे ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 1 जून, 1971/11 ज्येष्ठ 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, June 1, 1971/ Jyaistha 11, 1893 (Saka).

(Raja) Ram Kumar Press, Lucknow.—13-8-71—340